

**IN THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
Original Application No. 99/2025**

IN THE MATTER OF:

Sovran Singh

...**APPLICANT**

VERSUS

State of U.P. and others

...**RESPONDENT**

INDEX

S.No.	Particulars	Page No.
1.	Reply on behalf of respondent no. 1,2,and 3, Uttar Pradesh in compliance to the order dated 05.05.2025 along with supporting affidavit.	4-18
2.	<u>ANNEXURE-1</u> Government Order dated 14.08.2017.	19-27
3.	<u>ANNEXURE-2</u> Environmental Clearance (EC) dated 28.04.2023.	28-38
4.	<u>ANNEXURE-3</u> Consent to Operate (CTO) dated 19.10.2023.	39-43
5.	<u>ANNEXURE-4</u> Office letter dated 10.01.2024 with copies of challans.	44-46
6.	<u>ANNEXURE-5</u> Office letter dated 25.04.2024 with copy of challan.	47-48
7.	<u>ANNEXURE-6</u> Office letter dated 04.05.2024 with copy of challan.	49-50
8.	<u>ANNEXURE-7</u>	

160

	Lease cancellation notice dated 03.07.2024.	51-52
9.	<u>ANNEXURE-8</u> Inspection Report dated 04.07.2024.	53
10.	<u>ANNEXURE-9</u> Notice dated 06.07.2024.	54-55
11.	<u>ANNEXURE-10</u> Final Notice dated 02.08.2024.	56
12.	<u>ANNEXURE-11</u> Lease cancellation order dated 12.08.2024.	57-60
13.	<u>ANNEXURE-12</u> Order dated 24.10.2024 passed by the Hon'ble Commissioner, Jhansi Division.	61-69
14.	<u>ANNEXURE-13</u> Order dated 12.12.2024.	70-71
15.	<u>ANNEXURE-14</u> Order dated 27.01.2025 passed by the Department of Geology and Mining, Government of Uttar Pradesh.	72-76
16.	<u>ANNEXURE-15</u> Order dated 31.01.2025.	77-78
17.	<u>ANNEXURE-16</u> Notice dated 11.03.2025.	79
18.	<u>ANNEXURE-17.</u> Letter No. 155 dated 31.05.2025.	80
19.	<u>ANNEXURE-18.</u> Copy of authorization letter	

161

THROUGH

Date:31/07/2025
Place: New Delhi

A handwritten signature in blue ink that reads "Priyanka" followed by three dots. The signature is written in a cursive style.

PRIYANKA SWAMI
ADVOCATE

Standing Counsel for State of Uttar Pradesh
F-13, GF, JANGPURA, NEW DELHI 110014
E-mail:advpriyankaswami@gmail.com

**IN THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
Original Application No. 99/2025**

IN THE MATTER OF:

Sovran Singh

...APPLICANT

VERSUS

State of U.P. and others

...RESPONDENT

REPLY ON BEHALF OF RESPONDENT NO. 1,2, AND 3, UTTAR PRADESH IN COMPLIANCE TO THE ORDER DATED 05.05.2025 ALONG WITH SUPPORTING AFFIDAVIT.

1. That the Hon'ble National Green Tribunal has passed an Order dated 21.01.2025 in the matter of Original Application No. 99/2025 Sovran Singh Versus State Of Uttar Pradesh & Ors.. The Executive part of the order is as follows-

Issue notice on OA and IA No. 149/2025, an Application for Adinterim Ex-parte stay to the respondents for filing their response/reply by way of affidavit before the Tribunal at least one week before the next date of hearing through e-filing. If any respondent directly files the reply without routing it through his advocate, then the said respondent will remain virtually present to assist the Tribunal. The Applicant is directed to serve

2. That, in compliance with the directions issued under Government Order No. 1875(1)/86-2017 dated 14-08-2017, the area in question, Arazi No. 314 (Part-01) measuring 4.750 hectares, located in village Manikpura, Tehsil Moth, District

163

Jhansi, and situated in the Betwa riverbed, has been approved and executed in favour of Shri Chandrapal Singh, son of Shri Bhopal Singh, resident of Krishna Nagar Colony, Khera Garhiya village, Tehsil and District Jhansi, through the e-tender-cum-e-auction process, for a period of five years (from 17-05-2023 to 16-05-2028). (**Annexure-1:** Government Order dated 14-08-2017).

3. It is further submitted that, prior to the execution of the above mining lease, Environmental Clearance (EC) dated 28.04.2023 was issued by the State Level Environmental Impact Assessment Authority, Uttar Pradesh, Lucknow (SEIAA). In addition, under the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 and the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, Consent to Operate (CTO) was also issued by the Uttar Pradesh Pollution Control Board, Lucknow, on 19.10.2023. (**Annexure-2:** Environmental Clearance (EC) dated 28.04.2023 and **Annexure-3:** Consent to Operate (CTO) dated 19.10.2023).
4. That the above mining lease has been inspected from time to time by the Tehsil Level Task Force and the tabular format along with the detailed report is mentioned below:

Inspection & Compliance Snapshot – Penalties, Recoveries, Pending Dues, EC / CTO Status

Date	Event	Key Issues (keywords)	Penalty ₹	Recovered ₹	Pending ₹
05-01-24	1st insp.	Pillars missing; lifter in river	10,50,000	10,50,000	0
22-04-24	2nd insp.	Mining despite high water; pillars absent	5,25,000	5,25,000	0

164

Date	Event	Key Issues (keywords)	Penalty ₹	Recovered ₹	Pending ₹
01-05-24	3rd insp.	5 suction lifters	25,00,000	25,00,000	0
27-06-24	4th insp.	No PTZ; 390 m ³ outside area	13,77,400	0	13,77,400
31-01-25	Deposit order	Pay instalments + penalties	31,12,100 (0853) + 4,17,605 (DMF) + 1,13,545 (TCS)	Full (07-02-25)	0
03-03-25	Insp.	Pillars & PTZ absent; in-area mining	50,000	0	50,000

5. wherein the first surprise inspection was conducted on 05.01.2024. During the said inspection, boundary pillars were not found installed on their designated GPS boundary coordinates in the area in question, and the use of a prohibited machine (lifter) in the river stream was also observed. Due to these violations of Rules 3, 36, and 42(j) of the Uttar Pradesh Minor Mineral (Concession) Rules, 2021, a penalty of ₹5,00,000.00 under Rule 58, ₹50,000.00 under Rule 60(3), and ₹5,00,000.00 under Rule 60(4), i.e., a total of ₹10,50,000.00 was imposed vide office letter no. 1897/MMC/2023-24 dated 10.01.2024, and the said amount was recovered through challan no. AKV240003156 dated 07.02.2024 for ₹5,00,000.00 and challan no. AKV240007636 dated 26.03.2024 for ₹5,50,000.00. (**Annexure-04**: Office letter dated 10.01.2024 with copies of challans).

6. That it is pertinent to mention here that, taking cognizance of certain complaints received regarding the above mining lease, a second surprise inspection was conducted on 22.04.2024 by the members of the Tehsil Level Task Force, during which signs of mining were found even after the water level had risen in the mining lease area, and boundary pillars were not found installed on their designated GPS boundary coordinates in the area in question. Due to these clear violations of Rule 36(1) and Rule 42(j)(1) of the Uttar Pradesh Minor Mineral (Concession) Rules, 2021, a penalty of ₹25,000.00 under Rule 60(3) and ₹5,00,000.00 under Rule 60(4), i.e., a total of ₹5,25,000.00, was imposed vide office letter no. 67/30MMC/2024-25 dated 25.04.2024 and recovered through challan no. AKV240012603 dated 30.05.2024 for ₹5,25,000.00. (**Annexure-05**: Office letter dated 25.04.2024 with copy of challan).
7. That regarding the above mining lease, a third surprise inspection was conducted on 01.05.2024 under the chairmanship of the Sub-Divisional Magistrate, Moth (Revenue Department, Police Department, and Mining Department), during which mining was found to be carried out using 05 suction machines (lifters). Due to this violation of Rule 42(j)(1) of the Uttar Pradesh Minor Mineral (Concession) Rules, 2021, a total amount of ₹25,00,000.00 was imposed under Rule 60(4) vide office letter no. 104/30MMC/2024-25 dated 04.05.2024 and recovered through challan no. AKV240010323 dated 05.05.2024 for ₹25,00,000.00. (**Annexure-06**: Office letter dated 04.05.2024 with copy of challan).
8. That the fourth surprise inspection of the above-mentioned area was conducted on 27.06.2024 by a joint team of the Revenue Department and the Mining Department, during which it was found that no PTZ camera was installed in the mining lease area, and illegal mining of 390.00 cubic meters using prohibited lifter machines outside

the approved area was being carried out. Due to repeated violations of Rules 3, 35, 36(1), and 42(j)(1) of the Uttar Pradesh Minor Mineral (Concession) Rules, 2021, the following penalties were imposed:

- ₹5,00,000.00 under Rule-60(4) (₹5 lakh per instance),
- ₹50,000.00 under Rule-60(2) for violation of environmental conditions,
- ₹25,000.00 under Rule-60(3) (₹25,000 per instance) for not having a PTZ camera in the lease area,
- ₹50,400.00 as royalty on illegally stored 336.00 cubic meters of sand/morrum mined outside the area,
- ₹2,52,000.00 as mineral price (₹50,400.00 × 5),
- ₹5,00,000.00 under Rule-58 as penalty.

Thus, a total amount of ₹13,77,400.00 was imposed, and a notice was issued under Rule 61(1) as to why the approved mining lease should not be cancelled, through office letter no. 342(1)/30MMC/2024-25 dated 03.07.2024. (**Annexure-07**: Lease cancellation notice dated 03.07.2024).

9. That regarding the said mining lease, O.A. No. 742/2024, titled Madan Sen vs. State Government of U.P. & Others, was instituted before the Hon'ble National Green Tribunal. The Hon'ble Tribunal, after hearing on 01.07.2024, passed the following order, which was uploaded on the official website of the Hon'ble NGT on 03.07.2024. The operative portion is as follows:

“The District Magistrate, Jhansi, Respondent No. 2 is directed to immediately seize the CCTV footage maintained by the project

proponents and file copy thereof along with their response before the Tribunal.”

10. That in compliance with the above order dated 01.07.2024, a joint inspection of the concerned mining lease area was carried out by the Revenue and Mining Departments under the chairmanship of the Sub-Divisional Magistrate, Moth, on 04.07.2024, and the inspection report dated 04.07.2024 was submitted, which mentioned the following:

“1. Mining operations are completely prohibited during the monsoon season (from 01 July to 30 September). During the inspection, mining activities were found to be stopped in the mining lease area.

2.No recording camera / PTZ / CCTV camera was found installed around the mining lease area and site office/weighbridge. Moreover, no person/machinery was found around the lease area, and the site office was found locked.” (Annexure-08: Inspection Report dated 04.07.2024)

11. That as per the facts mentioned in the inspection report dated 04.07.2024, since no recording camera / PTZ / CCTV camera was found installed in the mining lease area for the purpose of seizure, a notice was issued to the leaseholder (Shri Chandrapal Singh, son of Shri Bhopal Singh) through office letter no. 344/30MMC/2024-25 dated 06.07.2024, directing him to submit all recordings made through the CCTV camera and RFID scanner installed in the mining lease area. (Annexure-09: Notice dated 06.07.2024).

12. In compliance with the Hon'ble Tribunal's order dated 01.07.2024 and the notice dated 06.07.2024, the leaseholder (Shri Chandrapal Singh, son of Shri Bhopal Singh) submitted his reply along with a pen drive dated 20.07.2024, which was received by this office on 23.07.2024, wherein it is mainly mentioned that:

“The applicant had installed a PTZ camera in the area related to the approved mining lease. Since mining activities are completely prohibited from 01.07.2024 to 30.09.2024 during the monsoon season, the applicant had already stopped work at the site from 26.06.2024, and the PTZ camera and other equipment...”

The site office was locked after being vacated on 30.06.2024,” and the PTZ camera recordings from 01.06.2024 to 30.06.2024 have been marked as an enclosure (pen drive).

13. That the video footage made available in the pen drive submitted along with the above reply dated 20.07.2024 was reviewed and examined. It was found that no continuous video clips from 01.06.2024 to 30.06.2024 were available in the said pen drive. The video clips available in the pen drive were found to be divided into multiple segments, in which the date, time, and location were not mentioned. Due to this, compliance with the order dated 01.07.2024 passed by the Hon'ble National Green Tribunal in Application No. 742/2024, *Madan Sen vs. State Government of U.P.*, and arriving at any conclusion will not be possible.

14. That in view of the above, a final notice was issued to the concerned leaseholder (Shri Chandrapal Singh, son of Shri Bhopal Singh) through office letter number 474/30MMC/2024-25 dated 02.08.2024, directing him to submit the continuous

video clips from 01.06.2024 to 30.06.2024 recorded by the PTZ camera installed in the lease area, along with the required details (date, time, and location). (**Annexure-10**: Final Notice dated 02.08.2024).

15. That in addition, the leaseholder (Shri Chandrapal Singh, son of Shri Bhopal Singh) submitted his reply dated 18.07.2024 in connection with the notice (regarding lease cancellation) dated 03.07.2024, which was issued due to repeated violations of Rules 3, 35, 36(1), and 42(j)(1) of the Uttar Pradesh Minor Mineral (Concession) Rules, 2021. The reply was found to be baseless, without evidence, beyond facts, and unsatisfactory. Further, repeated violation of the terms and conditions of the executed lease deed, violation of the orders of the Hon'ble National Green Tribunal, and non-submission of video recordings along with required details in compliance with the order dated 01.07.2024 passed by the Hon'ble Tribunal, led to the rejection of the submitted explanation, and the mining lease was cancelled under Rule 61 of the Uttar Pradesh Minor Mineral (Concession) Rules, 2021, through office letter no. 512/30MMC/2024-25 dated 12.08.2024. Furthermore, under the provisions of Rule 61(2), an order was passed to blacklist the leaseholder (Shri Chandrapal Singh, son of Shri Bhopal Singh, resident of Krishna Nagar Colony, Khera Garhiya Gaon, Tehsil and District Jhansi) for a period of two years. (**Annexure-11**: Lease cancellation order dated 12.08.2024).

16. That against the above order dated 12.08.2024, the petitioner filed an appeal before the Hon'ble Commissioner, Jhansi Division, Jhansi, under Case No. 1076/2024, in which the Hon'ble Court passed the following order on 24.10.2024:

“While setting aside the order dated 12.08.2024 passed by the District Magistrate, Jhansi, the matter is remanded back to the District

Magistrate, Jhansi, with the direction that the appellant/leaseholder be provided a reasonable opportunity and a speaking order be passed on merits in accordance with the provisions of the Uttar Pradesh Minor Mineral (Concession) Rules, 2021.” (Annexure-12: Order dated 24.10.2024 passed by the Hon’ble Commissioner, Jhansi Division, Jhansi)

17. That in compliance with the order dated 24.10.2024 passed by the Hon’ble Commissioner, Jhansi Division, Jhansi, the petitioner was informed through office letters dated 28.10.2024, 12.11.2024, and 20.11.2024 to appear in person or through counsel and submit their written representation. The representations submitted by the petitioner on 14.11.2024 and 24.11.2024 were rejected, and the previously passed lease cancellation order dated 12.08.2024 was maintained in respect of the lease area granted in favour of the petitioner, through office letter no. 963/30MMC/2024-25 dated 12.12.2024. (Annexure-13: Order dated 12.12.2024).

18. That against the above order dated 12.12.2024, the petitioner filed a review/representation before the Government of Uttar Pradesh, Department of Geology and Mining, under Monitoring Case No. 03(R)/G&M/(UP)/2025, titled *Shri Chandrapal Singh, son of Shri Bhopal Singh, resident of Krishna Nagar Colony, Khera Garhiya Gaon, Jhansi vs. District Magistrate, Jhansi*. An appeal was instituted under Monitoring Case No. 03(R)/G&M/(UP)/2025, in which the Department of Geology and Mining, Government of Uttar Pradesh, passed Order No. 365/SSM/2025 dated 27.01.2025, wherein the following order was passed:

“A notification dated 09.01.2025 has been issued, in which tenders have been invited from 21.01.2025 to 27.01.2025, and it is proposed to open

the tenders before the e-tender committee constituted on 28.01.2025. In this regard, it is clarified that after the issuance of the notification, obtaining the Letter of Intent, approval of the mining plan, obtaining environmental clearance, and starting mining operations is likely to take approximately one year, during which the area will remain vacant.

In view of the above, and in the interest of revenue and in view of the errors in the order dated 12.12.2024 passed by the District Magistrate, the said order dated 12.12.2024 passed by the District Magistrate, Jhansi is hereby set aside. The monitoring petitioner is directed to ensure the deposit of the amount imposed by the District Magistrate, Jhansi within 10 working days.

The District Magistrate, Jhansi is also directed to re-calculate the payable amount under the DMF (District Mineral Foundation Trust) fund accurately and without error, and to initiate lease operation after recovery of other dues from the monitoring petitioner.

If the monitoring petitioner does not deposit the imposed amount/penalty within the stipulated time, then the District Magistrate, Jhansi shall be free to take an appropriate decision.” (Annexure-14: Order dated 27.01.2025)

19. That in compliance with the above order passed by the Department of Geology and Mining, Government of Uttar Pradesh, through office letter no. 1133/30MMC/2024-25 dated 31.01.2025, an order was passed directing the petitioner to ensure the deposit of a total amount of ₹31,12,100.00, including the payable installment and

imposed amount/penalty amount, under the designated mineral head '0853, Non-Ferrous Mining and Metallurgical Industries' within 10 working days from the receipt of the letter; and to deposit the total payable amount of ₹4,17,605.00 to the District Mineral Foundation Trust (DMF) in the savings account of District Mineral Foundation Trust at Punjab National Bank, Gwalior Road, Jhansi, and the TCS amount ₹1,13,545.00 under TAN No. AGRD11071E within the stipulated time. Otherwise, an appropriate decision would be taken in the matter. Subsequently, the petitioner deposited the said amount and informed the office through his application dated 07.02.2025, along with copies of challans. (**Annexure-15**: Order dated 31.01.2025).

20. That in addition to the above, it is also informed that a surprise inspection of the concerned mining lease area was conducted on 03.03.2025 by the members of the Tehsil-Level Task Force of Tehsil Moth, and the inspection report is as follows:

- a) Boundary pillars were not found installed at their designated coordinates in the said lease area.
- b) PTZ camera was not found installed in the said mining lease area.
- c) The said mining lease area was inspected using KML file. At the time of inspection, the leaseholder was found to be carrying out mining of minor mineral sand/morrum within his approved lease area.

21. In light of the facts mentioned in the above inspection report dated 03.03.2025, and due to violation of Rules 36(1) and 36(2) of the Uttar Pradesh Minor Mineral (Concession) Rules, 2021 by the petitioner, a notice was issued through office letter

no. 2071/30MMC/2024-25 dated 11.03.2025, for the imposition of compounding fee amounting to ₹50,000.00 under Rule 60(3). (**Annexure-16**: Notice dated 11.03.2025).

22. In addition to the above, it is also essential to inform that Shri Sovaran Singh, resident of Targuwan, Lalitpur, in his complaint letter dated 08.05.2025, enclosed a copy of the Minutes of the 884th Meeting of the State Level Environmental Impact Assessment Authority, UP (SEIAA) held on 02.04.2025, in which it was stated:

“Since District Magistrate, Jhansi has cancelled the lease deed of the mine vide order no. 512/30MMC/2024-25 dated 12.08.2024. Hence, EC is also null and void in view of the cancelled lease deed and is cancelled effective 12/08/2024.”

23. Following this, a letter was sent to the Member Secretary, State Level Environmental Impact Assessment Authority, U.P., Lucknow, through office letter no. 155 dated 31.05.2025, seeking clarification as to whether the Environmental Clearance (EC) issued for the said mining lease. Kindly clarify the current validity status of the Environmental Clearance Certificate dated 28.04.2023 whether it is legally valid at present or not. If the Environmental Clearance Certificate dated 28.04.2023 is presently not valid, then kindly provide the cancellation order of the said Environmental Clearance Certificate to this office, so that further proceedings in the matter may be carried out.” The reply to this query has not been received by this office till date and is still awaited. (**Annexure-17**: Letter No. 155 dated 31.05.2025).

24. Hence, in view of the facts mentioned above, the present petition is liable to be dismissed.

25. The deponent is duly authorized by Respondents No . 1, 2, and 3 to file the present reply on their behalf. It is further submitted that the respondents is ready and willing to comply with and abide by any further directions that may be passed by the Hon'ble Tribunal in the interest of environmental protection and conservation. The authorization is annexed herewith as **ANNEXURE-18**.

THROUGH

Date:31/07/2025
Place: New Delhi



PRIYANKA SWAMI
ADVOCATE
Standing Counsel for State of Uttar Pradesh
F-13, GF, JANGPURA, NEW DELHI 110014
E-mail:advpriyankaswami@gmail.com

IN THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
Original Application No. 99/2025

IN THE MATTER OF:

Sovran Singh

...APPLICANT

VERSUS

State of U.P. and others

...RESPONDENT

AFFIDAVIT

I, Atul Dubey aged about 26 years s/o Shri. G.S. Dubey is presently posted as Mines Inspector Jhansi, Uttar Pradesh. Do solemnly affirm as below: **Presently at New Delhi**

1. That I am posted as stated above and well conversant with the facts of the present case and as such competent to swear this affidavit before this Tribunal.
2. That the accompanying Reply has been drafted by our counsel upon my instructions.
3. That the contents of the accompanying Reply are true and correct, and the knowledge has been derived from official records and nothing material has been concealed therefrom.



[Handwritten Signature]

DEPONENT



VERIFICATION

01 AUG 2025

Verified on solemn affirmation at New Delhi on this _____ day of _____ 2025,
that the contents of the foregoing affidavit are true and correct to the best of my
knowledge and no part of it is false and nothing material has been concealed
therefrom.

[Handwritten Signature]

DEPONENT

[Handwritten Signature]
A/6004/2022
I identified the deponent who
has signed in my presence

ATTESTED
NOTARY PUBLIC
(INDIA)

01 AUG 2025

177
ANNEXURE-1

संलग्नक:- 01

प्रेषक,

राज प्रताप सिंह,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग

लखनऊ, दिनांक 14 अगस्त 2017

विषय: प्रदेश में नदी तल में उपलब्ध बालू, मोरम, बजरी आदि के क्षेत्रों को ई-निविदा सह ई-नीलामी प्रणाली के माध्यम से परिहार पर स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि रिट याचिका संख्या-1498 वर्ष 2015 गुलाब चन्द्र मिश्र बनाम् उ०प्र० राज्य व अन्य में पारित माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 01.05.2017 के अनुक्रम में उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली-1963 के नियम 9क को विलोपित करते हुए नियमावली के 43वें संशोधन द्वारा अध्याय-4 में संशोधन कर ई-निविदा/ई-नीलामी/ई-निविदा सह ई-नीलामी के माध्यम से क्षेत्रों के परिहार पर दिए जाने का प्राविधान किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में नदी तल में उपलब्ध बालू, मोरम, बजरी आदि के रिक्त क्षेत्रों को उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली-1963 यथा संशोधित के अध्याय-4 के अर्न्तगत ई-निविदा सह ई-नीलामी (E-Tender cum E-Auction) प्रणाली के माध्यम से परिहार पर दिये जाने के सम्बन्ध में तत्काल प्रभाव से निम्न प्रक्रिया अपनायी जायेंगी:-

1. नदी तल स्थित उपखनिजों के रिक्त क्षेत्रों को खनिज की उपलब्धता, परिवहन मार्ग की स्थिति, क्षेत्र में पर्यावरण अनुकूलता तथा सुरक्षित खनन के दृष्टिगत अधिकतम 03 मी० की गहराई अथवा जल स्तर, जो भी पहले हो, तक खनिज की मात्रा का आकलन करते हुए व्यवसायिक रूप से उपयुक्त खण्डों का निर्धारण किया जायेगा। निर्धारित खण्डों का क्षेत्रफल 05 हे० से कम नहीं होगा। वैज्ञानिक ढंग से खनन हेतु उपयुक्त न होने की स्थिति में छोटे रिक्त खण्डों का निर्धारण किया जा सकता है परन्तु ऐसे निर्धारण के पूर्व युक्तियुक्त कारण अभिलिखित किया जायेगा। निर्धारित खण्डों के लिए वन विभाग की अनापत्ति अनिवार्य है।
2. ई-निविदा सह ई-नीलामी द्वारा नदी तल स्थित उपखनिजों के खनन पट्टा निश्चित अवधि 05 वर्ष के लिये स्वीकृत किये जायेंगे। पट्टे की अवधि की गणना खनन पट्टा विलेख निष्पादन की तिथि से की जायेगी।
3. ई निविदा सह ई नीलामी की बिड/बोली उपखनिज की प्रतिघन मीटर के लिए दी जायेगी, जो उ०प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली-1963 के अनुसूची-1 में निर्धारित रायल्टी की दर से कम नहीं होगी। इससे भिन्न बिड/ बोली दिये जाने पर बिड/ बोली स्वीकार नहीं की जायेगी तथा प्रीबिड अर्नेस्ट मनी जब्त कर ली जायेगी। प्राप्त उच्चतम बिड/ बोली की दर (रुपया प्रति घन मी०) को क्षेत्र में आंकलित मात्रा (घन मी०) से गुणा कर प्रथम वर्ष की नीलामी की देय धनराशि आगणित की जायेगी, जिसे पट्टा के अनुवर्ती वर्षों में प्रत्येक वर्ष पिछले वर्ष की नीलामी की धनराशि पर 10 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

4. ई निविदा सह ई नीलामी दो चरणों में होगी। प्रथम चरण में ई निविदा सम्पन्न की जायेगी जिसके दौरान सभी बिडर्स को एक बार ई-निविदा (E-Tender) देने का मौका प्रदत्त होगा जो पुनरीक्षित (Revise) नहीं किया जा सकेगा। ई निविदा में प्राप्त उच्चतम निविदा को आधार मूल्य (Floor Price) मानते हुए द्वितीय चरण में ई-नीलामी कराया जायेगा, जिसके दौरान बिडर्स ई-नीलामी हेतु निर्धारित तिथि एवं अवधि में ई-बिड दे सकता है। ई-नीलामी के दौरान केवल उच्चतम बोली को ही प्रदर्शित किया जायेगा जिसको देखते हुए बिडर अपना बिड पुनरीक्षित कर बढ़ा सकते हैं।
5. किसी क्षेत्र के ई निविदा सह ई नीलामी हेतु बिडर्स को बिड में भाग लेने से पूर्व प्री बिड अर्नेस्ट मनी जमा करना अनिवार्य होगा, जिसकी गणना क्षेत्र में वार्षिक आंकलित खनन योग्य मात्रा एवं उपखनिज की रायल्टी दर से गुणा कर प्राप्त धनराशि का 25 प्रतिशत होगा।
6. निर्धारित खण्डों में उपखनिज की खनन योग्य मात्रा एवं उस क्षेत्र के अर्नेस्ट मनी का निर्धारण उपरोक्त प्रस्तरों के अनुसार जिलाधिकारी द्वारा गठित समिति जिसमें अपर जिलाधिकारी, उपजिलाधिकारी/तहसीलदार तथा जिले में तैनात ज्येष्ठ खान अधिकारी/खान अधिकारी/खान निरीक्षक होंगे, द्वारा कराया जायेगा।
7. एम0एस0 टी0सी0 लि0 (भारत सरकार का उपक्रम) को सेवा प्रदाता के रूप में चयनित किया गया है, जिसके द्वारा राज्य सरकार की ओर से नीलामी की कार्यवाही सम्पादित की जायेगी। ई-निविदा सह ई-नीलामी द्वारा परिहार पर देने की सम्पूर्ण प्रक्रिया ऑनलाईन एम0एस0टी0सी0 के ई-ऑक्शन पोर्टल www.mstcecommerce.com पर की जायेगी।
8. इच्छुक आवेदकों के लिए ऑनलाईन बिड/बोली हेतु Class III Signing type डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (DSC) होना आवश्यक है। एम एस टी सी के उपरोक्त पोर्टल पर जाकर अर्ह आवेदक अपने पंजीकरण की कार्यवाही पूर्ण करने के पश्चात् ही ई-निविदा सह ई-नीलामी में भाग ले सकेंगे।
9. पंजीकृत आवेदक निर्धारित पोर्टल पर ऑनलाईन एक या एक से अधिक क्षेत्रों के लिए बिड में भाग ले सकेगा परन्तु उसे प्रत्येक क्षेत्र के लिए अलग अलग आवेदन शुल्क एवं प्रत्येक क्षेत्र हेतु निर्धारित अर्नेस्ट मनी जमा करना होगा। इच्छुक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी (आवेदक) ई-निविदा सह ई-नीलामी में भाग लेने के लिए सरकार के पक्ष में ₹0-15,000 (₹0 पन्द्रह हजार) का आवेदन शुल्क एम0एस0टी0सी0 पेमेन्ट गेटवे के माध्यम से जमा करना होगा, जो अप्रतिदेय (Non Refundable) होगा।
10. ई निविदा सह ई नीलामी में भाग लेने हेतु इच्छुक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी को एम0एस0टी0सी0 में पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। पंजीकरण हेतु व्यक्ति/फर्म/कम्पनी को ई-ऑक्शन पोर्टल www.mstcecommerce.com पर उपलब्ध आनलाईन फार्म भरना पड़ेगा जिसके दौरान बिडर्स अपने लिए स्वयं जनित यूजर आई0डी0 एवं पासवर्ड बनायेंगे। इस आनलाईन पंजीयन के उपरान्त बिडर्स को एम0एस0टी0सी0 द्वारा भेजा गया सूचना ई मेल प्राप्त होगा, जिसके पश्चात् बिडर्स को आवश्यक अभिलेख स्कैन कर एम0एस0टी0सी0 को आनलाईन भेजना अनिवार्य होगा। साथ ही बिडर्स को वार्षिक पंजीकरण शुल्क जी.एस.टी. सहित ₹0-1,180 (₹0 एक हजार एक सौ अस्सी मात्र) एम0एस0टी0सी0 पेमेन्ट गेटवे के माध्यम से आनलाईन देय होगा। अनिवार्य अभिलेख एवं वार्षिक पंजीकरण शुल्क की प्राप्ति के पश्चात् ही बिडर्स का लॉगिन आई0डी0, पासवर्ड एवं एकाउन्ट एम0एस0टी0सी0 के निर्धारित पोर्टल पर चालू (Activate) होगा।
11. पंजीकरण हेतु बिडर्स द्वारा **स्वप्रमाणित** निम्न अभिलेख/प्रमाण पत्र स्कैन कर एम0एस0टी0सी0 के पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा:-
 - (1) आवेदक का आधार कार्ड की प्रति, फर्म की दशा में फर्म के भागीदारों के आधार कार्ड की प्रति तथा कम्पनी के मामलें में कारपोरेट अफेयर्स मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्गत कम्पनी के प्रबन्ध निदेशक का Director Identification Number (DIN) के प्रमाण-पत्र की प्रति।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रामाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- (2) आवेदक का अद्यावधिक चरित्र प्रमाण पत्र, फर्म के मामले में भागीदारों के अद्यावधिक चरित्र प्रमाण पत्र की प्रति तथा कम्पनी के मामले में प्रबन्ध निदेशक का इस आशय का शपथ पत्र की कम्पनी को किसी अपराधिक वाद में दण्डित नहीं किया गया है। चरित्र प्रमाण पत्र उस जिले के जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त होगा, जहाँ आवेदक स्थायी रूप से निवास करता है।
- (3) आवेदक का पैन कार्ड की प्रति, फर्म या कम्पनी के मामले में उसका पैन कार्ड एवं जी0एस0टी0 नं0 की प्रति।
- (4) बैंक खाते का विवरण, जिससे ई निविदा सह ई नीलामी से सम्बन्धित समस्त वित्तीय हस्तान्तरण किया जायेगा, यथा बैंक का नाम, खाता संख्या आई0एफ0एस0सी0 कोड, तथा एक निरस्त चेक की प्रति,
- (5) जिलाधिकारी अथवा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया गया खनन देय बकाया न होने का प्रमाण पत्र। जहाँ आवेदक राज्य के भीतर कोई खनिज परिहार धारित नहीं करता है वहाँ इस आशय का शपथ पत्र की प्रति।
12. एम0एस0टी0सी0 द्वारा केवल उन्ही व्यक्ति/फर्म/कम्पनी का पंजीकरण किया जायेगा जो उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली-1963 के प्रावधानों के अन्तर्गत अर्ह हो। नियम-26 के अनुसार निम्नलिखित व्यक्ति/फर्म /कम्पनी ई निविदा सह ई-नीलामी प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकते हैं:-
- (1) जो भारतीय राष्ट्रिक नहीं है
 - (2) जिसके विरुद्ध खनिज देय बकाया है।
 - (3) जिसने उस जिले के जिलाधिकारी अथवा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी जहाँ वह स्थायी रूप से निवास करता है से चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं कर लिया है। शर्त यह है कि उक्त चरित्र प्रमाण पत्र पुलिस सत्यापन के आधार पर दिया गया हो।
 - (4) जिसने अपना आधार कार्ड की प्रति प्रस्तुत न की हो।
 - (5) जिसका नाम काली सूची में दर्ज हो।
 - (6) फर्म/कम्पनी के मामले में जिसने पैनकार्ड तथा जी0एस0टी0 पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत न किया हो।
13. रिक्त क्षेत्रों का विज्ञापन - खण्डों का निर्धारण एवं उसका मूल्यांकन होने के उपरान्त नियमावली-1963 के नियम-23 के प्रावधानों के अन्तर्गत तथा निम्न प्रक्रिया के अनुसार रिक्त क्षेत्रों का विज्ञापन एम0एस0टी0सी0 के वेब पोर्टल www.mstcecommerce.com, दैनिक समाचार पत्रों एवं विज्ञापन पट (नोटिस बोर्ड) पर प्रकाशित किया जायेगा।
- (1) जिलाधिकारी द्वारा नियम 23(1) की घोषणा होने के उपरान्त क्षेत्रों को ई-निविदा सह ई-नीलामी द्वारा पट्टे पर देने के लिए ई-निविदा के दिनांक से कम से कम 30 दिन पूर्व सार्वजनिक नोटिस (सूचना)/विज्ञप्ति प्रकाशित किया जायेगा। इसके साथ ही जिलाधिकारी द्वारा क्षेत्रों का सम्पूर्ण विवरण एम0एस0टी0सी0 को भी ईमेल से उपलब्ध कराया जायेगा ताकि क्षेत्रों की विज्ञप्ति एम0एस0टी0सी0 के पोर्टल पर किया जा सके। जिलाधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गये क्षेत्रों का विवरण एम0एस0टी0सी0 के पोर्टल पर डालने के बाद इसकी पुष्टि जिलाधिकारी द्वारा गठित समिति के दो सदस्यों द्वारा डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से किया जायेगा। डिजिटल सिग्नेचर से पुष्टि के उपरान्त ही क्षेत्रों का विवरण ई निविदा सह ई नीलामी हेतु एम0एस0टी0सी0 के वेब पोर्टल पर बिडर्स एवं सर्वसाधारण के लिए उपलब्ध होगा।
 - (2) विज्ञप्ति में क्षेत्रों का विवरण यथा ग्राम, गाटा सं0/खण्ड सं0, नदी का नाम क्षेत्रफल, क्षेत्र में आंकलित खनन योग्य मात्रा, उपखनिज की रायल्टी दर, क्षेत्र के लिए निर्धारित प्री बिड अर्नस्ट

1- यह शासनदेश इलेक्ट्रॉनिकी जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
 2- इस शासनदेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- मनी, ई-निविदा डालने की तिथि व अवधि, ई-निविदा के उपरान्त ई-नीलामी का समय व दिनांक, ई-निविदा सह ई-नीलामी की प्रक्रिया, शर्तों का विवरण आदि का उल्लेख किया जायेगा।
- (3) ऑनलाईन ई-निविदा डालने तथा ई-नीलामी बोलने की विधि का पूर्ण विवरण सेवा प्रदाता संस्था एम0एस0टी0सी0 के वेब पोर्टल www.mstcecommerce.com पर देखा जा सकता है।
- (4) रिक्त क्षेत्रों की विज्ञप्ति एम0एस0टी0सी0 के पोर्टल पर प्रदर्शित की जायेगी इसके साथ ही स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराया जाये, जिससे कि किसी भी दशा में उक्त पोर्टल एवं समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञप्ति में कोई भी भिन्नता न हो। ई-निविदा सह ई-नीलामी की सार्वजनिक सूचना (नोटिस) निम्नानुसार प्रकाशित की जायेगी:-
- क. नोटिस की प्रतियां जिलाधिकारी के कार्यालय के सूचना पट पर चिपकायी जायेंगी।
- ख. नोटिस की एक प्रति एम0एस0टी0सी0 द्वारा निर्धारित पोर्टल, विभागीय वेबसाइट, राज्य सरकार के ई-टेंडर/ई-ऑक्शन पोर्टल पर प्रदर्शित की जायेगी।
- ग. सर्वसाधारण की सूचना के लिए नोटिस जिले में प्रचलित कम से कम दो प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित की जायेगी।
- (5) समाचार पत्रों में प्रकाशन के दिनांक से ही विज्ञप्ति की तिथि की गणना की जायेगी एवं यह सुनिश्चित किया जायेगा कि समाचार पत्रों में प्रकाशन के दिनांक से कम से कम 30 दिन पश्चात् ही ई-निविदा प्राप्त करने की तिथि निर्धारित की जायेगी। 30 दिन के पश्चात् आगामी 04 दिन तक ई-निविदा प्राप्त की जायेगी।
- (6) ई-निविदा सह ई-नीलामी में भाग लेने के लिए इच्छुक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी को प्रत्येक क्षेत्र के लिए पृथक-पृथक ₹0-15000 (₹0 पन्द्रह हजार मात्र) का शुल्क जो अप्रतिदेय होगा तथा अर्नेस्ट मनी जो विज्ञप्ति में क्षेत्र के नाम सम्मुख अंकित हो, जमा किया जाना होगा।
- (7) सफल बोलीदाता/निविदादाता को छोड़कर शेष बोलीदाता/निविदादाता द्वारा जमा बयानों की धनराशि (अर्नेस्ट मनी) यथावत उसी बैंक खाते में वापस कर दी जायेगी जिस बैंक खाते से पैसा दिया गया था।
- (8) जहां किसी भी कारण से ई-निविदा सह ई-नीलामी की प्रक्रिया पूरी न हो वहां कम से कम 07 दिन की अल्प अवधि की नोटिस देने के पश्चात् पुनः ई-निविदा सह ई-नीलामी की जा सकती है।
- (9) अधिकतम पाँच खनन पट्टे या 400 हे0 से अधिक के क्षेत्र को, 30प्र0 राज्य में किसी व्यक्ति/फर्म/कम्पनी के पक्ष में स्वीकृत नहीं किया जायेगा। यदि किन्हीं परिस्थितियों में एक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी द्वारा अपने पक्ष में 05 खनन पट्टे या 400 हे0 से अधिक के खनन पट्टे स्वीकृत करा लिया जाता है, तो अन्त में स्वीकृत खनन पट्टे निरस्त कर पट्टा अन्तर्गत जमा सम्पूर्ण धनराशि जब्त कर ली जायेगी तथा केवल प्रारम्भ के पाँच क्षेत्र अथवा 400 हे0 के खनन पट्टे ही अनुमन्य होंगे। परन्तु यदि आवेदक स्वयं अपने पक्ष में 05 खनन पट्टे या 400 हे0 से अधिक के खनन पट्टे हेतु जारी लेटर ऑफ इटेंट की सूचना देता है, तो उक्त सीमा के अन्तर्गत कोई भी खनन पट्टा क्षेत्र के चयन का उसे अधिकार होगा तथा शेष क्षेत्रों की जमा धनराशि पुष्टि के उपरान्त यथावत वापस कर दी जायेगी।
14. जिलाधिकारी द्वारा ई-निविदा सह ई-नीलामी की प्रक्रिया को सम्पादित करते हेतु निम्नानुसार निविदा समिति का गठन किया जायेगा:-
- (1) जिलाधिकारी द्वारा नामित अपर जिलाधिकारी/प्रभारी अधिकारी खनन, (अध्यक्ष)
 - (2) जिलाधिकारी द्वारा नामित जिला स्तरीय वरिष्ठ अधिकारी, (सदस्य)
 - (3) जिले में तैनात ज्येष्ठ खान अधिकारी/खान अधिकारी/खान निरीक्षक, (सदस्य सचिव)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकी जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
 2- इस शासनादेश की प्रमाणांकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

जिलाधिकारी तथा समिति के सभी सदस्यों का डिजिटल सिग्नेचर (Class III Signing Cum Encryption) का होना आवश्यक है, यदि किसी सदस्य का उक्त डिजिटल सिग्नेचर नहीं है तो उसे तत्काल बनवा लिया जाय।

15. ई-निविदा सह ई-नीलामी की प्रक्रिया:-

(1) ई निविदा सह ई नीलामी दो चरणों में की जायेगी। प्रथम चरण में केवल ई निविदा विज्ञापन में निर्धारित तिथि एवं समय के अन्तर्गत डाली जायेगी। बिड/रायल्टी की दर प्रत्येक उपखनिज के लिए प्रतिघन मीटर के लिए दी जायेगी जो सम्बन्धित उपखनिज के लिए नियमावली-1963 के अनुसूची-1 में उल्लिखित रायल्टी की दर से कम नहीं होगा। द्वितीय चरण में ई निविदा में प्राप्त अधिकतम निविदा धनराशि को आधार मानकर ई नीलामी की बोली की न्यूनतम धनराशि निर्धारित होगी। प्रथम चरण के इच्छुक आवेदक उक्त न्यूनतम धनराशि के ऊपर विज्ञप्ति में प्रकाशित तिथि व समय के अनुसार आनलाईन बोली में भाग लेंगे।

(2) प्रथम चरण की समाप्ति के उपरान्त निम्नानुसार प्रक्रिया अपनायी जायेगी:-

(क) यदि प्रथम चरण में एक ही बिड प्राप्त होती है और उक्त बिड (ऑफर) में प्रतिघन मीटर दिया गया दर नियमावली-1963 के प्रथम अनुसूची में उस उपखनिज के लिए निर्धारित रायल्टी दर से 400 प्रतिशत से अधिक है तथा शेष शर्तें पूर्ण करता हो तो जिलाधिकारी द्वारा उस निविदादाता के पक्ष में लेटर आफ इन्टेंट जारी किया जायेगा।

(ख) यदि प्रथम चरण में केवल एक ही बिड प्राप्त होता है और उक्त बिड(आफर) में प्रतिघन मीटर में दिया गया दर नियमावली-1963 के प्रथम अनुसूची में उस उपखनिज के लिए निर्धारित रायल्टी दर से अधिक परन्तु 400 प्रतिशत से कम है तो जिलाधिकारी क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति, खनिज की उपलब्धता, खनिज की गुणवत्ता, उपखनिज का बाजार मूल्य, उस क्षेत्र में खनिज की मांग, क्षेत्र में अवैध खनन की सम्भावना, राजस्व की प्राप्ति आदि पर विचार करते हुए स्वविवेक से एकल निविदादाता के पक्ष में लेटर आफ इन्टेंट जारी करने अथवा न करने के सम्बन्ध में निर्णय लेंगे।

(ग) यदि प्रथम चरण में एक से अधिक परन्तु पाँच या पाँच से कम बिड प्राप्त होता है, तो सभी बिड कर्ता द्वितीय चरण की ई-नीलामी की प्रक्रिया में भाग लेने हेतु अर्ह होंगे तथा द्वितीय चरण के अधिकतम बोलीदाता के पक्ष में जिलाधिकारी द्वारा लेटर आफ इन्टेंट जारी किया जायेगा।

(घ) यदि पाँच से अधिक बिड/आफर प्राप्त होते हैं तब केवल पाँच सर्वाधिक निविदाकार ही द्वितीय चरण की ई नीलामी में भाग लेने हेतु अर्ह होंगे तथा द्वितीय चरण के अधिकतम बोलीदाता के पक्ष में ही जिलाधिकारी द्वारा लेटर आफ इन्टेंट जारी किया जायेगा।

(3) उपरोक्त प्रस्तर-15(2)(ग),(घ) के अनुसार प्रथम चरण के योग्य बोलीदाता द्वितीय चरण की नीलामी में भाग ले सकते हैं।

(4) द्वितीय चरण में ई नीलामी की प्रक्रिया की जायेगी। ई नीलामी की प्रक्रिया प्रथम चरण की अग्रसारित प्रक्रिया होगी, जिसमें प्रथम चरण में प्राप्त उच्चतम बिड/आफर द्वितीय चरण की ई नीलामी के लिए न्यूनतम बोली (Floor Price) स्वतः निर्धारित हो जायेगी।

(5) द्वितीय चरण की नीलामी की प्रक्रिया में नीलामी की निर्धारित अवधि के भीतर इच्छुक एवं अर्ह व्यक्ति/ फर्म/कम्पनी बोली में कई बार भाग ले सकता है। नीलामी की ऑनलाईन

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकी जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

प्रक्रिया में स्क्रीन पर अधिकतम बोली प्रदर्शित होती रहेगी और प्रदर्शित बोली से अधिक बोली ऑनलाइन ही दिया जा सकता है।

- (6) निर्धारित समय के पश्चात् बोली बन्द हो जायेगी और उसके उपरान्त कोई बोली नहीं दिया जा सकता है। बोली के अन्तिम समय में यदि कोई और बोली प्राप्त होती है तो नीलामी की बोली का समय स्वतः 05 मिनट के लिए बढ़ जायेगा। यह प्रक्रिया तब तक जारी रहेगी जब तक 05 मिनट के अन्तराल में कोई और बोली प्राप्त नहीं होती है।
- (7) ई निविदा सह ई नीलामी की कालयोजना एवं अवधि निम्नानुसार सम्पादित की जायेगी:-

प्रेस विजप्ति (विजप्ति का प्रकाशन)	प्रथम दिन
प्रथम चरण ई निविदा (ई टेण्डर) की अवधि	31वें दिन (पूर्वाह्न 10.00 बजे) से 34वें दिन (सायं 05.00 बजे) तक
प्रथम चरण में प्राप्त ई-निविदा(बिड) का खोला जाना एवं उसका मूल्यांकन	35वें दिन से 36वें दिन तक
द्वितीय चरण ई नीलामी की अवधि	37वें अथवा उसके बाद के दिन जैसा जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित किया जायेगा। (पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न 01.00 बजे तक) अथवा (अपराह्न 02.00 बजे से सायं 05.00 बजे तक)

- (8) परिणाम की घोषणा एवं उसका प्रदर्शन:

क. प्रथम चरण की निविदा प्रक्रिया का परिणाम निविदाकार (Tenderer) के लॉगिन पर प्रदर्शित होगा। प्रथम चरण के निविदा प्रक्रिया के समापन के पश्चात् अधिकतम निविदा धनराशि (बिडिंग एमाउन्ट) प्रदर्शित की जायेगी। सभी निविदाकार द्वितीय चरण की बोली हेतु वे योग्य हैं अथवा नहीं को भी लॉगिन कर जान सकते हैं।

ख. एकल निविदा के मामले को छोड़कर शेष मामलों में द्वितीय चरण की नीलामी समाप्त होने के उपरान्त प्राप्त अधिकतम बोली उसके बोलीदाता का विवरण एम0एस0टी0सी0 के निर्धारित पोर्टल पर प्रदर्शित किया जायेगा।

16. पट्टे का दिया जाना: नियमावली के नियम-28 के प्रावधानों के अनुसार ई-निविदा सह ई नीलामी के मामले में उस बोली या प्रस्ताव को प्रस्तर-15(2) में दिये गये प्रक्रिया के अनुसार जिलाधिकारी स्वीकार करेंगे जो उच्चतम हो। जिलाधिकारी द्वारा सफल एवं नियमानुसार अर्ह बोलीदाता/निविदादाता को उनके द्वारा प्रस्तुत मूल अभिलेख के सत्यापन के एक सप्ताह के अन्दर लेटर आफ इन्टेंट निर्गत किया जायेगा।

17. ई-नीलामी समाप्त होने के पश्चात 03 कार्य दिवस के अन्दर सफल बोलीदाता को अपने मूल अभिलेख का सत्यापन उस जनपद के जिलाधिकारी जहाँ क्षेत्र स्थित है, के द्वारा अथवा निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, निदेशालय के द्वारा कराना होगा। निदेशक द्वारा मूल अभिलेख की सत्यापन की स्थिति में अभिलेख सत्यापन की आख्या ई-मेल के माध्यम से संबंधित जिलाधिकारी को प्रेषित की जायेगी। अभिलेख सत्यापन के पश्चात ही जिलाधिकारी द्वारा लेटर आफ इन्टेंट जारी किया जायेगा। सत्यापन में यदि कोई अभिलेख अथवा प्रमाण पत्र कूटचित, असत्य अथवा गलत पाया जाता है तो लेटर आफ इन्टेंट जारी नहीं किया जायेगा तथा बयाने की धनराशि (अर्नेस्ट मनी) जब्त कर ली जायेगी।

18. लेटर आफ इन्टेंट में निम्न विवरण होंगे:-

1- यह शासनद्वारा इलेक्ट्रॉनिकी जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनद्वारा की प्रमाणिकता वेब साइट <http://dnhamanadesh.ou.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- (1) प्रथम वर्ष के लिए देय नीलामी धनराशि की गणना पट्टा क्षेत्र के लिए विज्ञप्ति में आकलित मात्रा घन मी0 को निविदा/नीलामी की दर रूपया घन प्रति मी0 से गुणा कर निकाली जायेगी। खनन पट्टा के अनुवर्ती वर्षों में प्रत्येक वर्ष पिछले वर्ष की नीलामी की धनराशि पर 10 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी।
 - (2) सफल बोलीदाता/निविदादाता, पट्टे की निर्बन्धनों और शर्तों का यथोचित पालन करने के लिए प्रतिभूति के रूप में प्रथम वर्ष के लिए बोली/निविदा की सकल धनराशि का 25 प्रतिशत और स्वामित्व की पहली किश्त के रूप में प्रथम वर्ष के लिए बोली/निविदा की सकल धनराशि का 25 प्रतिशत दो कार्यदिवसों के अन्दर जमा करेगा। बयाने की धनराशि (अर्नेस्ट मनी) प्रथम किश्त में समायोजित कर ली जायेगी।
 - (3) पट्टे के प्रथम वर्ष की शेष किश्ते एवं अनुवर्ती वर्षों में बोली/निविदा के आधार पर प्रथम वर्ष के लिए निर्धारित सकल धनराशि पर प्रत्येक वर्ष विगत वर्ष से 10 प्रतिशत वृद्धि के साथ नियमावली-1963 के चतुर्थ अनुसूची (छाया प्रति संलग्न) के अनुसार जमा की जायेगी।
 - (4) पट्टाधारक नियम-17 के प्रावधानों के अनुसार क्षेत्र का सीमांकन कराया जायेगा तथा नियम-35 के अनुसार सीमा स्तम्भ लगायेगा एवं इसका अनुरक्षण करेगा।
 - (5) चयनित आवेदक नियम-34 के प्राविधानों के अन्तर्गत निर्धारित अवधि के अन्दर खनन योजना, माइन्स क्लोजर प्लान एवं भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 सपठित अधिसूचना दिनांक 15.01.2016 तथा समय-समय पर यथा संशोधित उपबन्धों के अधीन पर्यावरण अनापत्ति प्राप्त कर उसे प्रस्तुत करेगा।
 - (6) प्रत्येक पट्टाधारक द्वारा नियम-34 के अनुसार क्षेत्र के भूमि उद्धार और पुर्नवासन उपाय हेतु वित्तीय आश्वासन की धनराशि निर्धारित रीति से जमा करेगा।
 - (7) लेटर आफ इन्टेंट जारी होने के एक माह के अन्दर अनुमोदन हेतु खनन योजना निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा तथा अनुमोदित खनन योजना प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर सक्षम प्राधिकरण के समक्ष पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।
19. सफल बोलीदाता/निविदादाता द्वारा धनराशि जमा करने की रीति:
- (1) स्वीकृत पट्टे की अवधि 05 वर्ष होगी, परन्तु बोली/निविदा की धनराशि प्रथम वर्ष के लिए मानी जायेगी। प्रत्येक अनुवर्ती वर्ष में पिछले वर्ष से 10 प्रतिशत वृद्धि के साथ आगामी वर्ष में पट्टा धनराशि देय होगी। प्रथम वर्ष एवं अनुवर्ती वर्षों के लिए पट्टा धनराशि नियमावली-1963 के चतुर्थ अनुसूची के अनुसार पट्टाधारक द्वारा जमा की जायेगी।
 - (2) लेटर आफ इन्टेंट प्राप्त होने के उपरान्त सफल बोलीदाता/निविदादाता द्वारा 25 प्रतिशत प्रतिभूति जमा एवं 25 प्रतिशत प्रथम किश्त अर्थात् पट्टे के प्रथम वर्ष के लिए निर्धारित पट्टा धनराशि का 50 प्रतिशत के समतुल्य धनराशि एम0एस0टी0सी0 के ई पेमेन्ट गेट वे पर आर0टी0जी0एस0/एन0ई0एफ0टी0 द्वारा लेटर आफ इन्टेंट जारी होने के दो कार्य दिवसों के अन्दर जमा किया जाना होगा। उक्त धनराशि जमा करने से पूर्व सफल निविदादाता/बोलीदाता द्वारा जमा प्री बिड अर्नेस्ट मनी समायोजित कर ली जायेगी। यदि सफल बोलीदाता/निविदादाता उक्त धनराशि जमा करने में असफल होता है तो उसके द्वारा जमा अर्नेस्ट मनी जब्त कर ली जायेगी और उसके द्वारा इस सम्बन्ध में कोई शिकायत अथवा प्रत्यावेदन विचार योग्य नहीं होगा।
 - (3) प्रथम वर्ष के लिए शेष 75 प्रतिशत पट्टा धनराशि एवं आगामी वर्षों के लिए पट्टा धनराशि नियमावली में निर्धारित चतुर्थ अनुसूची के अनुसार राज्य सरकार द्वारा समय समय पर

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिक्ता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पट्टाधारक द्वारा जमा की जायेगी। उक्त अनुसूची में नियत तिथि के अनुसार देय धनराशि जमा न करने की दशा में नियम-59 के अनुसार देय धनराशि ब्याज सहित वसूल की जायेगी।

- (4) पट्टाधारक द्वारा राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित कर एवं शुल्क यथा आयकर विभाग का टी0सी0एस0, जिला खनिज फाउण्डेशन (डी0एम0एफ0), आदि नियमानुसार जमा किया जायेगा।
20. शर्त:- विज्ञप्ति में निम्न शर्तें दी जायेंगी:-
- (1) ई निविदा सह ई नीलामी में भाग लेने से पूर्व क्षेत्र में आंकलित उपखनिज की मात्रा एवं खनन स्थल के लिए पहुँच मार्ग आदि के सम्बन्ध में मौके का निरीक्षण कर बिडर स्वयं आश्वस्त हो ले। ई निविदा सह ई नीलामी में भाग लेने के पश्चात् इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- (2) पट्टाधारक पट्टे के अधीन दिये गये क्षेत्र के सर्वेक्षण और सीमांकन के समय सीमांकित मानचित्र पर खनन पट्टा क्षेत्र का कार्डिनेट्स अंकित करेगा तथा पट्टा विलेख निष्पादन करने के पूर्व पट्टाधारक अपने स्वयं के व्यय पर ऐसे सीमा चिन्ह को और खम्बे को लगायेगा जो पट्टा विलेख से संलग्न नक्शे में दर्शाये गये सीमांकन को इंगित करने के लिए आवश्यक होगा।
- (3) पट्टा अभिलेख के निष्पादन के दिनांक से छः माह के भीतर खनन संक्रियायें प्रारम्भ करेगा और तत्पश्चात् जान बूझकर कोई स्थगन किये बिना ऐसी खनन संक्रियाओं का संचालन उचित और दक्षतापूर्ण रीति से कुशल कारीगर की भाँति करेगा।
- (4) पट्टा धारक नियम-35 के अनुसार वाहनों के प्रवेश व निकासी पर निगरानी के लिए स्वयं के व्यय पर 360 डिग्री कोण पर दृश्यता रिकार्डिंग के योग्य चार सी0सी0टी0वी0 कैमरा लगाने सहित चेक पोस्ट/गेट का निर्माण करेगा। पट्टाधारक उक्त चेक पोस्ट/गेट पर आर0एफ0आई0डी0 स्कैनर भी रखेगा, जिससे संबंधित खनन पट्टा क्षेत्र से उपखनिजों के परिवहन हेतु प्रयुक्त प्रत्येक यान के सापेक्ष निर्गत किये गये ई-प्रपत्र एम0एम0-11 पर अंकित बार कोड का डाटा पढ़ने और सुरक्षित रखने की सुविधा होगी और उसका समुचित रूप से रख रखाव करेगा एवं सदैव उसे चालू रूप में अनुरक्षित रखेगा। पट्टाधारक उक्त सी0सी0टी0वी0 कैमरे और आर0एफ0आई0डी0 स्कैनरों द्वारा की गयी समस्त रिकार्डिंग को कम से कम 30 दिनों तक सुरक्षित रखेगा और नियम-66 के उपबन्धों के अधीन प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा रिकार्ड मांगे जाने पर उक्त रिकार्डिंग को उपलब्ध करायेगा।
- (5) पट्टाधारक प्रत्येक वाहन को ई-एम0एम0-11 सही विवरण सहित जारी करेगा। प्रत्येक वाहनों को निर्गत ई-एम0एम0-11 पर जनित बार कोड को चेक गेट पर पढ़ने तथा दर्ज डाटा सेव करने के लिए आर0एफ0आई0डी0 स्कैनर लगायेगा तथा सदैव उसका अनुरक्षण करेगा और उन्हे सही एवं चालू दशा में रखेगा। उक्त का अनुपालन न करने की दशा में नियमावली-1963 के नियम-59 के अन्तर्गत शास्ति का भागीदार होगा।
- (6) पट्टेदार 03 मीटर की गहराई अथवा जलस्तर में से जो कम हो, से अधिक गहराई में खनन संक्रियायें नहीं करेगा।
- (7) जिलाधिकारी द्वारा चिन्हित सुरक्षा क्षेत्र में खनन नहीं किया जायेगा।
- (8) नदी की जल धारा में सकशन मशीन, लिफ्टर आदि मशीनों द्वारा खनन कार्य नहीं किया जायेगा।

1- यह शासनद्वारा इलेक्ट्रॉनिकीय जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनद्वारा की प्रमाणिकता वेब साइट <http://khasanadesh.gov.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- (9) स्वीकृत क्षेत्र के अन्दर जहाँ परिवहन प्रपत्र निर्गत किया जायेगा, वहाँ पर खनिजों का विक्रय मूल्य प्रदर्शित करेगा।
- (10) यदि पट्टाधारक द्वारा नियमों व खनन पट्टा, पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र, खनन योजना आदि की शर्तों का उल्लंघन किया जाता है तो पट्टेदार को अपना मामला बताने की युक्ति युक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् जिलाधिकारी अथवा राज्य सरकार द्वारा पट्टा समाप्त किया जा सकता है।
- (11) मा0 उच्च न्यायालय, मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण अथवा मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का पालन किया जायेगा।
- (12) नियमों एवं शर्तों के उल्लंघन के परिणामस्वरूप यदि कोई वाद अथवा अपराधिक प्रक्रिया योजित होती है तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी पट्टाधारक की होगी एवं यदि इस सम्बन्ध में कोई व्यय होता है तो उसका वहन पट्टाधारक द्वारा किया जायेगा।
- (13) राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा यदि नियमों/अधिनियमों में कोई संशोधन होता है अथवा कोई शर्त अथवा विधि प्रख्यापित की जाती है तो वह पट्टाधारकों को मान्य होगा।
- (14) स्थानीय स्थिति तथा परिवेश को ध्यान में रखते हुए अन्य शर्तें जो जिलाधिकारी द्वारा उचित समझी जाये।

अतः उपरोक्तानुसार ई निविदा सह ई नीलामी के माध्यम से क्षेत्रों का व्यवस्थित करने की कार्यवाही शीघ्रताशीघ्र सम्पादित कर ली जाये।

संलग्नक-(1) नियमावली, 1963 की चतुर्थ अनुसूची।

(2) विज्ञप्ति का प्रारूप।

भवदीय,
राज प्रताप सिंह
अपर मुख्य सचिव

संख्या- 1875(1)/86-2017-तद्दिनांक

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, वन विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. प्रमुख सचिव, पर्यावरण विभाग उ0प्र0 शासन।
3. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
4. महाप्रबंधक (बी0ओ0) एम0एस0टी0सी0 लि0 लीलावती बिल्डिंग द्वितीय तल, 69 अरमेनियम स्ट्रीट, चेन्नई।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(आत्मा राम)
संयुक्त सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकी जरी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

186

संलग्नक:- 02

(77)



Government of India
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
(Issued by the State Environment Impact Assessment
Authority (SEIAA), UTTAR PRADESH)

ENVIRONMENTAL
CLEARANCE

To,

The Proponent

SHRI. CHANDRA PAL SINGH

Krishna Nagar Colony, Khera Gadiyagaon, Tehsil and District Jhansi, U.P
-284003

Subject: Grant of Environmental Clearance (EC) to the proposed Project Activity
under the provision of EIA Notification 2006-regarding

Sir/Madam,

This is in reference to your application for Environmental Clearance (EC)
in respect of project submitted to the SEIAA vide proposal number
SIA/UP/MIN/403744/2022 dated 11 Nov 2022. The particulars of the environmental
clearance granted to the project are as below.

1. EC Identification No.	EC23B001UP176919
2. File No.	7335-6342
3. Project Type	New
4. Category	B
5. Project/Activity including Schedule No.	1(a) Mining of minerals
6. Name of Project	"Sand/Morrum Mining" at Betwa River Bed
7. Name of Company/Organization	SHRI. CHANDRA PAL SINGH
8. Location of Project	UTTAR PRADESH
9. TOR Date	N/A

The project details along with terms and conditions are appended herewith from page
no 2 onwards.

Date: 28/04/2023


(e-signed)
Member Secretary
Member Secretary
SEIAA - (UTTAR PRADESH)

*Note: A valid environmental clearance shall be one that has EC identification
number & E-Sign generated from PARIVESH. Please quote identification
number in all future correspondence.*

This is a computer generated cover page.

PARIVESH

(Pro-Active and Responsive Facilitation by Interactive,
and Virtuous Environmental Single-Window Hub)





187 संलग्नक:- 02

State Level Environment Impact Assessment Authority, Uttar Pradesh

Directorate of Environment, U.P.
Vineet Khand-1, Gomti Nagar, Lucknow- 226010
E-Mail- doeuplko@yahoo.com, seiaaup@yahoo.com
Phone no- 0522-2300541

Reference- MoEFCC Proposal no- SIA/UP/MIN/403744/2022 & SEIAA, U.P File no-7335/6342

Sub: Environmental Clearance for Sand/Morrum Mining" at Betwa River Bed Gata No.- 314, Khand – 01, Village: Manikpura, Tehsil: Moth, District: Jhansi, U.P., (Leased Area: 4.75 Ha.).

Dear Sir,

This is with reference to your application / letter dated 09-06-2021, 11-08-2021, 11-11-2022, 23-11-2022 above mentioned subject. The matter was considered by 705th SEAC in meeting held on 25-11-2022 & 736th SEAC in meeting held on 20-03-2023 and 720th SEIAA in meeting held on 20-04-2023.

A presentation was made by the project proponent along with their consultant M/s P & M Solution to SEAC on 25-11-2022 & 20-03-2023.

Project Details Informed by the Project Proponent and their Consultant

The project proponent, through the documents and presentation gave following details about their project –

1. The environmental clearance is sought for "Sand/Morrum Mining" at Betwa River Bed Gata No.- 314, Khand – 01, Village: Manikpura, Tehsil: Moth, District: Jhansi, U.P., (Leased Area: 4.75 Ha.).
2. The terms of reference in the matter were issued by SEIAA, U.P. Ref. No. 271/Parya/SEIAA/6342/2021, Dated: 27/10/2021.
3. The public hearing was organized on 06/05/2022. Final EIA report submitted by the project proponent on 19/10/2022.
4. Salient features of the project as submitted by the project proponent:

1. On-line proposal No.	SIA/UP/MIN/403744/2022
2. File No. allotted by SEIAA,UP	7335/6342
3. Name of Proponent	Shri Chandra Pal Singh s/o Shri Bhopal Singh
4. Full correspondence address of proponent and mobile no.	R/o Krishna Nagar Colony, Khara Gadiyagaon, Tehsil & District: Jhansi (U. P)
5. Name of Project	"Sand/ Moram" Mining project at Betwa River Bed
6. Project location (Plot/Khasra/Gata No.)	Gata No.314,Khand No.01
7. Name of River	Betwa River
8. Name of Village	Manikpura
9. Tehsil	Moth
10. District	Jhansi, U.P.
11. Name of Minor Mineral	"Sand/ Moram" Mining project at Betwa River Bed
12. Sanctioned Lease Area (in Ha.)	Total Lease Area: 4.75 Ha
13. Mineable Area (in Ha.)	3.529 Ha
14. Zero Level mRL	-
15. Max. & Min mRL within lease area	Highest Point :162 mRL Lowest Point :159 mRL
16. Pillar Coordinates (Verified by DMO)	Sanction Lease Area Co-ordinate

संलग्नक:- 02

(Source: Verified Khasra Map)	Pillars	Latitude (N)	Longitude (E)
	A	25°39'4.99"N	78°58'40.82"E
B	25°39'09.27"N	78°58'43.45"E	
C	25°39'23.78"N	78°58'36.06"E	
D	25°39'20.91"N	78°58'40.71"E	
E	25°39'10.55"N	78°58'46.43"E	
F	25°39'03.30"N	78°58'43.62"E	
17. Total Geological Reserves (Source: Approved Mining Plan)	40,770 m ³		
18. Total Mineable Reserves (Source: Approved Mining Plan)	23,750 m ³		
19. Total Proposed Production (in five years)	1,18,750 m ³		
20. Proposed Production/year	23,750 m ³ per annum		
21. Sanctioned Period of Mine lease	5 years		
22. Method of Mining	Opencast, semi-mechanized		
23. No. of Working days	260 Days		
24. Working hours/day	8 hours/day		
25. No. Of Workers	52		
26. No. of vehicles movement/day	4 Units (Assumed Loading Capacity: 40 T/Unit)		
27. Type of Land	State Government Land		
28. Ultimate Depth of Mining (Source: Approved Mining Plan)	0.56 m (162 mRL - 161.44 mRL)		
29. Nearest metalled road from site	1500 m		
30. Water Requirement	Purpose	Requirement (KLD)	
	Drinking	0.260	
	Suppression of Dust	10.5	
	Plantation	7.125	
	Total	17.885	
31. Name of QCI Accredited Consultant with QCI No. and period of validity.	P AND M Solution Certificate No. : NABET/EIA/1922/IA0053, Valid Till Dec 10/2022		
32. Any litigation pending against the project or hand in any court	No		
33. Details of 500 m Cluster Map & certificate issued by Mining Officer	Cluster certificate issued by DMO (Mining Section), Jhansi. Letter No. 2197/30एम. एम. सी/2020-21, Date - 19/02/2021.		
34. Details of Lease Area in approved DSR	Letter.No.184/M 228/2017 (Khanan niti)-दिनांक: 01.07.2021Sr. No.-6		
35. Proposed CER Cost	Rs 2.80 Lakhs (2% of the total Project Cost)		
36. Proposed EMP Cost	Rs 34.65 Lakhs		
37. Length and width of Approach Road	Approach Road Length 1500 m & Width 7 m		
38. No. of Trees to be Planted	5000 Trees		
5. The mining would be restricted to unsaturated zone only above the phreatic water table and will not intersect the ground water table at any point of time.			
6. This project does not attract any of the general conditions applicable on mining projects specified in EIA Notification 14/09/2006.			

74

7. The mining operation will not be carried out in safety zone of any bridge or embankment or in eco-fragile zone such as habitat of any wild fauna.
8. There is no litigation pending in any court regarding this project.
9. The project proposal falls under category-1(a) of EIA Notification, 2006 (as amended).

Based on the recommendations of the State Level Expert Appraisal Committee Meeting (SEAC) held on 25-11-2022 & 20-03-2023 the State Level Environment Impact Assessment Authority (SEIAA) in its Meeting held 20-04-2023 and decided to grant the Environmental Clearance to the title project for collection of 23,750 m³ for lease area of 4.75 ha subject to effective implementation of the following General Conditions and specific conditions:-

General condition:

1. This environmental clearance is subject to allotment of mining lease in favour of project proponent by District Administration/Mining Department.
2. Forest clearance shall be taken by the proponent as necessary under law.
3. Any change in mining area, khasra numbers, entailing capacity addition with change in process and or mining technology, modernization and scope of working shall again require prior Environmental Clearance as per the provisions of EIA Notification, 2006 (as amended).
4. Precise mining area will be jointly demarcated at site by project proponent and officials of Mining/Revenue department prior to starting of mining operations. Such site plan, duly verified by competent authority along-with copy of the Environmental Clearance letter will be displayed on a hoarding/board at the site. A copy of site plan will also be submitted to SEIAA within a period of 02 months.
5. Mining and loading shall be done only within day hours' time.
6. No mining shall be carried out in the safety zone of any bridge and/or embankment.
7. It shall be ensured that standards related to ambient air quality/effluent as prescribed by the Ministry of Environment & Forests are strictly complied with. Water sprinklers and other dust control majors should be applied to take-care of dust generated during mining operation. Sprinkling of water on haul roads to control dust will be ensured by the project proponent.
8. All necessary statutory clearances shall be obtained before start of mining operations. If this condition is violated, the clearance shall be automatically deemed to have been cancelled.
9. Parking of vehicles should not be made on public places.
10. No tree-felling will be done in the leased area, except only with the permission of Forest Department.
11. No wildlife habitat will be infringed.
12. It shall be ensured that excavation of minor mineral does not disturb or change the underlying soil characteristics of the river bed /basin, where mining is carried out.
13. It shall be ensured that mining operation of Sand/Moram will not in any way disturb the, velocity and flow pattern of the river water significantly.
14. It shall be ensured that there is no fauna dependant on the river bed or areas close to mining for its nesting. A report on the same, vetted by the competent authority shall be submitted to the RO, PCB and SEIAA within 02 months.
15. Primary survey of flora and fauna shall be carried out and data shall be submitted to the RO, PCB and SEIAA within six months.
16. Hydro-geological study shall be carried out by a reputed organization/institute within six months and establish that mining in the said area will not adversely affect the ground water regime. The report shall be submitted to the RO, PCB and SEIAA within six months. In case adverse impact is observed /anticipated, mining shall not be carried out.
17. Adequate protection against dust and other environmental pollution due to mining shall be made so that the habitations (if any) close by the lease area are not adversely affected. The

संक्र- 02

73

status of implementation of measures taken shall be reported to the RO, UPPCB and SEIAA and this activity should be completed before the start of sand mining.

18. Need-based assessment for the nearby villages shall be conducted to study economic measures which can help in improving the quality of life of economically weaker section of society. Income generating projects/tools such as development of fodder farm, fruit bearing orchards, vocational training etc. can form a part of such program me. The project proponent shall provide separate budget for community development activities and income generating programmes.
19. Green cover development shall be carried out following CPCB guidelines including selection of plant species and in consultation with the local DFO/Horticulture Officer.
20. Separate stock piles shall be maintained for excavated top soil, if any, and the top soil should be utilized for green cover/tree plantation.
21. Dispensary facilities for first-aid shall be provided at site.
22. An Environmental Audit should be annually carried out during the operational phase and submitted to the SEIAA.
23. The District Mining Officer should quarterly monitor compliance of the stipulated conditions. The project proponent will extend full cooperation to the District Mining Officer by furnishing the requisite data/information/monitoring reports. In case of any violations of stipulated conditions the District Mining Officer will report to SEIAA.
24. The project proponent shall submit six monthly reports on the status of compliance of the stipulated environmental clearance conditions including results of monitored data (both in hard & soft copies) to the SEIAA, the District Officer and the respective Regional Office of the State Pollution Control Board by 1st June and 1st December every year.
25. A copy of the clearance letter shall be sent by the proponent to concerned Panchayat, Zila Parisad/ Municipal Corporation and Urban Local Body.
26. Transportation of materials shall be done by covering the trucks / tractors with tarpaulin or other suitable mechanism to avoid fugitive emissions and spillage of mineral/dust.
27. Waste water, from temporary habitation campus be properly collected & treated before discharging into water bodies the treated effluent should conform to the standards prescribed by MoEF/CPCB.
28. Measures shall be taken for control of noise level to the limits prescribed by C.P.C.B.
29. Special Measures shall be adopted to protect the nearby settlements from the impacts of mining activities. Maintenance of Village roads through which transportation of minor minerals is to be undertaken, shall be carried-out by the project proponent regularly at his own expenses.
30. Measure for prevention & control of soil erosion and management of silt shall be undertaken. Protection of dumps against erosion, if any, shall be carried-out with geo textile matting or other suitable material.
31. Under corporate social responsibility a sum of 5% of the total project cost or total income whichever is higher is to be earmarked for total lease period. Its budget is to be separately maintained. CER component shall be prepared based on need of local habitant. Income generating measures which can help in upliftment of poor section of society, consistent with the traditional skills of the people shall be identified. The programme can include activities such as development of fodder farm, fruit bearing orchards, free distribution of smokeless Chula etc.
32. Possibility for adopting nearest three villages shall be explored and details of civic amenities such as roads, drinking water etc proposed to be provided at the project proponent's expenses shall be submitted within 02 months from the date of issuance of Environment Clearance.
33. The funds earmarked for environmental protection measures should be kept in separate account and should not be diverted for other purpose. Year wise expenditure should be reported to the Integrated Regional Office, MoEF&CC, Gol, Lucknow, SEIAA, U.P and UPPCB.
34. Action plan with respect to suggestion/improvement and recommendations made and agreed during Public Hearing shall be submitted to the District mines Officer, concern Regional Officer of UPPCB and SEIAA within 02 months.

संलग्नक:- 02

72

35. Environmental clearance is subject to obtaining clearance under the Wildlife (Protection) Act, 1972 from the competent authority, if applicable to this project.
36. The proponent shall observe every 15 day for nesting of any turtle in the area. Based on the observations so made, if turtle nesting is observed, necessary safeguard measures shall be taken in consultation with the State Wildlife Department. For the purpose, awareness shall be created amongst the workers about the nesting sites so that such sites, if any, are identified by the workers during operations of the mine for taking required safeguard measures. In this regards the safety notified zone should be left so that the habitat/nesting area is undisturbed.
37. The project proponent shall undertake adequate safeguard measures during extraction of river bed material and ensure that due to this activity the hydro geological regime of the surrounding area shall not be affected.
38. The project proponent shall obtain necessary prior permission of the competent Authorities for withdrawal of requisite quantity of water (surface water and groundwater), required for the project.
39. Appropriate mitigative measures shall be taken to prevent pollution of the river in consultation with the State Pollution Control Board. It shall be ensured that there is no leakage of oil and grease in the river from the vehicles used for transportation.
40. Vehicular emissions shall be kept under control and regularly monitored. The vehicles carrying the mineral shall not be overloaded.
41. Provision shall be made for the housing of construction labour within the site with all necessary infrastructure and facilities such as fuel for cooking, mobile toilets, mobile STP, safe drinking water, medical health care, crèche etc. (MoEF circular Dated : 22-09-2008 regarding stipulation of condition to improve the living conditions of construction labour at site).
42. Personnel working in dusty areas should wear protective respiratory devices and they should also be provided with adequate training and information on safety and health aspects. Occupational health surveillance program of the workers should be undertaken periodically to observe any contractions due to exposure to dust and take corrective measures, if needed.
43. A copy of the clearance letter shall be sent by the proponent to concerned Panchayat, Zila Parishad/ Municipal Corporation, Urban Local Body and the Local NGO, if any, from whom suggestions/ representations, if any; were received while processing the proposal. The clearance letter shall also be put on the website of the Company by the proponent.
44. The environmental statement for each financial year ending 31st March in Form-V as is mandated to be submitted by the project proponent to the concerned State Pollution Control Board as prescribed under the Environment (Protection) Rules, 1986, as amended subsequently, shall also be put on the website of the company along with the status of compliance of environmental clearance conditions and shall also be sent to the Integrated Regional Office, MoEF&CC, Gol, Lucknow by e-mail.
45. The green cover development/tree plantation is to be done in an area equivalent to 20% of the total leased area either on river bank or along road side (Avenue Plantation).
46. Debris from the river bed will be collected and stored at secured place and may be utilized for strengthen the embankment.
47. Safety measures to be taken for the safety of the people working at the mine lease area should be given, which would also include measure for treatment of bite of poisonous reptile/insect like snake.
48. Periodical and Annual medical checkup of workers as per Mines Act and they should be covered under ESI as per rule.

Specific Conditions:

1. District Mining Officer shall ensure that if mineable quantity mentioned in LOI is amended as per replenishment study report the project proponent shall seek amended/fresh EC.

2. Directions/suggestions given during public hearing and commitment made by the project proponent should be strictly complied.
3. A certificate from Forest Department shall be obtained that no forest land is involved in mining or as a route and if forest land is involved the project proponent shall obtain forest clearance and permission of Central and State Government as per the provisions of Forest (conservation) Act, 1980 and submit before the start of work.
4. The mining lease holders shall, after ceasing mining operations, undertake re-grassing the mining area and any other area which may have been disturbed due to their mining activities and restore the land to a condition which is fit for growth of fodder, flora fauna etc.
5. If the proposed project is situated in notified area of ground water extraction, where creation of new wells for ground water extraction is not allowed, requirement of fresh water shall be met from alternate water sources other than ground water or legally valid source and permission from the competent authority shall be obtained to use it.
6. Project Proponent should submit action plan for carrying out plantation at least @1,000 plants / ha of lease area. In this case, PP should prepare a plan, duly approved either by Forest Department or Horticulture Department, for planting at least 5,000 plants, either on government land or community land, within a periphery of 5 km from the boundary of the lease area along with provision for maintenance for 5 years. Survival of plants should not be less than the survival rate notified by Uttar Pradesh Forest Department otherwise it will be treated as violation of EC condition.
7. In consultation with District Environment Authority or an Authority nominated by concerned DM, project proponent will prepared a conservation and management plan for rejuvenation and management of water bodies having total surface area of more than 25 ha. Funds for the same will be kept in a separate bank account and six monthly compliance status will be presented by project proponent before the nominated authority in the District.
8. Department of Geology and Mines, Government of Uttar Pradesh and / or concerned district administration, before releasing the security deposit to Project Proponent will ensure that Project Proponent has fully complied with the EC conditions. Non-compliance, if any, should be reported to UPSPCB for appropriate legal action and recovery of compensation.
9. Any application for transfer of this EC, during its validity period unless it is cancelled by a competent authority, has to be necessarily accompanied with status of compliance of EC conditions duly certified by IRO, MoEFCC, GoI, Lucknow.
10. Number of mining projects are coming up in district. Department of Geology & Mines, GoUP to carry out regional EIA-EMP report including carrying capacity of environmental components to assess the capacity to further bear the pollution load for such areas within a period of 1 year and submit the same to SEIAA, UP for evaluation.
11. Department of Geology & Mines, GoUP in consultation with UPSPCB will establish required number of CAAQMS in district within a period of one year and submit geo-referenced map of these stations along with data. Details of existing CAAQMS, if any, be submitted within a period of three months.
12. Large number of mining projects are ongoing as well as new mining leases are coming up in the district. A reference be sent to DGM and MS, SPCB for preparing mitigation plan for controlling air pollution in the district especially in mining areas.
13. If the air quality deteriorates due to mining, then District Administration & Directorate of Mining should ensure that mining be stopped immediately. Adequate measures be taken for restoring air quality and mining should commence only when air quality attains the prescribed standards.
14. In compliance of Hon'ble NGT Order dated 06.05.2022, for subsequent years, Project Proponent shall submit fresh annual replenishment study to SEIAA, UP for amendment in EC for mineable quantity and maximum permissible depth for mining based on scientific findings of replenishment study. Such study shall be placed before SEAC for appraisal for next three years to assess rate of deposition and accordingly, mineable production capacity and depth can be

- prescribed based on trends analysis, provided it is found scientifically satisfactory by the SEAC.
- ▶ The placing of the study report SEAC is mandatory for initial three years.
 - 15. NOC from Irrigation Department/ Concerning Authority regarding river bed mining to be obtained before start of mining activity.
 - 16. The project proponent shall install solar light in their site office.
 - 17. During the submission of 6 monthly compliance reports, the project proponent should make sure that the periodically taken site photographs should also be annexed along with the compliance report.
 - 18. Preference should be given to indigenous local species as per the consultation of the local district Forest Officer.
 - 19. Link Road from the quarry site to the main road shall be constructed as an all-weather road with blacktopping and maintained by the project proponent.
 - 20. Vehicular emissions should be kept under control and regularly monitored. Suitable measures shall be taken for proper maintenance of vehicles used in a quarry operation and transportation.
 - 21. The project proponent should explore the possibilities of rainwater harvesting.
 - 22. Agreement/ Consent between project proponent and competent authority/ landowner for haulage road from lease site to link road.
 - 23. Latest technology (water sprinklers/ tankers) to be adopted for mitigating dust at source points in lease area and haulage road during operational activity/vehicular movement.
 - 24. As per the proposed plan, plantation with area specific plant species, number of plants to be planted.
 - 25. Water requirement details along with source of water and the permission/ agreement with the concerning authority/ water supplying agencies to be submitted.
 - 26. Submit the study report of lease area that the quantity given in Lol will be mined without affecting the geo-hydrology of the River.
 - 27. The Environmental clearance will be co-terminus with the mining lease period/mining plan whichever is less.
 - 28. At the time of operation, project proponent will comply with all the guidelines issued by Government of India/State Govt./District Administration related to Covid-19.
 - 29. Environment management in according to environmental status and impact of the project.
 - 30. During the school opening and closing time transportation of minerals will be restricted.
 - 31. Selection of plants for green belt should be on the basis of pollution removal index. Project proponent should ensure survival of tree saplings. Mortality should be replaced from time to time.
 - 32. No mining activity should be carried out in-stream channel as per SSMMG, 2016.
 - 33. Pakkamotorable haul road to be maintained by the project proponent.
 - 34. A separate Environmental Management Cell with suitable qualified personnel shall be set-up under the control of a Senior Executive, who will report directly to the Head of the Organization.
 - 35. Permission from the competent authority regarding evacuation route should be taken.
 - 36. One month monitoring report of the area for air quality, water quality, Noise level. Besides flora & fauna should be examined twice a week and be submitted within 45 days for a record.
 - 37. Provision for cylinder to workers should be made for cooking.
 - 38. The capacity of trucks/tractor for loading purpose will be in tonnes as per Transport Department applicable norms and standard fixed by the Government.
 - 39. Approach road kaccha is to be made motarable and tree saplings to be planted on both sides of the road. Width of the haul road shall be more than 6 meter.
 - 40. Indigenous plants should be planted according to CPCB guidelines and in consultation with local Divisional Forest Officer.
 - 41. The project proponent shall in 2 years conduct detailed replenishment study duly authenticated by a QCI-NABET accredited consultant, and the District Mines Officer.
 - 42. Provision for two toilets and hand pumps should be made at mining site.

43. Drinking water for workers would be provided by tankers.
44. Mining should be done by Bar scalping methods extraction (typically 0.3 -0.6 m or 1 - 2 ft) as per sustainable sand mining management guidelines 2016.
45. A buffer/safe zone shall be maintained from the habitation as per mining guidelines.
46. Corporate Environmental Responsibility (CER) plan shall be prepared by the project proponent and the details of the various heads of expenditure to be submitted as per the guidelines provided in the recent CER notification No. 22-65/2017-IA.III dated 01/05/2018.
47. Health/Insurance card, Medical claim, regular health check-up camps, facilities shall be provided to the regular/temporary/Contractual or any base workers. Copy of receipt shall be produced to the Directorate of Environment along with the compliance report.
48. Measure for conservation of water through rainwater harvesting and cleaning and maintenance of natural surface water bodies of the nearby areas may be considered as one of the activity in CER.
49. The excavated mining material should be carried and transported in such a way that no obstruction to the free flow of water takes place. Suitable measure should be taken and details to be provided to concern Department.
50. Submit annual replenishment report certified by an authorized agency. In case the replenishment is lower than the approved rate of production, then the mining activity / production levels shall be decreased / stopped accordingly till the replenishment is completed.
51. The project proponent shall ensure that if the project area falls within the eco-sensitive zone of National park/ Sanctuary prior permission of statutory committee of National board for wild life under the provision of Wildlife (Protection) Act, 1972 shall be obtained before commencement of work.
52. If in future this lease area becomes part of cluster of equal to or more than 05 ha. then additional conditions based on the EIA shall be imposed. The lease holder shall mandatorily follow cluster conditions otherwise it will amount to violation of E.C. conditions. If the certificate related to cluster provided by the competent authority is found false or incorrect then punitive actions as per law shall be initiated against the authority issuing the cluster certificate.
53. Project falling within 10 KM area of Wild Life Sanctuary is to obtain a clearance from National Board Wild Life (NBWL) even if the eco-sensitive zone is not earmarked.
54. To avoid ponding effect and adverse environmental conditions for sand mining in area, progressive mining should be done as per sustainable sand mining management guidelines 2016.
55. In case it has been found that the E.C. obtained by providing incorrect information, submitting that the distance between the two adjoining mines is greater than 500mt. and area is less than 05 ha, but factually the distance is less than 500 mt and the mine is located in cluster of area equal or more than 05 ha, the E.C issued will stand revoked.
56. The project proponent shall in 2 years conduct detailed replenishment study duly authenticated by a QCI-NABET accredited consultant, and the District Mines Officer which shall form the basis for midterm review of conditions of Environmental Clearance.
57. The mining work will be open-cast and manual/semi mechanized (subject to orders). Heavy machine such as excavator, scooper etc. should not be employed for mining purpose. No drilling/blasting should be involved at any stage.
58. It shall be ensured that there shall be no mining of any type within 03 m or 10% of the width which-ever is less, shall be left on both the banks of precise area to control and avoid erosion of river bank. The mining is confined to extraction of sand/moram from the river bank only.
59. The project proponent shall undertake adequate safeguard measures during extraction of river bank material and ensure that due to this activity the hydro-geological regime of the surrounding area shall not be affected.
60. The project proponent shall adhere to mining in conformity to plan submitted for the mine lease conditions and the Rules prescribed in this regard clearly showing the no work zone in the mine lease i.e. the distance from the bank of river to be left un-worked (Non mining area), distance

(6)

from the bridges etc. It shall be ensured that no mining shall be carried out during the monsoon season.

61. The project proponent shall ensure that wherever deployment of labour attracts the Mines Act, the provision thereof shall be strictly followed.
62. The project proponent will provide personal protective equipment (PPE) as required, also provide adequate training and information on safety and health aspects. Periodical medical examination of the workers engaged in the project shall be carried out and records maintained. For the purpose, schedule of health examination of the workers should be drawn and followed accordingly.
63. The critical parameters such as PM10, PM2.5, SO2 and NOx in the ambient air within the impact zone shall be monitored periodically. Further, quality of discharged water if any shall also be monitored [(TDS, DO, pH, Fecal Coliform and Total Suspended Solids (TSS)].
64. Effective safeguard measures, such as regular water sprinkling shall be carried out in critical areas prone to air pollution and having high levels of particulate matter such as loading and unloading point and all transfer points. Extensive water sprinkling shall be carried out on haul roads.
65. It should be ensured that the Ambient Air Quality parameters conform to the norms prescribed by the Central Pollution Control Board in this regard.
66. The extended mining scheme will be submitted by the proponent before expiry of present mining plan.
67. Four ambient air quality-monitoring stations should be established in the core zone as well as in the buffer zone for monitoring PM10, PM2.5, SO2 and NOx. Location of the stations should be decided based on the meteorological data, topographical features and environmentally and ecologically sensitive targets and frequency of monitoring should be undertaken in consultation with the State Pollution Control Board.
68. Common road for transportation of mineral is to be maintained collectively. Total cost will be shared/worked out on the basis of lease area among users.
69. Proponent will provide adequate sanitary facility in the form of mobile toilets to the labours engaged for the project work.
70. Solid waste material viz., gutkha pouchs, plastic bags, glasses etc. to be generated during project activity will be separately storage in bins and managed as per Solid Waste Management rules.
71. Natural/customary paths used by villagers should not be obstructed at any time by the activities proposed under the project.
72. Digital processing of the entire lease area in the district using remote sensing technique should be done regularly once in three years for monitoring the change of river course by Directorate of Geology and Mining, Govt. of Uttar Pradesh. The record of such study to be maintained and report be submitted to Integrated Regional Office, MoEF&CC, Gol, Lucknow, SEIAA, U.P. and UPPCB.
73. The project authorities shall advertise at least in two local newspapers widely circulated, one of which shall be in the vernacular language of the locality concerned, within 7 days of the issue of the clearance letter informing that the project has been accorded environmental clearance and a copy of the clearance letter is available with the State Pollution Control Board and also at web site of the SEIAA at <http://www.seiaaup.in> and a copy of the same shall be forwarded to the Integrated Regional Office, MoEF&CC, Gol, Lucknow, CPCB, State PCB.
74. The MoEF&CC/SEIAA or any other competent authority may alter/modify the above conditions or stipulate any further condition in the interest of environment protection.
75. Concealing factual data or submission of false/fabricated data and failure to comply with any of the conditions mentioned above may result in withdrawal of this clearance and attract action under the provisions of Environment (Protection) Act, 1986.

संलग्नक: 02
196

(67)

76. Any appeal against this environmental clearance shall lie with the National Green Tribunal, if preferred, within a period of 30 days as prescribed under Section 11 of the National Environment Appellate Authority Act, 1997.

77. Waste water from potable use be collected and reused for sprinkling.

78. A width of not less than 50 meter or 10% width of river can be restricted for mining activities from river bank. A condition can be imposed that mining will be done from river activities from river bank.

You shall also ensure that the proposed site is not a part of any no-development zone as required/prescribed/identified under law. In case of violation, this permission shall automatically deem to be cancelled. Also, in the event of any dispute on ownership or land use of the proposed site, this clearance shall automatically deem to be cancelled.

Any appeal against this EC shall lie with the National Green Tribunal, if preferred, within a period of 30 days as prescribed under Section 16 of the National Green Tribunal Act, 2010.

The above stipulated conditions will be enforced inter-alia, under the provisions of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974, the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981, the Environment (Protection) Act, 1986 and the Public Liability Insurance Act, 1991 along-with their amendments and rules made there under and also any other orders passed by the Hon'ble Courts of Law relating to the subject matter.

The project proponent will have to submit approved plans and proposals incorporating the conditions specified in the Environmental Clearance within 03 months of issuance of this clearance. The SEIAA/MoEF reserves the right to revoke the environmental clearance, if conditions stipulated are not implemented to the satisfaction of SEIAA/MoEF. SEIAA may impose additional environmental conditions or modify the existing ones, if necessary.

This is to request you to take further necessary action in matter as per provisions of Gazette Notification No. S.O. 1533(E) dated 14/09/2006, as amended and send regular compliance reports to the authority as prescribed in the aforesaid notification.

Copy, through email, for information and necessary action to –

1. Additional Chief Secretary, Department of Environment, Forest and Climate Change, Government of Uttar Pradesh, Lucknow (email – psforest2015@gmail.com)
2. Joint Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India, 3rd Floor, Prithvi-Block, Indira Paryavaran Bhawan, Jor Bagh Road, New Delhi-110003 (email – sudheer.ch@gov.in)
3. Deputy Director General of Forests (C), Integrated Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector "H", Aliganj, Lucknow – 226020 (email – roc.lko-mef@nic.in)
4. District Magistrate Jhansi.
5. Member Secretary, Uttar Pradesh Pollution Control Board, TC-12V, Paryavaran Bhawan, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010 (email – ms@uppcb.com)
6. Copy to Web Master for uploading on PARIVESH Portal.
7. Copy for Guard File.

(Ajay Kumar Sharma)
Member Secretary, SEIAA

Signature Not Verified
Digitally signed by Member
Secretary
Member Secretary

197
संलग्नक:- 03

Uttar Pradesh Pollution Control Board
 Building. No TC-12V Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010
 Phone:0522-2720828,2720831, Fax:0522-2720764, Email: info@uppcb.in, Website: www.uppcb.com

193439/UPPCB/Jhansi(UPPCBRO)/CTO/both/JHANSI/2023

Date: 19/10/2023

To,

M/s

Chandra Pal Singh

Gata No. 314, Khand 01 of Area 4.75 Ha, Village Manikpura,
 Tehsil Moth, District Jhansi, State Uttar Pradesh.,JHANSI,284003

Application Id- 22886493

Consolidated Consent to Operate and Authorisation hereinafter referred to as the CCA (Consolidated Consent & authorization) (Fresh) under Section-25 of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 and under Section-21 of the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981

CCA is hereby granted to **Chandra Pal Singh** located at **Gata No. 314, Khand 01 of Area 4.75 Ha, Village Manikpura, Tehsil Moth, District Jhansi, State Uttar Pradesh.,JHANSI,284003.** subject to the provisions of the **Water Act, Air Act** and the orders that may be made further and subject to following terms and conditions :-

1. This CCA Chandra Pal Singh granted for the period from 19/10/2023 to 31/12/2027 and valid for manufacturing of following products.

S No	Product	Quantity	Unit
1	Sand/Morrum	23750	Cubic Meters/Year

2. **Conditions under Water(Prevention and Control of Pollution) Act -1974 as amended :-**

(i) The daily quantity of effluent discharge (KLD) :-

Kind of Effluent	Quantity(KLD)	Treatment facility	Discharge point
Domestic	1.0 kld	Septic Tank	soak pit

(ii) Trade Effluent Treatment and Disposal :-The applicant shall operate Effluent Treatment Plant consisting of primary/secondary and tertiary treatment as is required with reference to influent quantity and quality.

In case of stoppage of functioning of ETP, production has to be stopped immediately and this Board has to be intimated by fax/phone/email with a report in this regard to be dispatched immediately.

(iii) The treated effluent shall be recycled to the maximum extent and should be reused within the premises for gardening etc. Quality of the treated effluent shall meet to the following general and specific standards as prescribed under Environment (Protection) Rules, 1986 and applicable to the unit from time-to-time :-

Industrial Effluent Quality Standard

S.No.	Parameter	Standard
-------	-----------	----------

(iv) Sewage Treatment and Disposal :- The applicant shall provide comprehensive STP as is required with reference to influent quantity and quality. In case of stoppage of functioning of STP, production has to be stopped immediately and this Board has to be intimated by fax/phone/email with a report in this regard to be dispatched immediately.

(v) The treated sewage shall be reused in gardening as far as possible. The STP shall be maintained continuously so as to achieve the quality of the treated sewage to the following standards.

S No.	Parameters	Standards
-------	------------	-----------

3. Conditions under Air (Prevention and Control of Pollution) Act -1981 as amended :-

i) The applicant shall use following fuel and install a comprehensive control system consisting of control equipment as required with reference to generation of emissions and operate and maintain the same continuously so as to achieve the level of pollutants to the following standards.

Air Pollution Source Details

S No.	Air Pollution Source	Type of fuel	Stack no	Control Device	Height of Stack
1	Dust emission during manual mining, transportation and loading/unloading of Sand/Morrum.			Particulate Matter	water sprinkling system and Green Belt for controlling dust emission.

Emission Quality Standards

S No.	Stack no	Parameters	Standards
1		Particulate Matter	Ambient Air Standard as per E(P) Act 1986

In case of stoppage of functioning of air pollution control equipment, production has to be stopped immediately and this Board has to be intimated by fax/phone/email with a report in this regard to be dispatched immediately

(ii) The unit will not use any type of restricted fuel.

iii) Noise from the D.G. Set and other source(s) should be controlled by providing an acoustic enclosure as is required for meeting the ambient noise standards for night and day time as prescribed for respective areas/zones (Industrial, Commercial, Residential, Silence) which are as follows :-

Day time : from 6.00 a.m. to 10.00 p.m., Night time: from 10.00 p.m. to 6.00 a.m.

Standards for Noise level in db(A) Leq	Industrial Area		Commercial Area		Residential Area		Silence Zone	
	Day Time	Night Time	Day Time	Night Time	Day Time	Night Time	Day Time	Night Time
	75	70	65	55	55	45	50	40

4. Essential documents to be submitted by the Industry/Unit as Applicable :-

(i) Environment Statement in Form-V of Environment (Protection) Rules, 1986.

(ii) Quarterly compliance report of the CCA, photograph of ETP/APCs/Waste Storage Area.

5. Competent Authority reserves the right to change/modify/add any time any condition of this CCA.
6. Unit has to comply with the following specific & general conditions. Non compliance of any provision of this CCA and provisions of the Water Act, Air Act and Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 will result in legal action under the aforesaid Acts and Rules.
7. In compliance to the G.O 1011/81-7-2021-09 (Writ)/2016 dated.13.10.2021 issued by Department of Environment, Forest and Climate Change, Uttar Pradesh. You are directed to develop Miyawaki Forest as per the SOP available at URL:-<http://www.uppecp.in/TrainingSession.aspx> for ensuring timely compliance of this direction, you are hereby directed to submit a bank guarantee with minimum validity of one year of the amount equivalent to the sum of initial consent fees (Air and Water) or Rs. 50,000/- (Rs. Fifty Thousand Only) whichever is more, within 30 days from the date of issuance of this certificate. In case of non-compliance of this direction, your consent will be revoked by the Board.
8. If the unit uses the ground water and requires the permission from SGWA/CGWA for water abstraction then the industry will have to obtain No objection certificate for abstraction of ground water. It will be the responsibility of the industry to comply with the various conditions of the NOC obtained from the competent authority and submit to the Board, within 3 months time failing which CTO will be revoked.

General Conditions:-

1. The applicant shall get analysed the samples of effluent/emission/hazardous wastes at least once in a three month from the laboratory recognized by the MoEF and shall report to the UPPCB.
2. The applicant shall however, not without the prior consent of the Board bring into use any new or altered outlet for the discharge of effluent or gases emission or sewage waste from the unit.
3. Treated Industrial waste water and domestic waste water shall be disposed jointly at one disposal point. The applicant shall provide discharge measurement equipment at final disposal point.
4. The applicant shall strictly comply with conditions of this CCA and submit compliance report of stipulated conditions within 30 days of receipt of this CCA. If at any point of time, it is found that the industry is not complying with stipulated conditions or any further direction/instruction issued by the Board, legal action shall be initiated against the applicant.
5. The applicant shall maintain good house keeping. All valves/pipes/sewer/drains etc. must be leak-proof
6. The industry shall provide uninterrupted entry to the STP/ETP inlet and outlet points, Air Pollution Control equipment and stack for smooth sampling/monitoring of efficiency of pollution control systems.
7. The industry shall provide Inspection Book at the time of inspection to the Board's officials.
8. Whenever due to any accident or other unforeseen act or event, such emission occurs or is apprehended to occur in excess of standards laid down, such information shall be reported to the Board's offices and all other concerned offices. In case of failure of pollution control equipment, the production process connected to it shall be stopped with immediate effect.
9. The industry shall operate in a manner so that all emissions be emitted through designated chimney/stack only.
10. In case of any damage to the agriculture productivity, human habitation etc. by the operation of industry, it shall be imperative to stop production in the industry with immediate effect and such information shall be reported to Board's offices. The industry shall be liable to pay compensation also in such cases as decided by the Competent Authority.
11. The applicant shall apply before the 60 days of expiry of CCA or any change in production types/production capacity/manufacturing process/capacity enhancement etc. or any change in effluent discharge point or emission point
12. The Board reserves the right to revoke/add/modify any stipulated condition issued along with CCA, as may be necessary.

200 क. - 03

Specific Conditions:-

1. This consent is valid for production capacity Sand/Morrum- 23750 Cu meter/Year by opencast and semi mechanized mining in 4.75 Hectare Lease area at Gata No. 314, Khand 01 Village Manikpura, Tehsil Moth, District Jhansi, State Uttar Pradesh
2. Mining unit shall comply with the conditions of Environmental Clearance issued by State Level Environment Impact Assessment Authority (SEIAA) vide EC Identification No. EC23B001UP176919 dated 28.04.2023, and submit its compliance report to UPPCB.
3. If the lease agreement expires prior to 31-12-2027, then the validity of this CTO shall stand expired simultaneously with the expiry of mining lease/Environmental Clearance.
4. Mining shall be done as per EC issued by SEIAA and directions given by Mining Department/District Administration.
5. The unit shall submit the latest copy of Audited Balance Sheet/C.A. Certificate (Fixed Assets+ Current Assets - Current Liabilities) for verification of the Consent fee payable by the industry within 15 days. In case CTO fee dues then it shall be submitted to the Board immediately.
6. Unit shall develop and maintain green belt as per the conditions of Environmental Clearance.
7. Unit shall not withdrawal ground water for any industrial activity without obtaining necessary permission from UPGWA.
8. The domestic effluent shall be treated through septic tank/soak pit or provide mobile toilet facility. Industry shall maintain ZLD.
9. Unit shall make water sprinkling arrangement through Tankers for dust suppression at different sources of dust emission during mining, transportation, loading and unloading of Sand/Morrum.
10. Unit should operate and maintain installed water sprinkler system effectively and continuously to achieve the standards prescribed under E(P) Rules, 1986.
11. Unit shall submit ambient air monitoring reports of NABL accredited laboratory on quarterly basis to the Board.
12. All trucks, tractors used in transportation of Sand/Morrum shall be covered by canvas sheet to prevent dust emission.
13. Water will be sprayed after loading activity (if Sand/Morrum collected could be dry condition)
14. The dust suppression measures like water spraying will be done on the haul roads and working areas.
15. Industry should comply with the provisions of Hazardous and Other waste (Management & Trans boundary Movement) Rules 2016.
16. Solid waste should be disposed in such manner, so that no water, air and soil pollution takes place.
17. Industry shall abide by directions given by Hon'ble Court, Hon'ble NGT, MoEF & CC, Central Pollution Control Board, UPPCB and District Administration for protection and safe guard of environment from time to time.
18. Consent fees if revised, shall be payable by industry from the date of its applicability.
19. Industry shall comply with the relevant provisions of Environmental Laws.
20. If closure order is issued by CPCB or UPPCB against the unit, then CTO issued earlier will remain suspended during the closure period and after ensuring the compliance and after revocation of closure order, the CTO will automatically be effective with additional conditions mentioned in the closure revocation order.

RAJENDRA SINGH
 Digitally signed by RAJENDRA SINGH
 Date: 2024.01.08 13:55:11 +05:30

Chief Environmental Officer (circle-2)

Copy to:

संलग्नक:- 03



मिशन LiFE - पर्यावरण के लिए जीवन शैली
(Lifestyle For Environment)
जनसहभागिता का सन्देश



- स्वच्छता - देशसेवा में अपने परिवेश की स्वच्छता हेतु अपना सक्रिय योगदान सुनिश्चित करें
- संकल्प लें -एकल उपयोग प्लास्टिक उत्पाद जैसे कप, तश्तरी, चम्मच, स्ट्रॉ, ईयरबड्स आदि का उपयोग न हो एवं पर्यावरण अनुकूल विकल्पों जैसे कागज/पत्तों से बने दोने या कटलरी को प्राथमिकता दी जाय |
- एकल उपयोग प्लास्टिक उत्पाद के प्रयोग को रोकने एवं प्लास्टिक बैग के बजाय कपडे के थैले का उपयोग करने मात्र से 375 मिलियन टन ठोस (प्लास्टिक) कचरे का उत्सर्जन बचाया जा सकता है
- चक्रीय अर्थव्यवस्था (मर्क्युर डिकोनाॅमी) का ममुचित कार्यान्वयन वर्ष 2030 तक लगभग 14 लाख करोड़ रुपये की अतिरिक्त वचत उत्पन्न कर सकता है | वेस्ट /अपशिष्ट फेकने के पूर्व सोचें, ये किमी का संसाधन तो नहीं ...?
- अनुपयोगी इलेक्ट्रिक / इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद को कचरे में फेकने से रुकें | इसके उपयुक्त निस्तारण हेतु इसे प्राधिकृत ई - वेस्ट रीगाइकलर को दें | प्राधिकृत ई-रीसाइकिलिंग इकाई में अनुपयोगी इलेक्ट्रिक / इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद को देने मात्र से 0.75 मिलियन टन तक ई-कचरे का पुनर्चक्रण किया जा सकता है एवं ई-कचरे के विषम पर्यावरणीय दुष्प्रभाव से बचा जा सकता है
- बाहर जाने समय - सोचें कि क्या आपको वास्तव में परिवहन की आवश्यकता है - वह भी क्या व्यक्तिगत रूप से ? छोटी दूरी के लिए पैदल चलना पसंद करें, अथवा सम्भव हो तो कार पूल के रूप में संसाधन को माझा करें अथवा सार्वजनिक परिवहन पर विचार करें
- घरेलू स्तर पर कम से कम ठोस अपशिष्ट का उत्सर्जन करें और इनका प्रशाक्तीकरण करें
- उपयोगी शेष खाद्य सामग्री आपके स्वयं प्रयास अथवा निकटस्थ सक्रिय स्वयं सेवी संस्थाओं की सहायता से समाज के वंचित वर्ग तक पहुंचाई जा सकती है | वहीं अनुपयोगी भोजन /खाद्य सामग्री को कंपोस्ट (वर्मी कम्पोस्ट) करने से 15 अरब टन भोजन को नष्ट होने से बचाया जा सकता है
- ध्यान रखें - उपयुक्त नल और शावर के उपयोग से पानी की खपत को 30 - 40% तक कम किया जा सकता है। एवं उपयोग में न होने पर नलों को बंद रखने मात्र से 9 ट्रिलियन लीटर पानी बचाया जा सकता है
- ट्रेफिक लाइट/रेलवे क्रॉसिंग पर कार/स्कूटर के इंजन बंद करने मात्र से 22.5 बिलियन kWh तक ऊर्जा की बचत हो सकती है
- परम्परागत बल्ब के स्थान पर CFL का उपयोग बिजली की खपत में प्रभावी कमी लाते हैं | उपयोग में न होने पर बिजली उपकरणों को बंद करें | स्टार ग्रेडेड विद्युत उपकरणों के उपयोग को प्राथमिकता दें

हमारे द्वारा अपनी जीवन शैली की प्राथमिकताओं का उचित और पर्यावरण अनुकूल पुनर्निर्धारण समाज और पर्यावरण के प्रति हमारा दायित्व है |

कार्यालय जिलाधिकारी, झाँसी।

(खनिज अनुभाग)

पत्रांक:- 1897/30एम0एम0सी0/2023-24

दिनांक 10/01/2023


नोटिस

श्री चन्द्रपाल सिंह पुत्र श्री भोपाल सिंह
निवासी-कृष्णा नगर कॉलोनी खेरा, गढियागांव,
तहसील व जनपद-झाँसी।

जनपद-झाँसी के तहसील-मोंठ स्थित ग्राम-मानिकपुरा के आराजी संख्या-314 (खण्ड-1) में 4.750 हे० क्षेत्र पर बेतवा नदी तल स्थित बालू/मोरम का नीलामी पट्टा 05 वर्ष (दिनांक: 17.05.2023 से दिनांक: 16.05.2028 तक) की अवधि हेतु आपके पक्ष में स्वीकृत है। कतिपय शिकायतों के आधार पर दिनांक: 05.01.2024 को ग्राम-मानिकपुरा में स्वीकृत बालू/मोरम के खनन पट्टे का निरीक्षण खान निरीक्षक, झाँसी द्वारा किया गया। निरीक्षण के दौरान मौके पर खनन पट्टा में सीमास्तम्भ अपने जी०पी०एस० बाण्ड्री कॉडीनेट वाले स्थान पर लगा हुआ नहीं पाया गया एवं प्रतिबन्धित मशीन (लिफ्टर) का प्रयोग नदी की जलधारा में किया जाना पाया गया जिससे नदी की जलधारा में अवैध खनन किये जाने के साक्ष्य पाया गया। निरीक्षण के दौरान यह भी पाया गया कि वे-ब्रिज के समीप कोई बैरियर लगा हुआ नहीं पाया गया। आप द्वारा किया गया उक्त कृत्य उ०प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-3, 36 एवं 42(ज) का स्पष्ट उल्लंघन है।

आप द्वारा ऊपर उल्लिखित नियमों के उल्लंघन किये जाने के कारण उ०प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-58, 60(3) एवं 60(4) में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार प्रतिबन्धित मशीन लिफ्टर का प्रयोग किये जाने के कारण नियम-60(4) के अनुसार रू० 5,00,000.00, नदी की जल धारा में अवैध खनन किये जाने के कारण नियम-58 के अनुसार रू० 5,00,000.00 एवं सीमा स्तम्भ अपने निर्धारित स्थान पर न होने के कारण, वे-ब्रिज के समीप बैरियर न होने के कारण नियम-60(3) के अनुसार रू० 50,000.00 की धनराशि अधिरोपित की जाती है। इस प्रकार कुल रू० 10,50,000.00 (रूपया दस लाख पचास हजार मात्र) की धनराशि आप पर अधिरोपित की जाती है।


अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि नोटिस प्राप्ति के 03 दिन के भीतर निर्धारित धनराशि खनिज के लेखाशीर्षक "0853 अलोह खनन धातुकर्म उद्योग" में जमा कर, जमा ट्रेजरी चालान की प्रति इस कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में आपके विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्यवाही की जायेगी जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।



(श्यामलता आनन्द)

अपर जिलाधिकारी, न्यायिक,


झाँसी।




पत्रांक व तददिनांक:

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ०प्र०, खनिज भवन, लखनऊ।
- 2- जिलाधिकारी, झाँसी।



अपर जिलाधिकारी, न्यायिक,
झाँसी।



203

संलग्नक:- 04

CHALLAN

(अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योग, उ०प्र०)

Government of Uttar PradeshUttar Pradesh Treasury Form-209(1) - Challan for Depositing Money
[To be submitted through Net-Payment]

Challan No.: AKV240007636	Challan Date: 26/03/2024
Assessment Year: 2023-2024	Tax Period: ONETIME
Name of the Bank:	
Unique Id:	
Depositor Name:	Chandrapal singh
Depositor Address:	

Head	Description	Serial No.	Amount (in Rs.)
085300102010000	खनिज रियायत शुल्क किराया और स्वत्व शुल्क	1	550000.00
	Totals of the above heads	--	550000.00

A SUM OF Rs. 550000.00 AGAINST THE HEADS MENTIONED ABOVE --[THROUGH NET-PAYMENT TRANSACTION]-- ON HAS BEEN DEPOSITED BY THE DEPOSITOR.
(Depositor Remarks->Regarding notice no 1897 30 mmc dated 10012024 manikpura ghat aaraji no 314 khand 1 area 4.750 hec)
THE BANK REFERENCE NO. RECEIVED AFTER THE TRANSACTION IS : CPADQXXKU6, Scroll Date:-26/03/2024

संलग्नक:- 04
CHALLAN

(अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योग, उ०प्र०)

Government of Uttar Pradesh

Uttar Pradesh Treasury Form-209(1) - Challan for Depositing Money
 [To be submitted through Net-Payment]

Challan No.: AKV240003156	Challan Date: 07/02/2024
Assessment Year: 2023-2024	Tax Period: ONETIME
Name of the Bank:	
Unique Id:	
Depositor Name:	CHANDRAPAL SINGH
Depositor Address:	JHANSI

Head	Description	Serial No.	Amount (in Rs.)
085300102010000	खनिज रियायत शुल्क किराया और स्वत्व शुल्क	1	500000.00
	Totals of the above heads	--	500000.00

A SUM OF Rs. 500000.00 AGAINST THE HEADS MENTIONED ABOVE --[THROUGH NET-PAYMENT TRANSACTION]-- ON HAS BEEN DEPOSITED BY THE DEPOSITOR.
 (Depositor Remarks->REGARDING NOTICE NO 1897 30MMC DATED 10JAN2024 PANALTY VILL MANIKPURA GATA NO 314 KHND 01)
 THE BANK REFERENCE NO. RECEIVED AFTER THE TRANSACTION IS : CPADMSSNB1, Scroll Date:-07/02/2024

संलग्नक:- 05

कार्यालय जिलाधिकारी, झाँसी।

(खनिज अनुभाग)

दिनांक 25/04/2024

पत्रांक:- 67/30एम0एम0सी0/2024-25

नोटिस

श्री चन्द्रपाल सिंह पुत्र श्री भोपाल सिंह
निवासी-कृष्णा नगर कॉलोनी, खेरा गढियागांव,
तहसील व जनपद-झाँसी।

आपके पक्ष में स्वीकृत खनन पट्टा के सम्बन्ध में दिनांक: 22.04.2024 को समय 11:43 AM बजे सोशल मीडिया प्लेटफार्म X पर ट्विटरकर्ता यूजर आईडी News1Indiatweet द्वारा किये गये पोस्ट के सम्बन्ध में दिनांक: 22.04.2024 को समय 04:00PM बजे ज्येष्ठ खान अधिकारी एवं खान निरीक्षक, झाँसी द्वारा निरीक्षण किया गया। प्रश्नगत खनन पट्टा क्षेत्र की निरीक्षण आख्या निम्नवत् है:-

1. पट्टाधारक द्वारा अपने खनन पट्टा क्षेत्र में जल स्तर आ जाने के उपरान्त भी खनन किये जाने के चिन्ह पाये गये। जो उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-42(ज)(1) का स्पष्ट उल्लंघन है।
2. स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र में सीमास्तम्भ अपने निर्धारित जी0पी0एस0 बाउण्ड्री कॉर्डिनेट पर लगा हुआ नहीं पाया गया जो उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-36(1) का उल्लंघन है।
3. PTZ कैमरा लगा हुआ पाया गया तथा मौके पर खनन कार्य बन्द पाया गया।

उपरोक्तानुसार प्रस्तुत निरीक्षण आख्या के अनुसार आप द्वारा किया गया उक्त कृत्य अपने खनन पट्टा क्षेत्र में जल स्तर आ जाने के उपरान्त भी खनन किये जाने के चिन्ह पाये जाने व खनन पट्टा क्षेत्र के बाउण्ड्री कॉर्डिनेट्स पर सीमास्तम्भ न लगाये जाने का कृत्य उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-36(1) व 42ज(1) का स्पष्ट उल्लंघन है। जिसमें नियम-60(3) (प्रति अवसर पच्चीस हजार रुपये की धनराशि) के अन्तर्गत नियमानुसार रू0 25,000.00 की शास्ति शुल्क के रूप एवं नियम-60(4) (प्रति अवसर पाँच लाख रुपये की धनराशि) के अन्तर्गत रू0 5,00,000.00 की धनराशि अधिरोपित कर कुल धनराशि रू0 5,25,000.00 की अधिरोपित किये जाने हेतु जिलाधिकारी महोदय द्वारा दिनांक: 24.04.2024 आदेश पारित किया गया।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि नोटिस प्राप्त के एक सप्ताह के अन्दर उपरोक्तानुसार निरीक्षण आख्या दिनांक: 22.04.2024 में उल्लिखित अनियमितताओं के सम्बन्ध में निर्धारित प्राविधानों के अनुसार शास्ति की कुल धनराशिरू0 5,25,000.00 खनिज के निर्धारित लेखाशीर्षक "अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग 0853" में जमा कर चालान की एक प्रति कार्यालय में उपलब्ध सुनिश्चित करें अन्यथा की स्थिति में शास्ति की अधिरोपित धनराशि की वसूली भू-राजस्व की भांति वसूल की जायेगी जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

अपर जिलाधिकारी(न्यायिक),
झाँसी।

पत्रांक व तद दिनांक:
प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशाल, उ0प्र0 लखनऊ सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. जिलाधिकारी, झाँसी।

अपर जिलाधिकारी(न्यायिक),
झाँसी।

206
संलग्नक:- 05**CHALLAN**

(अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योग, उ०प्र०)

Government of Uttar Pradesh

Uttar Pradesh Treasury Form-209(1) - Challan for Depositing Money

[To be submitted through Net-Payment]

Challan No.: AKV240012603	Challan Date: 30/05/2024
Assessment Year: 2024-2025	Tax Period: ONETIME
Name of the Bank:	
Unique Id:	
Depositor Name:	CHANDRAPAL SINGH
Depositor Address:	

Head	Description	Serial No.	Amount (in Rs.)
085300102010000	खनिज रियायत शुल्क किराया और स्वत्व शुल्क	1	525000.00
	Totals of the above heads	--	525000.00

A SUM OF Rs. 525000.00 AGAINST THE HEADS MENTIONED ABOVE --[THROUGH NET-PAYMENT TRANSACTION]-- ON HAS BEEN DEPOSITED BY THE DEPOSITOR.
 (Depositor Remarks->regarding notice no 67 30 MMC 2024 25 DATED 25042024 PENALITY MANIKPURA GHAT)
 THE BANK REFERENCE NO. RECEIVED AFTER THE TRANSACTION IS : CPADVZFT8, Scroll Date:-30/05/2024

207

संलग्नक:-06

कार्यालय जिलाधिकारी, झाँसी।

(खनिज अनुभाग)

पत्रांक:- 104 / 30एम0एम0सी0 / 2024-25

दिनांक 04/05 / 2024

नोटिस

श्री चन्द्रपाल सिंह पुत्र श्री भोपाल सिंह
निवासी-कृष्णा नगर कॉलोनी, खेरा गढियागांव,
तहसील व जनपद-झाँसी।

जनपद-झाँसी के तहसील-मोंठ स्थित ग्राम-मनिकपुरा के आराजी संख्या 314, रकवा 4.750 हे० क्षेत्र आपके पक्ष में स्वीकृत खनन पट्टा के सम्बन्ध में विभिन्न स्तरों से प्राप्त कतिपय शिकायतों का संज्ञान लेते हुए तहसील-मोंठ में नदी तल में संचालित खनन पट्टे का आकस्मिक निरीक्षण/छापेमारी की कार्यवाही तहसील स्तरीय टास्क फॉर्स टीम (राजस्व विभाग, पुलिस विभाग एवं खनिज विभाग) द्वारा उपजिलाधिकारी, मोंठ की अध्यक्षता में दिनांक: 01.05.2024 को किया गया। उक्त आकस्मिक निरीक्षण/छापेमारी के दौरान पाया गया कि "स्वीकृत पट्टा क्षेत्र में पाँच लिफ्टर मशीन होना पाया गया। आपका यह कृत्य उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 में उल्लिखित नियम-42(ज)(1) का उल्लंघन किया जाना पाया गया।"

उपरोक्तानुसार प्रस्तुत आकस्मिक निरीक्षण/छापेमारी आख्या के अनुसार आप द्वारा किया गया उक्त कृत्य अपने स्वीकृत पट्टा क्षेत्र में पाँच प्रतिबन्धित लिफ्टर होना पाया गया, का कृत्य उ०प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के 42ज(1) का स्पष्ट उल्लंघन है। जिसमें नियम-60(4) (प्रति अवसर पाँच लाख रुपये की धनराशि) के अन्तर्गत रू० 5,00,000.00 की धनराशि अधिरोपित कर कुल धनराशि रू० 25,00,000.00 की अधिरोपित किये जाने हेतु जिलाधिकारी महोदय द्वारा दिनांक: 03.05.2024 आदेश पारित किया गया।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि नोटिस प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर उपरोक्तानुसार निरीक्षण/छापेमारी आख्या दिनांक: 01.05.2024 में उल्लिखित अनियमितताओं के सम्बन्ध में निर्धारित प्राविधानों के अनुसार शास्ति की कुल धनराशि रू० 25,00,000.00 खनिज के निर्धारित लेखाशीर्षक "अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग 0853" में जमा कर चालान की एक प्रति कार्यालय में उपलब्ध सुनिश्चित करें अन्यथा की स्थिति में शास्ति की अधिरोपित धनराशि की वसूली भू-राजस्व की भांति वसूल की जायेगी जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

अपर जिलाधिकारी(न्यायिक),
झाँसी।

पत्रांक व तद दिनांक:

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशाल, उ०प्र० लखनऊ सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. जिलाधिकारी, झाँसी।

अपर जिलाधिकारी(न्यायिक),
झाँसी।

संलग्नक: 06
208**CHALLAN**

(अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योग, उ०प्र०)

Government of Uttar Pradesh

Uttar Pradesh Treasury Form-209(1) - Challan for Depositing Money

[To be submitted through Net-Payment]

Challan No.: AKV240010323	Challan Date: 05/05/2024
Assessment Year: 2024-2025	Tax Period: ONETIME
Name of the Bank:	
Unique Id:	
Depositor Name:	Chandrapal singh
Depositor Address:	Krishna Nagar colony Khera gariya gaoo jhansi

Head	Description	Serial No.	Amount (in Rs.)
085300102010000	खनिज रियायत शुल्क किराया और स्वत्व शुल्क	1	2500000.00
	Totals of the above heads	--	2500000.00

A SUM OF Rs. 2500000.00 AGAINST THE HEADS MENTIONED ABOVE --[THROUGH NET-PAYMENT TRANSACTION]-- ON HAS BEEN DEPOSITED BY THE DEPOSITOR.

(Depositor Remarks->Regarding notice no 104 dated 04052024 chandrapal singh gram manikpura aaraji no 314 area 4.750 hec)
THE BANK REFERENCE NO. RECEIVED AFTER THE TRANSACTION IS : CPADTYORM1, Scroll Date:-04/05/2024

कार्यालय जिलाधिकारी, झाँसी।

(खनिज अनुभाग)

पत्रांक:- 342(F)/30एम0एम0सी0 / 2024-25

दिनांक 03/07 / 2024

नोटिस

श्री चन्द्रपाल सिंह पुत्र श्री भोपाल सिंह
निवासी-कृष्णा नगर कॉलोनी, खेरा गढियागांव,
तहसील व जनपद-झाँसी।

आपके पक्ष में स्वीकृत खनन पट्टा के सम्बन्ध में कतिपय शिकायतों के आधार पर दिनांक: 27.06.2024 को राजस्व विभाग एवं खनन विभाग के संयुक्त दल द्वारा जनपद-झाँसी के तहसील मोंठ स्थित ग्राम-मनिकपुरा के आराजी संख्या-314 (खण्ड-01) में रकवा-4.750 हेक्टेयर क्षेत्र पर 05 वर्ष की अवधि हेतु बालू/मोरम का खनन पट्टा स्वीकृत/संचालित है, का निरीक्षण किया गया। प्रश्नगत खनन पट्टा क्षेत्र की निरीक्षण आख्या निम्नवत् है:-

1. प्रश्नगत खनन पट्टा क्षेत्र में सीमास्तम्भ अपने जी0पी0एस0 बाऊडरी कॉर्डिनेट पर लगा होना पाया गया।
2. प्रश्नगत खनन पट्टा क्षेत्र में पी0टी0जेड0 कैमरा लगा हुआ नहीं पाया गया।
3. प्रश्नगत खनन पट्टा क्षेत्र में एक प्रतिबन्धित मशीन (लिफ्टर) पाया गया, जो पर्यावरणीय शर्तों का उल्लंघन है। उक्त प्रतिबन्धित मशीन (लिफ्टर) को मौके पर क्षतिग्रस्त कर दिया गया।
4. प्रश्नगत खनन पट्टा क्षेत्र के बाहर पट्टाधारक द्वारा खनन कर बालू/मोरम भण्डारित किया जाना पाया गया जिसकी पैमाईस का विवरण निम्नवत् है:-

लम्बाई (मी० में)	चौड़ाई (मी० में)	ऊचाई (मी० में)	कुल मात्रा (घनमीटर में)
70.00	04.00	1.20	336.00 घनमीटर

उपरोक्त प्रस्तुत निरीक्षण आख्या के अनुसार आप द्वारा किया गया उक्त कृत्य यथा खनन पट्टा क्षेत्र में पी0टी0जेड0 कैमरा लगा हुआ नहीं पाया जाना, स्वीकृत क्षेत्र से बाहर प्रतिबन्धित मशीन लिफ्टर के माध्यम से अवैध खनन कर 390.00 घनमीटर भण्डारित किये जाने का कृत्य उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-3, 35, 36(1) व 42ज(1) का स्पष्ट उल्लंघन है। जिसमें सक्शन मशीन लिफ्टर के माध्यम से क्षेत्र के बाहर अवैध खनन किये जाने के कारण नियम-60(4) (प्रति अवसर पाँच लाख रुपये की धनराशि) के अन्तर्गत कुल रू0 5,00,000.00 की धनराशि, पर्यावरण शर्तों के उल्लंघन के कारण नियम-60(2) के अन्तर्गत 50,000.00 की धनराशि, पट्टा क्षेत्र में पी0टी0जेड0 कैमरा लगा हुआ नहीं पाये जाने के कारण नियम-60(3)(प्रति अवसर पच्चीस हजार रुपये की धनराशि) के अन्तर्गत नियमानुसार रू0 25,000.00 की शास्ति शुल्क के रूप में एवं क्षेत्र के बाहर अवैध खनन कर भण्डारित 336.00 घनमीटर बालू/मोरम पर रॉयल्टी के रूप में रू0 50,400.00 तथा खनिमुख मूल्य के रूप में रू0 50,400.00 X 5 = 2,52,000.00 की धनराशि व नियम-58 के अन्तर्गत रू0 5,00,000.00 की शास्ति शुल्क अधिरोपित कर कुल धनराशि रू0 13,77,400.00 अधिरोपित की जाती है।

इसी प्रकार पूर्व में भी प्रश्नगत खनन पट्टा क्षेत्र में कार्यालय पत्र संख्या-1897/30एम0एम0सी0/2023-24 दिनांक: 10.01.2024 के माध्यम से निरीक्षण आख्या दिनांक: 05.01.2024 में उल्लिखित तथ्यों के कम में नोटिस निर्गत कर उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली,2021 के नियम-3, 36 एवं 42(ज) का उल्लंघन पाये जाने पर नियम-58, 60(3) एवं 60(4) के अन्तर्गत रू0 10,50,000.00 की धनराशि अधिरोपित कर वसूल की कार्यवाही की गयी,



210

संलग्नक:- 07

(2)

प्रशनगत खनन पट्टा क्षेत्र का दिनांक: 22.04.2024 को भी आकस्मिक निरीक्षण किया गया। जिसमें उ०प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2021 के नियम-36(1) व 42(ज)(1) का उल्लंघन आप द्वारा द्वितीय बार किया गया। जिसमें कार्यालय पत्र संख्या-67/30एम०एम०सी०/2024-25 दिनांक: 25.04.2024 के माध्यम से नोटिस निर्गत कर उक्त नियमावली के नियम-60(3) एवं 60(4) के अन्तर्गत रू० 5,25,000.00 की धनराशि अधिरोपित कर वसूल की गयी एवं पुनः कतिपय प्राप्त शिकायतों के आधार पर प्रशनगत खनन पट्टा क्षेत्र का दिनांक: 01.05.2024 को उपजिलाधिकारी, मोंठ की अध्यक्षता में (राजस्व विभाग, पुलिस विभाग एवं खनिज विभाग) आकस्मिक निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण आख्या में उ०प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2021 के नियम-42(ज)(1) का उल्लंघन आप द्वारा तृतीय बार किया गया। जिसमें कार्यालय पत्र संख्या-104/30एम०एम०सी०/2024-25 दिनांक: 04.05.2024 के माध्यम से नोटिस निर्गत कर उक्त नियमावली के नियम-60(4) के अन्तर्गत रू० 25,00,000.00 की धनराशि अधिरोपित कर वसूल की गयी।


उपरोक्त से स्पष्ट है कि आप द्वारा उ०प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-3, 35, 36(1), 36(2), 42ज(1) एवं पर्यावरण शर्तों तथा निष्पादित पट्टाविलेख में उल्लिखित शर्तों का उल्लंघन बार-बार किया जा रहा है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि नोटिस प्राप्ति के पन्द्रह कार्य दिवस के अन्दर उपरोक्तानुसार शक्ति के रूप में अधिरोपित धनराशि रू० 13,77,400.00 खनिज के निर्धारित लेखाशीर्षक "अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग 0853" में जमा कर चालान की एक प्रति कार्यालय में उपलब्ध कराते हुए इस सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण स्वयं अथवा अधिवक्ता के माध्यम से प्रस्तुत करें की क्यों न उ०प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2021 के नियम-61(1) के अन्तर्गत आपके पक्ष में स्वीकृत खनन पट्टा के निरस्तीरण की कार्यवाही की जाय।


जिलाधिकारी,
झाँसी।
०१/०५/२४

पत्रांक व तद् दिनांक:

प्रतिलिपि:- निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशाल, उ०प्र० लखनऊ सादर सूचनार्थ प्रेषित।


जिलाधिकारी,
झाँसी।
०१/०५/२४

संयुक्त जाँच आख्या

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित आवेदन संख्या-442/2024, मदन सेन बनाम उ0प्र0 राज्य सरकार जिसमें मा0 न्यायालय द्वारा दिनांक: 01.07.2024 को आदेश पारित किया गया, जो मा0 एन0जी0टी0 की अधिकारिक वेबसाईट पर दिनांक: 03.07.2024 को अपलोड हुआ। जिसका कार्यकारी अंश क्रमांक संख्या-06 में उल्लेख किया गया है कि "The District Magistrate, Jhansi Respondent No.2 is directed to immediately seize the CCTV footage maintained by the project proponents and file copy thereof along with their response before the Tribunal." उक्त आदेश के अनुपालन में उपजिलाधिकारी-मोंठ की अध्यक्षता में राजस्व विभाग एवं खनन विभाग की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक: 04.07.2024 को प्रश्नगत खनन पट्टा क्षेत्र तहसील मोंठ स्थित ग्राम-मनिकपुरा के आराजी संख्या-314 (खण्ड-01) में रकवा-4.750 हेक्टेयर का निरीक्षण किया गया। उक्त किये गये निरीक्षण की बिन्दुवार आख्या निम्नवत् है:-

1. प्रश्नगत खनन पट्टा क्षेत्र में मानसून सत्र (दिनांक: 01,जुलाई से दिनांक: 30,सितम्बर तक) में खनन संक्रियायें पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित होने के प्राविधान है। जांच के दौरान मौके पर खनन पट्टा क्षेत्र में खनन संक्रियायें बन्द पायी गयी।
2. खनन पट्टा क्षेत्र एवं साईट ऑफिस/वे-ब्रिज के आस-पास कोई भी रिकॉर्डिंग कैमरा/पी0टी0जेड0/सी0सी0टी0 कैमरा लगा हुआ नहीं पाया गया। इसके अतिरिक्त खनन पट्टा क्षेत्र के आस-पास कोई व्यक्ति/मशिनरी नहीं पायी गयी तथा साईट ऑफिस में ताला लगा हुआ पाया गया।
3. स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र में निरीक्षण फोटोग्राफ निम्नवत् है:-



आख्या आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

04.07.2024

खान निरीक्षक,
झाँसी।

उपजिलाधिकारी,मोंठ,
जनपद-झाँसी।

कार्यालय जिलाधिकारी झाँसी।

(खनिज अनुभाग)

पत्रांक:-344 /30एम0एम0सी0 /2024-25

दिनांक: 06/07/2024

नोटिस

श्री चन्द्रपाल सिंह
पुत्र श्री भोपाल सिंह
निवासी-कृष्णा नगर कॉलोनी, खेरा गढियागांव,
तहसील व जनपद-झाँसी।

कृपया मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित आवेदन संख्या-442/2024, मदन सेन बनाम उ0प्र0 राज्य सरकार जिसमें मा0 न्यायालय द्वारा दिनांक: 01.07.2024 को आदेश पारित किया गया। जो मा0 एन0जी0टी0 की अधिकारिक वेबसाईट पर दिनांक: 03.07.2024 को अपलोड हुआ, का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसका कार्यकारी अंश क्रमांक संख्या-06 में उल्लेख किया गया है कि "The District Magistrate, Jhansi Respondent No.2 is directed to immediately seize the CCTV footage maintained by the project proponents and file copy thereof along with their response before the Tribunal." उक्त आदेश के अनुपालन में उपजिलाधिकारी-मौठ की अध्यक्षता में राजस्व विभाग एवं खनन विभाग की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक: 04.07.2024 को प्रश्नगत खनन पट्टा क्षेत्र का निरीक्षण किया गया। उक्त किये गये निरीक्षण में उल्लेख किया गया है कि:-

"1-प्रश्नगत खनन पट्टा क्षेत्र में मानसून सत्र (दिनांक: 01,जुलाई से दिनांक: 30,सितम्बर तक) में खनन संक्रियायें पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित होने के प्राविधान है। जांच के दौरान मौके पर खनन पट्टा क्षेत्र में खनन संक्रियायें बन्द पायी गयी।"

2-खनन पट्टा क्षेत्र एवं साईट ऑफिस/वे-ब्रिज के आस-पास कोई भी रिकॉर्डिंग कैमरा/पी0टी0जेड0/सी0सी0टी0 कैमरा लगा हुआ नहीं पाया गया। इसके अतिरिक्त खनन पट्टा क्षेत्र के आस-पास कोई व्यक्ति/मशिनरी नहीं पायी गयी तथा साईट ऑफिस में ताला लगा हुआ पाया गया।"

उक्त प्रस्तुत आख्या के अनुसार प्रश्नगत खनन पट्टा क्षेत्र में सीज किये जाने हेतु कोई रिकॉर्डिंग कैमरा/पी0टी0जेड0/सी0सी0टी0 लगा हुआ न होने के दृष्टिगत इस सम्बन्ध में उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-36(2) में उल्लिखित प्राविधान है कि "खनन पट्टाधारक जिसका खनन पट्टा 05 हेक्टेयर क्षेत्र से अधिक है, परिवहन के निगरानी के लिए, स्वयं के व्यय पर 360 डिग्री दृश्यता रिकॉर्डिंग के योग्य चार सी0सी0टी0वी0 कैमरा लगाने सहित एक चेक पोस्ट/गेट का निर्माण करेगा। पट्टा धारक उक्त चेक पोस्ट/गेट पर आर0एफ0आई0डी0 स्कैनर भी रखेगा जिससे सम्बन्धित खनन पट्टाकृत क्षेत्र के परिवहन हेतु प्रयुक्त प्रत्येक वाहन के सापेक्ष निर्गत किये गये ई-प्रपत्र एम0एम0 11 पर अंकित बार कोड का डाटा पढ़ने एवं सुरक्षित रखने की सुविधा होगी और उसका समुचित रूप से रख-रखाव करेगा एवं सदैव उसे चालु रूप से अनुरक्षित रखेगा। पट्टा धारक उक्त सभी सी0सी0टी0वी0 कैमरे और आर0एफ0आई0डी0 स्कैनरों द्वारा की गयी समस्त रिकॉर्डिंग कम से कम 30 दिन तक रखेगा और



213
संलग्नक:-09

(2)

नियम-67 के उपबन्धों के अधीन यथा उपबन्धित प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष उक्त रिकार्डिंग उपलब्ध करायेगा।”

अतः मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित आवेदन संख्या-442/2024, मदन सेन बनाम उ0प्र0 राज्य सरकार जिसमें मा0 न्यायालय द्वारा दिनांक: 01.07.2024 पारित आदेश व उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-36(2) एवं नियम-67 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत आपको निर्देशित किया जाता है कि सभी सी0सी0टी0वी0 कैमरे और आर0एफ0आई0डी0 स्कैनर द्वारा की गयी समस्त रिकॉर्डिंग को तत्काल इस कार्यालय में स्वयं उपलब्ध कराते हुए सुपुर्द करना सुनिश्चित करें, ताकि प्रश्नगत प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही अमल में लाई जा सकें, अन्यथा की स्थिति में आपके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।


जिलाधिकारी,
झाँसी।

पत्रांक व तद्दिनांक:

प्रतिलिपि:- तहसीलदार-झाँसी को दो प्रतियां इस आशय से प्रेषित है कि, एक प्रति सम्बन्धित व्यक्ति को तामिल कराकर तामिला आख्या भिजवाना सुनिश्चित करें।


जिलाधिकारी,
झाँसी।

संलग्नक 214¹⁰

कार्यालय जिलाधिकारी, झाँसी । (खनिज अनुभाग)

पत्रांक: 474 / 30एम0एम0सी0 / 2024-25

दिनांक: 02/08/2024

अन्तिम नोटिस

श्री चन्द्रपाल सिंह
पुत्र श्री भोपाल सिंह
निवासी- कृष्णा नगर कॉलोनी, खेरा गढियागांव,
तहसील व जनपद-झाँसी।

कृपया कार्यालय पत्र संख्या-344/30एम0एम0सी0/2024-25 दिनांक: 06.07.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा आपको नोटिस निर्गत करते हुए मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित आवेदन संख्या-442/2024, मदन सेन बनाम उ0प्र0 राज्य सरकार जिसमें न्यायालय दिनांक: 01.07.2024 पारित आदेश जो अधिकारी वेबसाईट दिनांक: 03.07.2024 को अपलोड किया गया, जिसका कार्यकारी अंश बिन्दु संख्या-6 में उल्लिखित आदेशानुसार एवं उपजिलाधिकारी मोंठ की अध्यक्षता में राजस्व एवं खनन विभाग की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक: 04.07.2024 को प्रश्नगत खनन पट्टा क्षेत्र तहसील-मोंठ स्थित ग्राम-मनिकपुरा के आराजी संख्या-314 (खण्ड-1) रकवा 4.750 हेक्टेयर के सम्बन्ध में प्रस्तुत निरीक्षण आख्या दिनांक: 04.07.2024 में उल्लिखित तथ्यों के दृष्टिगत आपको निर्देशित किया गया कि खनन पट्टा क्षेत्र में स्थापित सी0सी0टी0वी0 कैमरे एवं आर0एफ0आई0डी0 स्कैनर द्वारा की गयी समस्त रिकॉर्डिंग को तत्काल इस कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

उपरोक्त नोटिस दिनांक: 06.07.2024 के सम्बन्ध में आप द्वारा अपना प्रतिउत्तर मय पेनड्राइव दिनांक: 20.07.2024 द्वारा प्रेषित किया गया, जो इस कार्यालय को दिनांक: 23.07.2024 को प्राप्त हुआ है। जिसमें उल्लेख किया गया है कि "प्रार्थी के द्वारा स्वीकृत खनन पट्टे से सम्बन्धित क्षेत्र में पी0टी0जेड0 कैमरा लगाया था चूंकि मानसून सत्र दिनांक: 01.07.2024 से 30.09.2024 तक खनन सक्रियाये पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित है इसलिए प्रार्थी द्वारा स्थल पर दिनांक: 26.06.2024 से ही काम बन्द कर दिया गया था एवं पी0टी0जेड0 कैमरा व अन्य उपकरण दिनांक: 30.06.2024 को हटाकर साईट ऑफिस पर ताला लगा दिया गया था" तथा पी0टी0जेड0 कैमरे की रिकॉर्डिंग दिनांक: 01.06.2024 से 30.06.2024 संलग्नक के रूप में अंकित किया गया है।

उपरोक्त प्रस्तुत प्रतिउत्तर दिनांक: 20.07.2024 के साथ संलग्न पेनड्राइव में उपलब्ध करायी विडियो फुटेज का अवलोकन एवं परीक्षण किया गया। उक्त पेनड्राइव में रिकॉर्डिंग विडियो दिनांक: 01.06.2024 से 30.06.2024 तक कोई लगातार (Continuous) विडियो क्लिप उपलब्ध नहीं है, जबकि पेनड्राइव में उपलब्ध विडियो क्लिप कई भागों में विभाजित है, जिसमें दिनांक, टाईम व लोकेशन अंकित नहीं है। जिससे मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित आवेदन संख्या-442/2024, मदन सेन बनाम उ0प्र0 राज्य सरकार में न्यायालय द्वारा दिनांक: 01.07.2024 पारित आदेश का अनुपालन एवं किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना असम्भव होगा।

अतः आपको अन्तिम बार निर्देशित किया जाता है कि प्रश्नगत खनन पट्टा क्षेत्र तहसील-मोंठ स्थित ग्राम-मनिकपुरा के आराजी संख्या-314 (खण्ड-1) रकवा 4.750 हेक्टेयर में लगे पी0टी0जेड0 कैमरा की रिकॉर्डिंग विडियो दिनांक: 01.06.2024 से 30.06.2024 तक की लगातार (Continuous) विडियो क्लिप वांछित विवरण के साथ उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ताकि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित आवेदन संख्या-442/2024, मदन सेन बनाम उ0प्र0 राज्य सरकार जिसमें न्यायालय दिनांक: 01.07.2024 पारित आदेश का अनुपालन किया जा सके अन्यथा की स्थिति में प्रश्नगत प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही अमल में लायी जायेगी, जिसके लिये आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

अपर जिलाधिकारी (न्यायिक),
झाँसी।

पत्रांक व तद् दिनांक:

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1-जिलाधिकारी महोदय, झाँसी।

2-तहसीलदार, सदर को उपरोक्त नोटिस की दो प्रतियां इस आशय से प्रेषित कि उक्त नोटिस की एक प्रति सम्बन्धित व्यक्ति को तामील कराकर एक प्रति तामिली आख्या सहित इस कार्यालय को वापस भिजवाना सुनिश्चित करें।

अपर जिलाधिकारी (न्यायिक),
झाँसी।

कार्यालय जिलाधिकारी, झाँसी।

(खनिज अनुभाग)

पत्रांक:- 512/30एम0एम0सी0/2024-25

दिनांक: 12/08/2024

आदेश

जनपद-झाँसी के तहसील-मोंठ स्थित ग्राम-मनिकपुरा के आराजी संख्या 314 (खण्ड-01) रकवा 4.750 हे० क्षेत्र पर बेतवा नदी तल स्थित बालू/मोरम का नीलामी पट्टा 05 वर्ष (दिनांक:17.05.2023 से दिनांक: 16.05.2028 तक) की अवधि हेतु श्री चन्द्रपाल सिंह पुत्र श्री भोपाल सिंह निवासी-कृष्णा नगरकॉलोनी, खेरा गढियागांव तहसील व जनपद-झाँसी के पक्ष में स्वीकृत/निष्पादित है। उक्त स्वीकृत खनन पट्टा के पट्टा विलेख के भाग-02 के अनुसार जिला खनिज फाउण्डेशन न्यास की कुल धनराशि रू० 1151211.00 तथा टी0सी0एस0 की कुल धनराशि रू० 113545.00 की देयता प्रत्येक माह के प्रथम दिवस को देय हो गयी थी। जिसे आप द्वारा समयान्तर्गत जमा नहीं किया गया। उक्त स्वीकृत खनन पट्टा के डी0एम0एफ0 की धनराशि तथा टी0सी0एस0 की धनराशि का विवरण एवं बकाया (मूल/ब्याज) की स्थिति निम्नवत् है:-

पट्टा देय धनराशि व तीथि का विवरण वर्ष	जमा धनराशि व तीथि का विवरण						बकाया एवं ब्याज की धनराशि का विवरण (डी0एम0एफ0 पर ब्याज- 15 प्रतिशत वार्षिक)					
	किश्त		डी0एम0एफ0		टी0एस0एस0		किश्त		डी0एम0एफ0		टी0एस0एस0	
	धनराशि	ब्याज	धनराशि	ब्याज	धनराशि	ब्याज	धनराशि	ब्याज	धनराशि	ब्याज	धनराशि	ब्याज
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
प्रथम पट्टा वर्ष (23-24)	788500	78850	15770	788500	78850	-	-	-	-	3861	15770	-
	01.05.2023	01.05.2023	01.05.2023	01.05.2023	27.09.2023	-	-	-	-	-	-	-
	394250	39425	7885	394250	39425	-	-	-	-	1392	7885	-
	01.06.2023	01.06.2023	01.06.2023	31.05.2023	27.09.2023	-	-	-	-	-	-	-
	394250	39425	7885	394250	39425	-	-	-	-	-	7885	-
	01.10.2023	01.10.2023	01.10.2023	29.06.2023	27.09.2023	-	-	-	-	-	-	-
	394250	39425	7885	394250	39425	-	-	-	-	-	7885	-
	01.11.2023	01.11.2023	01.11.2023	30.06.2023	27.09.2023	-	-	-	-	-	-	-
	394250	39425	7885	394250	-	-	-	-	39425	4320	7885	-
	01.12.2023	01.12.2023	01.12.2023	01.12.2023	-	-	-	-	-	-	-	-
394250	39425	7885	394250	-	-	-	-	39425	3840	7885	-	
01.01.2024	01.01.2024	01.01.2024	27.12.2024	-	-	-	-	-	-	-	-	
394250	39425	7885	394250	-	-	-	-	39425	3360	7885	-	
01.02.2024	01.02.2024	01.02.2024	30.01.2024	-	-	-	-	-	-	-	-	
394250	39425	7885	394250	-	-	-	-	39425	2880	7885	-	
01.03.2024	01.03.2024	01.03.2024	30.01.2024	-	-	-	-	-	-	-	-	
394250	39425	7885	394250	-	-	-	-	39425	2400	7885	-	
01.04.2024	01.04.2024	01.04.2024	30.03.2024	-	-	-	-	-	-	-	-	
द्वितीय पट्टा वर्ष (24-25)	867350	867350	17347	867350	-	-	-	-	867350	1920	17347	-
	01.05.2024	17.05.2024	01.05.2024	23.05.2024	-	-	-	-	-	-	-	-
	433675	43368	8674	433675	-	-	-	-	43368	1440	8674	-
01.06.2024	01.06.2024	01.06.2024	28.05.2024	-	-	-	-	-	-	-	-	
433675	43368	8674	433675	-	-	-	-	43368	960	8674	-	
01.10.2024	01.10.2024	01.10.2024	28.05.2024	-	-	-	-	-	-	-	-	
योग									1151211	26373	113545	-

उपरोक्त तालिका के अनुसार डी0एम0एफ0 के मद में ब्याज सहित रू० 1177584.00 एवं टी0सी0एस0 के मद में रू० 113545.00 की धनराशि बकाया है। इस प्रकार कुल रू० 26,42,156.00 की धनराशि आपके ऊपर बकाया के रूप में देय है।

इसके अतिरिक्त कार्यालय पत्र संख्या-1897/30एम0एम0सी0/2023-24 दिनांक: 10.01.2024 के माध्यम से निरीक्षण आख्या दिनांक: 05.01.2024 में उल्लिखित तथ्यों के क्रम में नोटिस निर्गत कर उ०प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2021 के नियम-3, 36 एवं 42(ज) का उल्लंघन प्रथम बार पाये जाने पर नियम-58, 60(3) एवं 60(4) के अन्तर्गत रू० 10,50,000.00 की धनराशि अधिरोपित कर वसूली की कार्यवाही की गयी, कार्यालय पत्र संख्या-67/30एम0एम0सी0/2024-25 दिनांक: 25.04.2024 के माध्यम से निरीक्षण आख्या दिनांक: 22.04.2024 में उल्लिखित तथ्यों के क्रम में नोटिस निर्गत कर उ०प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2021 के नियम-36(1) व 42(ज)(1) का उल्लंघन द्वितीय बार पाये जाने पर नियम-60(3) एवं 60(4) के अन्तर्गत

रु0 5,25,000.00 की धनराशि अधिरोपित कर वसूली की कार्यवाही की गयी, पुनः कतिपय प्राप्त शिकायतों के आधार पर प्रश्नगत खनन पट्टा क्षेत्र का दिनांक: 01.05.2024 को उपजिलाधिकारी, मोंठ की अध्यक्षता में (राजस्व विभाग, पुलिस विभाग एवं खनिज विभाग) आकस्मिक निरीक्षण किया गया, जिसमें 05 सक्शन मशीन (लिफ्टर) के माध्यम से खनन किया जाना पाया गया, जो उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2021 के नियम-42(ज)(1) का उल्लंघन तृतीय बार पट्टाधारक द्वारा किया गया। जिसमें कार्यालय पत्र संख्या-104/30एम0एम0सी0/2024-25 दिनांक: 04.05.2024 के माध्यम से नोटिस निर्गत कर उक्त नियमावली के नियम-60(4) के अन्तर्गत रु0 25,00,000.00 की धनराशि अधिरोपित कर वसूल की गयी एवं कार्यालय में पत्र संख्या-342(I)/30एम0एम0सी0/2024-25 दिनांक: 03.07.2024 के द्वारा प्रश्नगत खनन पट्टे में कतिपय शिकायतों के आधार पर दिनांक: 27.06.2024 को राजस्व विभाग एवं खनन विभाग की संयुक्त दल द्वारा किये गये निरीक्षण में खनन पट्टा क्षेत्र में पी0टी0जेड0 कैमरा लगा हुआ नहीं पाया जाना, स्वीकृत क्षेत्र से बाहर प्रतिबन्धित मशीन लिफ्टर के माध्यम से अवैध खनन कर 390.00 घनमीटर भण्डारित किये जाने का कृत्य उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-3, 35, 36(1) व 42ज(1) का उल्लंघन पाये जाने पर नियम-58, 60(3) एवं 60(4) के अन्तर्गत रु0 13,77,400.00 की धनराशि अधिरोपित करते हुए उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-3, 35, 36(1), 36(2), 42ज(1) एवं पर्यावरण शर्तों तथा निष्पादित पट्टाविलेख में उल्लिखित शर्तों का उल्लंघन बार-बार किये जाने के दृष्टिगत उक्त नियमावली, 2021 के नियम-60(1) के अन्तर्गत पट्टा निरस्तीकरण क्यों न कर दिया जाय के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण स्वयं अथवा अधिवक्ता के माध्यम से प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया, जिसमें पट्टाधारक द्वारा दिनांक: 20.07.2024 को अधिवक्ता के माध्यम से प्रार्थना-पत्र इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया, जिसमें उल्लेख किया गया है कि

“(1) यह कि आप द्वारा प्रेषित नोटिस में कतिपय शिकायतों का हवाला दिया गया है परन्तु प्रार्थी की उन शिकायती प्रार्थना पत्रों को उपलब्ध नहीं कराया गया है। (2) यह कि नोटिस में दिनांक: 27.06.2024 को राजस्व विभाग एवं खनन विभाग की संयुक्त दल द्वारा जाँच किया जाना दर्शाया है परन्तु उक्त जाँच के पूर्व प्रार्थी को कोई सूचना नहीं दी गयी। (3) यह कि निरीक्षण आख्या प्रार्थी को उपलब्ध नहीं करायी गयी है। (4) यह कि नोटिस में अंकित निरीक्षण आख्या के प्रस्तर-2 में खनन पट्टा क्षेत्र में पी.टी.जेड कैमरा लगा हुआ नहीं पाया गया यह अंकित किया गया है। श्रीमान्जी प्रार्थी द्वारा स्वीकृत खनन स्थल क्षेत्र पर पी.टी.जेड. कैमरा लगाया गया था। साक्ष्य में फोटा संलग्न है। (5) यह कि नोटिस के प्रस्तर-3 में अंकित कथन प्रश्नगत खनन पट्टा क्षेत्र में एक प्रतिबंधित मशीन (लिफ्टर) पाया गया के सम्बन्ध में निवेदन करना है कि पूर्व में उक्त लिफ्टर मशीन को कब्जे में लेकर खनन विभाग द्वारा सील कर सुपुर्दगी अन्य व्यक्ति (ग्राम प्रधान) को दी गयी थी। उक्त लिफ्टर का प्रयोग खनन प्रक्रियाओं में नहीं किया गया है। उक्त आरोप बिना किसी साक्ष्य के लगाया गया है। (6) यह कि नोटिस के प्रस्तर-4 में अंकित कथन कि प्रश्नगत पट्टा क्षेत्र के बाहर पट्टाधारक द्वारा खनन कर बालू/मोरम भण्डारित किया जाना पाया गया है, के सम्बन्ध में निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा स्वीकृत खनन क्षेत्र के बाहर किसी प्रकार का कोई खनन नहीं किया गया है। उक्त आरोप किस आधार पर लगाया गया है के सम्बन्ध में कोई विवरण नहीं दिया गया है दर्शायी गयी मात्रा नियमानुसार खनन पट्टा स्वीकृत क्षेत्र से खनन किया गया है एवं उक्त खनिज की मात्रा के स्वामित्व का भुगतान किया गया है। (7) यह कि जबाव/स्पष्टीकरण से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी के द्वारा उपखनिज परिहार नियमावली-2021 के नियम-3,35,36(1) व 42(ज)(1) का कोई उल्लंघन नहीं किया है। (8) यह कि प्रार्थी के द्वारा सक्शन मशीन या लिफ्टर के माध्यम से खनन स्वीकृत क्षेत्र से बाहर जाकर या स्वीकृत क्षेत्र के अंदर उपरोक्त मशीन से कोई भी खनन नहीं किया गया है इसलिये प्रार्थी पर नियम-60(2) व 60(3) एवं 60(4) के अन्तर्गत कोई धनराशि आरोपित नहीं की जा सकती है। (9) यह कि प्रार्थी के द्वारा स्वीकृत खनन क्षेत्र के बाहर किसी प्रकार का खनन कार्य नहीं किया गया है। बिना किसी साक्ष्य के अवैध खनन का नोटिस दिया गया है इसलिये प्रार्थी पर उक्त आधार पर 336 घनमीटर बालू/मोरम की रायल्टी, खनिज मूल्य तथा शास्ति आरोपित नहीं की जा सकती है। (10) यह कि कतिपय शिकायतकर्ता जो कि पूर्व में अवैध खनन करते रहे हैं उनका अवैध खनन कार्य बन्द हो जाने के कारण रंजिशवंश शिकायतें करते रहते हैं शासनादेश अनुसार यदि उक्त शिकायते शपथपत्र गये ब्यानों की प्रति प्रदान किया जाना कानूनन आवश्यक है जिससे कि प्रार्थी उनसे जिरह कर सके। प्रार्थी की जाँच आख्या भी प्रदान नहीं की गयी। समस्त कार्यवाही जाँच एक पक्षीय रूप से सम्पादित की गयी है जो साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है। (11) यह कि प्रार्थी द्वारा नोटिस में अंकित सभी आरोपों का जबाव दिया जा चुका है। प्रार्थी के नियम-61(1) के अन्तर्गत कार्यवाही नहीं की जा सकती है।”

उपरोक्त प्रस्तुत उत्तर दिनांक: 20.07.2024 के सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि प्रश्नगत खनन पट्टाधारक को निर्गत नोटिस दिनांक: 03.07.2024 में निरीक्षण आख्या दिनांक: 27.06.2024 पूर्ण रूप से अंकित प्रेषित की गयी। प्रश्नगत खनन पट्टा क्षेत्र में पी0टी0जेड0 कैमरा लगाये जाने सम्बन्धी कोई भी फोटोग्राफ/साक्ष्य संलग्न नहीं किया गया है। पट्टाधारक (श्री चन्द्रपाल सिंह पुत्र श्री भोपाल सिंह) द्वारा प्रश्नगत खनन पट्टा क्षेत्र में कुल चार बार किये गये निरीक्षण दिनांक: 05.01.2024, 22.04.2024, 01.05.2024 व 27.06.2024 के अनुसार निष्पादित पट्टाविलेख की शर्तों एवं उपबन्धों का उल्लंघन तथा उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली,2021 के नियम-3, 35, 36(1), 42(ज)(1) का भी उल्लंघन किया गया है, जिसमें पट्टेधारक द्वारा निरीक्षण दिनांक: 05.01.2024, 22.04.2024 एवं 01.05.2024 में पायी गयी अनिमितताओं के कारण उक्त नियमावली,2021 के अन्तर्गत अधिारोपित शास्ति की धनराशि को जमा किया गया। जिससे स्वतः स्पष्ट है कि पट्टेधारक द्वारा पट्टाविलेख की शर्तों एवं उपबन्धों का उल्लंघन तथा उक्त नियमावली,2021 के नियम-3, 35, 36(1), 42(ज)(1) का भी उल्लंघन बार-बार किया जा रहा है, जो निरीक्षण आख्या दिनांक: 27.06.2024 फोटोग्राफ(साक्ष्य) सहित प्रस्तुत तथ्यों से भी स्पष्ट है।

इसके अतिरिक्त प्रश्नगत खनन पट्टा क्षेत्र के सम्बन्ध में मा0 राष्ट्रिय हरित अधिकरण न्यायालय में योजित ओ0ए0 संख्या-442/2024 मदन सैन बनाम उ0प्र0 राज्य सरकार व अन्य में पारित आदेश दिनांक: 01.07.2024 जो अधिकारिक वेबसाईट पर दिनांक: 03.07.2024 को अपलोड किया गया, जिसका कार्यकारी अंश बिन्दु संख्या-06 के अनुपालन किये जाने एवं उपजिलाधिकारी मोंठ की अध्यक्षता में राजस्व एवं खनन विभाग की निरीक्षण दिनांक: 04.07.2024 में उल्लिखित तथ्यों के दृष्टिगत पट्टेधारक को कार्यालय पत्र संख्या-344/30एम0एम0सी0/2024-25 दिनांक: 06.07.2024 के द्वारा खनन पट्टा क्षेत्र में स्थापित सी0सी0टी0वी0 कैमरा एवं आर0एफ0आई0डी0 स्कैनर द्वार की गयी समस्त रिकॉर्डिंग को उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। जिसमें पट्टेधारक द्वारा दिनांक: 20.07.2024 को प्रत्युत्तर मय पेन-ड्राईव कार्यालय में प्रस्तुत किय गया, उक्त पेन-ड्राईव में रिकॉर्डिंग विडियो दिनांक: 01.06.2024 से 30.06.2024 तक कोई लगातार(Continuous) विडियो क्लिप उपलब्ध नहीं है, जबकि पेन-ड्राईव में उपलब्ध विडियो क्लिप कई भागों में विभाजित है। जिसमें दिनांक, टाईम व लोकेशन अंकित नहीं है। जिससे मा0 राष्ट्रिय हरित अधिकरण में योजित आवेदन संख्या-442/2024 में न्यायालय द्वारा दिनांक 01.07.2024 को पारित आदेश का अनुपालन एवं किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना असम्भव न होने के दृष्टिगत पट्टेधारक को पुनः प्रश्नगत खनन पट्टा क्षेत्र की लगातार(Continuous) विडियो क्लिप वांछित विवरण के साथ उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय पत्र संख्या:-474/30एम0एम0सी0/2024-25 दिनांक: 02.08.2024 के माध्यम से अन्तिम नोटिस निर्गत किया गया। परन्तु पट्टेधारक द्वारा अब तक कोई विडियो रिकॉर्डिंग वांछित विवरण के साथ उपलब्ध नहीं कराया गया।

उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-61 में उल्लिखित प्राविधान निम्नवत् है:-

- (1) पट्टेदार द्वारा इन नियमों या पट्टे में दी गई या दी गई समझी जाने वाली शर्तों और प्रसंविदाओं के सिवाय उनके, जो स्वामित्व, भाटक या राज्य सरकार को देय अन्य धनराशियों के भुगतान से संबंधित हो, भंग या उल्लंघन किये जाने की दशा में राज्य सरकार पट्टेदार को अपना मामला बताने की युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् पट्टा समाप्त कर सकती है। यह अधिकार नियम-60 के उपबन्धों के अतिरिक्त होगा और इसका उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।
- (2) यदि उप नियम (1) अथवा नियम-59 के अधीन पट्टा समाप्त कर दिया जाता है तो पट्टेदार का जिलाधिकारी द्वारा दो वर्ष से अनधिक ऐसी अवधि के लिए जैसा कि वह उचित समझे, काली सूची में डाल सकता है, जो विभाग की वेबसाईट पर अपलोड की जायेगी और ऐसी अवधि के दौरान उसको इस नियमावली के अधीन कोई खनिज परिहार अनुमन्य नहीं होगा। इस संबंध में यथास्थिति, खनन पट्टे के रजिस्टर में या नीलामी रजिस्टर के अभ्युक्ति वाले स्तम्भ में एक प्रविष्टि अंकित कर दी जायेगी।

अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों के आलोक में पट्टाधारक द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन/प्रत्युत्तर दिनांक: 20.07.2024 आधारहीन, साक्ष्यविहीन, तथ्यों के परे हाने एवं सन्तोषजनक उत्तर न प्रस्तुत किये जाने तथा निष्पादित पट्टाविलेख की शर्तों एवं उपबन्धों का उल्लंघन, मा0 राष्ट्रिय हरित अधिकरण के आदेशों के उल्लंघन तथा उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली,2021 के नियम-3, 35, 36(1), 42(ज)(1) का भी उल्लंघन किये जाने के दृष्टिगत



प्रस्तुत स्पष्टीकरण को निरस्त करते हुये उ०प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2021 के नियम-61 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत निम्नलिखित आदेश पारित किये जाते हैं:-

- 1- जनपद-झाँसी के तहसील-मोंठ स्थित ग्राम-मनिकपुरा के आराजी संख्या 314 (खण्ड-01) रकवा 4.750 हे० क्षेत्र पर बेतवा नदी तल स्थित बालू/मोरम का नीलामी पट्टा 05 वर्ष (दिनांक: 17.05.2023 से दिनांक: 16.05.2028 तक) की अवधि हेतु श्री चन्द्रपाल सिंह पुत्र श्री भोपाल सिंह निवासी-कृष्णा नगरकॉलोनी, खेरा गढियागांव तहसील व जनपद-झाँसी के पक्ष में स्वीकृत बालू/मोरम के उक्त नीलामी पट्टा को एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है।
- 2- पट्टाधारक द्वारा जमा प्रतिभूति की धनराशि रू० 9,85,625.00 को नोटिस दिनांक: 03.07.2024 में अधिरोपित धनराशि रू० 13,77,400.00 से समायोजित करने के उपरान्त शेष बकाया धनराशि रू० 3,91,775.00 को खनिज के निर्धारित लेखाशीर्षक "0853 अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग" में जमा करना सुनिश्चित करें। श्री चन्द्रपाल सिंह पुत्र श्री भोपाल सिंह द्वारा बकाया वांछित धनराशि निर्धारित समय से जमा नहीं किये जाने पर बकाया धनराशि को भू-राजस्व की भांति वसूल करने की कार्यवाही की जायेगी।
- 3- नियमावली के नियम-61(2) में उल्लिखित प्राविधानों के अधीन पट्टाधारक श्री चन्द्रपाल सिंह पुत्र श्री भोपाल सिंह निवासी-कृष्णा नगरकॉलोनी, खेरा गढियागांव तहसील व जनपद-झाँसी के नाम को दो वर्ष की अवधि हेतु काली सूची में डाला जाता है।
- 4- उपरोक्त तालिका के अनुसार जिला खनिज फाउण्डेशन न्यास (डी०एम०एफ०) के मद में ब्याज सहित रू० 1177584.00 एवं अग्रिम विलम्ब पर देय तिथि से 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित वसूल किये जाने हेतु पृथक से वसूली प्रमाण-पत्र (आर०सी०) निर्गत किया जाय।
- 5- उपरोक्त तालिका के अनुसार आयकर (टी०सी०एस०) की धनराशि रू० 113545.00 पट्टाधारक से वसूल करने के निमित्त अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही करने हेतु आयकर विभाग को संसूचित किया जाय।

जिलाधिकारी,
झाँसी।

पत्रांक व तद् दिनांक:

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- प्रमुख सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
- 2- निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ०प्र०, खनिज भवन, लखनऊ।
- 3- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, झाँसी।
- 4- अपर आयुक्त, आयकर विभाग, झाँसी को इस आशय से प्रेषित कि पट्टाधारक से टी.सी.एस(आयकर) की उक्त धनराशि रू० 113545.00 वसूल करने हेतु अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
- 5- अपर जिलाधिकारी(न्यायिक), झाँसी।
- 6- उपजिलाधिकारी/क्षेत्राधिकारी, मोंठ।
- 7- श्री चन्द्रपाल सिंह पुत्र श्री भोपाल सिंह निवासी-कृष्णा नगरकॉलोनी, खेरा गढियागांव तहसील व जनपद-झाँसी।

जिलाधिकारी,
झाँसी।

ANNEXURE-1219

Printed at: 24-10-2024 07:48 PM



आदेश पत्रक

संलग्नक-12

न्यायालय : आयुक्त
मण्डल : झांसी, जनपद : तहसील :
वाद संख्या :- 1076/2024
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :- C202406000001076
चन्द्रपाल सिंह बनाम उत्तर प्रदेश सरकार
अंतर्गत धारा:- 79, अधिनियम :- 30 प्रो उपखनिज परिहार नियमावली, 2021

आदेश

यह अपील, कार्यालय जिलाधिकारी, झांसी (खनिज अनुभाग) के आदेश पत्रक संख्या-512/30एम0एम0सी0/2024-25 दिनांक 12-8-2024 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है जिसके अन्तर्गत अपीलकर्ता श्री चन्द्रपाल सिंह पुत्र श्री भोपाल सिंह का आराजी संख्या-314 (खण्ड-1) रकवा 4.750 हे0 स्थित ग्राम मनिकपुरा का खनन पट्टा निरस्त किया गया है तथा अपीलकर्ता पर नोटिस दिनांक 03-7-2024 में अधिरोपित धनराशि रु. 11,77,400/- से प्रतिभूति की धनराशि 9,85,625/-के समायोजन के उपरान्त बकाया धनराशि रु. 3,91,775/- व डी0एम0एफ0 मद में ब्याज सहित 11,77,584/- रु. अग्रिम विलम्ब पर देय तिथि से 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित व टी0सी0एस0 धनराशि रु. 1,13,545/- वसूल किये जाने एवं अपीलकर्ता को ब्लैक लिस्ट किये जाने का आदेश पारित किया गया है।

2- मैंने उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण की बहस को सुना गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अध्ययन किया गया।

3- अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किये गये कि जिलाधिकारी झांसी द्वारा पारित विवादित आदेश दिनांक 12-8-2024 अपीलकर्ता को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना एकपक्षीय रूप से पारित किया गया है, जो विधिक दृष्टि से त्रुटिपूर्ण होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। कथित जांच आख्या दिनांक 27.6.2024 अपीलार्थी को कभी उपलब्ध ही नहीं करायी गयी और यह जांच आख्या बिना किसी ठोस एवं पुष्टिकारक सबूत (जी0पी0एस0 कैमरे के फोटोग्राफ्स एवं जियोकोर्डिनेट्स सहित) एवं स्वतंत्र साक्षियों के अभाव में साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है। एक पक्षीय जांच आख्या दिनांक 27-6-2024 खनन कार्य बन्द होने के उपरान्त की गयी है। मौके पर जो लिफ्टर मशीन पाया जाना बताया गया है उससे अपीलार्थी के किसी व्यक्ति को नहीं पकड़ा गया है। इस प्रकार अपीलकर्ता को संदेह के आधार पर आरोपी बनाया गया है। अपीलकर्ता ने खनन क्षेत्र के बाहर उत्खनन किया और बालू/मौरम को निकाला, हालांकि अपीलकर्ता के विरुद्ध जांच करते समय कोई पुष्टिकारक सामग्री नहीं जुटाई गयी। निरीक्षण किस समय किया गया और निरीक्षण के समय कौन कौन मौजूद था उल्लेख नहीं है। यह भी उल्लेख नहीं है कि खनन क्षेत्र की पहचान के लिए जी.पी.एस. कोर्डिनेट्स का प्रयोग किया है अथवा नहीं।



Handwritten signature



आदेश पत्रक

संलग्नक-12

न्यायालय : आयुक्त
मण्डल : झाँसी, जनपद : तहसील :
वाद संख्या :- 1076/2024
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :- C202406000001076
चन्द्रपाल सिंह बनाम उत्तर प्रदेश सरकार
अंतर्गत धारा:- 79, अधिनियम :- 30 प्र० उपखनिज परिहार नियमावली, 2021

(2)

क्योंकि खनन क्षेत्र को जियोकोर्डिनेट्स द्वारा आसानी से पहचाना जा सकता अपीलकर्ता का खनन पट्टा दिनांक 17-5-2023 को निष्पादित हुआ था और पट्टे का प्रथम वर्ष माह मई 2023 से शुरू होकर अप्रैल 2024 तक होता है तथा बालू/मौरम की स्वीकृत वार्षिक मात्रा माह अप्रैल में समाप्त हो जाती है और माह मई 2024 से पट्टे का द्वितीय वर्ष प्रारम्भ होता है। अपीलार्थी ने नोटिस दिनांक 03.7.2024 का स्पष्टीकरण दिनांक 20.7.2024 को जिलाधिकारी, झाँसी को प्रस्तुत किया था जिसके प्रस्तर-10 में अंकित है कि कथित शिकायती प्रार्थना पत्र की प्रति, मौके पर उपस्थित लोगों के बयानों की प्रति, एवं जांच आख्या दिनांक 27.6.2024 की प्रति उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी थी। किन्तु प्रतिवादीगण द्वारा अन्तिम आदेश पारित करने के पूर्व अपीलार्थी द्वारा मांगे गये साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराए गये हैं तथा एक पक्षीय रूप से विवादित आदेश दिनांक 12-8-2024 पारित कर दिया गया है। जो नैसर्गिक न्याय के प्रतिपादित सिद्धान्तों के विपरीत है। कथित जांच आख्या दिनांक 27-6-2024 में अंकित है कि मौके पर 336 घनमीटर बालू/मौरम का ढेर लगा पाया गया और मौके पर खनन कार्य बन्द मिला। इस बरामद शुदा 336 घनमीटर बालू/मौरम को किसके सुपुर्द किया गया और कहां गयी, इसका कोई उल्लेख विवादित आदेश दिनांक 12-8-2024 में कहीं नहीं है। जिससे स्पष्ट होता है कि मौके पर कोई बालू/मौरम बरामद ही नहीं हुई। मा० एन०जी०टी० नई दिल्ली में योजित ओ.ए. की जानकारी विभाग को सुनवाई से पूर्व हो चुकी थी और इसी कारण एण्टी टाइम जांच आख्या दर्शाकर आदेश अपलोड होने की तिथि से पूर्व आनन-फानन में कार्यवाही की गयी है। मात्र संभावनाओं के आधार पर अपीलकर्ता का पट्टा निरस्त करते हुए शास्ति आरोपित नहीं की जा सकती है। अपीलकर्ता को प्रेषित नोटिस दिनांक 03-7-2024 में अपीलकर्ता को यह निर्देश दिये गये कि नोटिस प्राप्त के 15 कार्य दिवस के अन्दर शास्ति के रूप में अधिरोपित धनराशि रू०-13,77,400/- खनिज मद में जमा कर दें तथा अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें क्यों उ०प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-61(1) के अंतर्गत आपके पक्ष में स्वीकृत खनन पट्टा के निरस्तीकरण की कार्यवाही की जाय। इस सम्बन्ध में अपीलकर्ता द्वारा नोटिस का जबाव दिनांक 20.7.2024 को प्रस्तुत किया था जिसे निरस्त करते हुए विवादित आदेश दिनांक 12-8-2024



Handwritten signature/initials.



आदेश पत्रक

संलग्नक-12

न्यायालय : आयुक्त
मण्डल : झांसी, जनपद : तहसील :
वाद संख्या :- 1076/2024
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :- C202406000001076
चन्द्रपाल सिंह बनाम उत्तर प्रदेश सरकार
अंतर्गत धारा :- 79, अधिनियम :- 30 प्र० उपखनिज परिहार नियमावली, 2021

(3)

नोटिस की सीमा से बाहर जाकर पारित किया गया और दो वर्षों के लिए प्रार्थी को काली सूची में डाल दिया गया है। जबकि उ०प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-61(1) में काली सूची में डाले जाने का प्रावधान ही नहीं है। विवादित आदेश दिनांक 12-8-2024 नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है और निरस्त होने योग्य है। इसी प्रकार के एक प्रकरण में मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा अभिमत व्यक्ति किया गया कि कारण बताओ नोटिस के परिणामस्वरूप पारित कोई भी आदेश कारण बताओ नोटिस में कथित आरोपों से आगे नहीं बढ़ सकता है। यह विधि व्यवस्था मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा सिविल याचिका सी-31059/2023 रामलला बनाम उ०प्र० राज्य एवं 04 अन्य आदि में पारित आदेश दिनांक 21-11-2023 में दी है। अपीलकर्ता पर आरोप है कि उसने अपने स्वीकृत खनन क्षेत्र के बाहर जाकर 336 घनमीटर बालू/मौरम का अवैध खनन किया है जिसका ढेर लगा हुआ पाया गया। नोटिस दिनांक 03-7-2024 एवं आदेश दिनांक 12.8.2024 में कहीं अंकित नहीं है कि कथित बरामद उपखनिज किसकी सुपुर्दगी में दिया गया। अतः बरामदगी संदिग्ध है, क्योंकि अपीलकर्ता ने खनन क्षेत्र में अपनी खनन सक्रियायें दिनांक 24-6-2024 को ही बन्द कर दी थी। अपीलकर्ता को खनन पट्टा क्षेत्र में दिनांक 27-6-2024 को की गयी एक पक्षीय जांच की जांच आख्या की प्रति उपलब्ध नहीं करायी गयी है, इस संबंध में मा० उच्च न्यायालय की लखनऊ खण्डपीठ द्वारा सिविल मिस० याचिका सी-2478/2022 मेसर्स राधिका कन्स्ट्रक्शन बनाम उ०प्र० राज्य आदि में पारित निर्णय में अवैध खनन संबंधी नोटिस एवं जांच आख्या उपलब्ध न कराये जाने के संबंध में निर्णय दिया है। अपीलकर्ता के खनन क्षेत्र का निरीक्षण करते समय जांच अधिकारियों को तकनीक के आधार पर जी०पी०एस० कैमरा के फोटोग्राफ्स एवं जियोकोर्डिनेट्स के साथ आरोपित खनन क्षेत्र की रिपोर्ट तैयार करनी चाहिए थी। आरोपों की पुष्टि के लिए विश्वसनीय साक्ष्य होना अति आवश्यक है और इसको साबित करने का भार आरोपी पर नहीं, बल्कि राज्य का होता है। इस संबंध में मा० उच्च न्यायालय द्वारा Ranveer Singh Vs. State of U.P. and others, 2017 (1) ADJ 240 में विधि व्यवस्था प्रतिपादित की गयी है। अपीलकर्ता के खनन क्षेत्र की सारी प्रक्रिया ऑनलाइन है, इस प्रकार विभाग को जानकारी रही रहती है कि किस खनन क्षेत्र में खनन कार्य





आदेश पत्रक

संलग्नक-12

न्यायालय : आयुक्त
मण्डल : झांसी, जनपद : तहसील :
वाद संख्या :- 1076/2024
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :- C202406000001076
चन्द्रपाल सिंह बनाम उत्तर प्रदेश सरकार
अंतर्गत धारा:- 79, अधिनियम :- 30 प्र० उपखनिज परिहार नियमावली, 2021

(4)

प्रारम्भ है और किसी क्षेत्र में खनन कार्य बन्द है। इसके बावजूद भी अपीलकर्ता को मौके पर उपस्थित होने के लिए सूचित नहीं किया गया है। इसलिए कथित जांच आख्या संदिग्ध है। इस संबंध में मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद की लखनऊ खण्ड पीठ में योजित सिविल रिट याचिका संख्या-19984/2020 प्रभात कुमार गुप्ता बनाम उ०प्र० राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 12.5.2023 विधि व्यवस्था दी है। अपीलकर्ता द्वारा उ०प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली 2021 के नियम-3, 35, 36(1), 42 (ज) (1), का किसी प्रकार से कोई उल्लंघन नहीं किया गया है, बल्कि तत्परतापूर्वक पालन किया गया है। अपीलकर्ता का खनन पट्टा उ०प्र० उप खनिज (परिहार) नियमावली 2021 के नियम-36(2) के प्राविधानों के अन्तर्गत आता है और सी०सी०टी०बी० कैमरे लगाये जोन हेतु बाध्य नहीं है। फिर भी अपीलार्थी द्वारा नियमानुसार सी०सी०टी०बी० कैमरे लगाये गये थे। मा० एन०जी०टी० नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० संख्या-742/2024 मदन सेन बनाम उ०प्र० राज्य सरकार एवं आदि में पारित आदेश दिनांक 01-7-2024 में न तो खनन पट्टा निरस्त किया है और न ही स्थगन आदेश दिया है। जिलाधिकारी झांसी द्वारा अपीलकर्ता को निर्गत नोटिस दिनांक 03-7-2024 बैकडेट में तैयार किया गया दस्तावेज है। अवर न्यायालय का प्रश्नगत आदेश दिनांक 12-8-2024 को निरस्त कर खनन पट्टा की अवशेष अवधि (दिनांक 16-5-2028) तक अपीलकर्ता के पक्ष में खनन पट्टा बहाल किया जाए। अवर न्यायालय में विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रश्नगत आदेश निरस्त कर अपील स्वीकार किये जाने पर बल दिया गया।

4- विपक्षी की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (राजस्व) झांसी द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किये गये कि अपीलकर्ता/पट्टाधारक द्वारा खनन पट्टा की शर्तों का उल्लंघन किया गया है। खनन पट्टा क्षेत्र में प्रतिबन्धित मशीन (लिफ्टर) जांच के समय पायी गयी है, जो पर्यावरणीय शर्तों का उल्लंघन है। अपीलकर्ता द्वारा खनन क्षेत्र के बाहर बालू/मोरम का खनन किया गया है तथा जांच के समय 336 घनमीटर बालू भूण्डारित पायी गयी। अपीलकर्ता द्वारा खनन पट्टा क्षेत्र में पी०टी०जैड० कैमरा नहीं लगाया गया जो उ०प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियमों के विपरीत है। अपीलकर्ता द्वारा मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेशों का उल्लंघन किया गया है, इसलिए अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 12-8-2024 सही है जो यथावत रखने योग्य है तथा अपीलकर्ता की अपील निरस्त होने योग्य है।



Handwritten signature/initials.



आदेश पत्रक

संलग्नक-12

न्यायालय : आयुक्त
मण्डल : झांसी, जनपद : तहसील :
वाद संख्या :- 1076/2024
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :- C202406000001076
चन्द्रपाल सिंह बनाम उत्तर प्रदेश सरकार
अंतर्गत धारा:- 79, अधिनियम :- उ० प्र० उपखनिज परिहार नियमावली, 2021

(5)

5- अवर न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों से यह विदित होता है कि अपीलकर्ता श्री चन्द्रपाल सिंह को ग्राम मनिकपुरा की आराजी संख्या 314 (खण्ड संख्या-1) रकबा 4.750 हे० का बालू/मौरम का पट्टा दिनांक 17-5-2023 से दिनांक 16-5-2028 तक, की अवधि के लिए दिया गया था। कतिपय शिकायतों के आधार पर अपीलकर्ता के खनन पट्टा के सम्बंध में दिनांक 27-6-2024 को खान निरीक्षक, झांसी व तहसीलदार, मोंट द्वारा स्थलीय जांच की गयी। जांच आख्या दिनांक 27-6-2024 के आधार पर अपीलकर्ता श्री चन्द्रपाल सिंह को जिलाधिकारी, झांसी द्वारा नोटिस संख्या 342(1) दिनांक 03-7-2024 को निर्गत किया गया, जिसमें यह उल्लिखित किया गया कि जांच में प्रश्नगत खनन पट्टा क्षेत्र में पी०टी०जेड० कैमरा लगा हुआ नहीं पाया गया तथा पट्टा क्षेत्र में एक प्रतिबन्धित मशीन(लिफ्टर) पाया गया जो पर्यावरणीय शर्तों का उल्लंघन है तथा पट्टा क्षेत्र के बाहर पट्टाधारक द्वारा खनन कर बालू/मौरम 360 घनमीटर भण्डारित किया जाना उ०प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-3, 35, 36(1), व 42ज(1) का उल्लंघन मानते हुए पट्टाधारक पर कुल धनराशि 13,77,400/- रुपये अधिरोपित की गयी। इसके अतिरिक्त मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या-742/2024 मदन सेन बनाम स्टेट ऑफ उ०प्र० में मा० अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 01-7-2024 के बिन्दु-6 में अपीलकर्ता के खनन पट्टा के बावत निम्न आदेश पारित किया गया :-

The District Magistrate, Jhansi, Respondent No.2 is directed to immediately seize the CCTV footage maintained by the project proponents and file copy thereof along with their response before the Tribunal.

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण के उक्त आदेश के अनुपालन में खान निरीक्षक, झांसी व उपजिलाधिकारी मोंट द्वारा दिनांक 04-7-2024 को संयुक्त स्थलीय जांच आख्या प्रस्तुत की गयी। जिलाधिकारी झांसी द्वारा उक्त जांच आख्या दिनांक 04-7-2024 व मा० अधिकरण के आदेश दिनांक 01-7-2024 के आधार पर पट्टाधारक श्री चन्द्रपाल सिंह को नोटिस संख्या-344 दिनांक 06-7-2024 को निर्गत किया गया जिसमें उ०प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021



Handwritten signature



आदेश पत्रक

संलग्नक-12

न्यायालय : आयुक्त
मण्डल : झांसी, जनपद : तहसील :
वाद संख्या :- 1076/2024
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :- C202406000001076
चन्द्रपाल सिंह बनाम उत्तर प्रदेश सरकार
अंतर्गत धारा :- 79, अधिनियम :- 30 प्र० उपखनिज परिहार नियमावली, 2021

(6)

के नियम 36(2) एवं नियम 67 में उल्लिखित प्रावधानों के आलोक में सी०सी०टी०वी० कैमरे और आर०एफ०आई०डी० स्कैनर द्वारा की गयी समस्त रिकार्डिंग को उपलब्ध कराये। नोटिस दिनांक 06-7-2024 का जबाव पट्टाधारक द्वारा दिनांक 20-7-2024 को प्रस्तुत किया गया जो पेपर संख्या-177 पर अवस्थित है। जिलाधिकारी, झांसी द्वारा पट्टा धारक को एक अन्तिम नोटिस संख्या-477 दिनांक 02-8-2024 को इस आशय से निर्गत किया गया कि प्रतिउत्तर दिनांक 20-7-2024 के साथ संलग्न पेनड्राइव में रिकार्डिंग वीडियो दिनांक 01-6-2024 से दिनांक 30-6-2024 तक कोई लगातार वीडियो क्लिप उपलब्ध नहीं है, जबकि पेनड्राइव में उपलब्ध वीडियो क्लिप कई भागों में विभाजित है, जिसमें दिनांक, टाइम व लोकेशन अंकित नहीं है। जिससे मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 01-7-2024 का अनुपालन एवं किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना सम्भव नहीं है। तदोपरान्त जिलाधिकारी झांसी द्वारा दिनांक 12-8-2024 को खनन पट्टा के सम्बंध में आदेश पारित किया गया है, जिसके विरुद्ध यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

6- प्रश्नगत प्रकरण के परीक्षण से स्पष्ट है कि पेपर संख्या-164 पर अवस्थित जांच आख्या दिनांक 27-6-2024 के आधार पर नोटिस संख्या 342(1) दिनांक 03-7-2024 जो अपीलकर्ता/पट्टाधारक को रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 08-7-2024 (Time 16:04) को प्रेषित किया गया है। रजिस्टर्ड डाक की रसीद पत्रावली पर रक्षित है। इसी प्रकार मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश दिनांक 01-7-2024 (बेवसाइट पर अपलोड दिनांक 03-7-2024) के अनुपालन में की गयी स्थलीय जांच आख्या दिनांक 04-7-2024 के आधार पर पट्टाधारक/अपीलकर्ता को नोटिस संख्या 344 दिनांक 06-7-2024, जो रजिस्टर्ड डाक दिनांक 08-7-2024 (Time 16:04) को निर्गत किया गया है। अतः अपीलकर्ता को जांच आख्या दिनांक 27-6-2024 के आधार पर नोटिस संख्या 342(1) दिनांक 03-7-2024 एवं जांच आख्या दिनांक 04-7-2024 के आधार पर नोटिस संख्या 344 दिनांक 06-7-2024 दोनों नोटिसों की डाक रजिस्ट्री एक ही तिथि 08-7-2024 को की गयी है। पट्टाधारक द्वारा नोटिस संख्या 342(1) दिनांक 03-7-2024 को स्पष्टीकरण दिनांक 18-7-2024 को एवं नोटिस संख्या 344 दिनांक 06-7-2024 का



(Handwritten signature)

225

Printed at: 24-10-2024 07:48 PM



संलग्नक-12

आदेश पत्रक

न्यायालय : आयुक्त
मण्डल : झांसी, जनपद : तहसील :
वाद संख्या :- 1076/2024
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :- C202406000001076
चन्द्रपाल सिंह बनाम उत्तर प्रदेश सरकार
अंतर्गत धारा:- 79, अधिनियम :- 30 प्र० उपखनिज परिहार नियमावली, 2021

(7)

स्पष्टीकरण दिनांक 20-7-2024 को प्रस्तुत किया गया है। परन्तु अपीलकर्ता को निर्गत अन्तिम नोटिस संख्या 474 दिनांक 02-8-2024 का स्पष्टीकरण प्रस्तुत किये जाने हेतु पर्याप्त समय प्रदान नहीं किया गया है तथा दिनांक 12-8-2024 को प्रश्नगत आदेश पारित कर दिया गया है। अपीलकर्ता/पट्टाधार को जांच आख्या 27-6-2024 के आधार पर निर्गत नोटिस संख्या 342(1) दिनांक 03-7-2024 (डाक रजिस्ट्री दिनांक 08-7-2024) में अपीलकर्ता पर धनराशि रु. 13,77,400/- अधिरोपित करते हुए 15 दिवस में जमा किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। 30 प्र० उपखनिज(परिहार) नियमावली 2021 के नियम-59(1) व नियम-61(1) के प्रावधान निम्नवत् हैं।

नियम-59(1) The state Government or any officer authorised by it in this behalf may terminate the mining lease after serving a notice on the lessee to pay within thirty days of the receipt of the notice any amount due or dead rent under the lease including the royalty due to the state Government if it was not paid within fifteen days next after the date fixed for such payment. This right shall be in addition to and without prejudice to the right of the state government to realise such dues from the lessee as arrears of land revenue.

नियम-61(1) In case of any breach or contravention by a lessee of any of these rules or conditions and covenants contained or deemed to contained in the lease except those relating to payment of royalty, rent or other sums due to the State Government, the State Government may, after giving the lessee a reasonable opportunity to state his case terminate the lease.

अतः स्पष्ट है कि पट्टाधारक पर अधिरोपित धनराशि को जमा किये जाने हेतु नोटिस तामीला के पश्चात् 30 दिन का समय दिया जायेगा और यदि निश्चित दिनांक से 15 दिवस के अन्दर धनराशि जमा नहीं करता है तो अर्थात् 45 दिवस उपरान्त खनन पट्टा निरस्त किया जा सकता है। परन्तु प्रश्नगत प्रकरण में नोटिस संख्या 342(1) दिनांक 03-7-2024 (डाक रजिस्ट्री दिनांक 08-7-2024) में धनराशि जमा किये जाने हेतु मात्र 15 दिवस का समय दिया गया तथा नोटिस निर्गत तिथि 08-7-2024 से मात्र 35 दिवस के उपरान्त दिनांक 12-8-2024 को पट्टा निरस्त किया गया है, जो उक्त नियमों के प्रावधान के प्रतिकूल है।





आदेश पत्रक

संलग्नक-12

न्यायालय : आयुक्त
मण्डल : झांसी, जनपद : तहसील :
वाद संख्या :- 1076/2024
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :- C202406000001076
चन्द्रपाल सिंह बनाम उत्तर प्रदेश सरकार
अंतर्गत धारा:- 79, अधिनियम :- 30 प्र० उपखनिज परिहार नियमावली, 2021

(8)

7- जिलाधिकारी झांसी के विवादित आदेश दिनांक 21-9-2024 में पट्टाधारक द्वारा नियमावली के नियम 36(1) का उल्लंघन माना है। नियम 36(1) के प्रावधान निम्नवत् हैं।

नियम 36(1)-At the time of the survey and demarcation of the area granted under the lease the coordinates will be marked on the demarcating map of the concerned mining lease area and earlier to the execution of lease deed, lessee at his own expense, erect and at all times maintain and keep in good repair boundary marks and pillars necessary to indicate the demarcation shown in the plan annexed to the lease deed.

इस नियम के तहत खनन पट्टा क्षेत्र के सीमांकन मानचित्र पर कोर्डिनेट्स चिन्हांकित किये जायेंगे। जांच आख्या दिनांक 27-6-2024 में खनन पट्टा क्षेत्र में सीमा स्तम्भ अपने जी०पी०एस० बाउण्ड्री कोर्डिनेट पर लगा होना अंकित किया गया है। जांच आख्या के अनुसार खनन पट्टा क्षेत्र में एवं साईट ऑफिस/वे-ब्रिज के आसपास कोई भी रिकॉर्डिंग कैमरा/पी०टी०जेड०/सी०सी०टी० कैमरा लगा हुआ नहीं पाया गया। इस सम्बंध में 30प्र० उपखनिज(परिहार) नियमावली 2021 के नियम-36(2) में प्रावधान है। यदि नियम-36 का उल्लंघन किया जाता है तो नियम-60(3) के प्रावधान के अनुसार प्रत्येक चूक के लिए प्रतिदिन पच्चीस हजार रुपये की दर से शास्ति, जिला मजिस्ट्रेट द्वारा उद्गृहीत की जायेगी। इसी प्रकार नियम-42(ज)(1) में खनन क्षेत्र, जल धारा में सक्शन मशीन, लिफ्टर आदि से खनन को प्रतिबंधित किया गया तथा इस नियम के उल्लंघन में नियम-60(4) के अनुसार प्रत्येक अवसर पर पाँच लाख रुपये की दर से शास्ति अधिरोपित किये जाने का प्रावधान है। उक्त नियम-36 व नियम-42(ज)(1) के उल्लंघन पर पट्टा निरस्त किये जाने का प्रावधान नहीं है।

8- पट्टाधार को काली सूची में डाल दिये जाने का प्रश्न है। इस सम्बंध में 30प्र० उपखनिज(परिहार) नियमावली 2021 के नियम-61(2) में यह प्रावधान है कि यदि नियम-61(1) अथवा नियम-59 के अधीन पट्टा निरस्त कर दिया जाता है तो पट्टेदार का नाम जिला अधिकारी द्वारा दो वर्ष से अनधिक ऐसी अवधि के लिए जैसा कि वह उचित समझे, काली सूची में डाल सकता है। स्पष्ट है कि अपीलकर्ता को नोटिस दिनांक 03-7-2024 शास्ति के रूप में अधिरोपित धनराशि रु. 13,77,400/- खनिज मद में जमा किये जाने हेतु दिया गया है तथा





आदेश पत्रक

संलग्नक-12

न्यायालय : आयुक्त
मण्डल : झांसी, जनपद : तहसील :
वाद संख्या :- 1076/2024
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :- C202406000001076
चन्द्रपाल सिंह बनाम उत्तर प्रदेश सरकार
अंतर्गत धारा:- 79, अधिनियम :- 30 प्र० उपखनिज परिहार नियमावली, 2021

(9)

नोटिस दिनांक 06-7-2024 व नोटिस दिनांक 02-8-2024 सी०सी०टी०वी० कैमरे और आर०एफ०आई०डी० स्कैनर द्वारा की गयी समस्त रिकॉर्डिंग उपलब्ध कराये जाने हेतु दिया गया है। जबकि जिलाधिकारी, झांसी द्वारा आदेश दिनांक 12-8-2024 के अन्तर्गत पट्टाधारक को काली सूची (black listed) भी किया गया है। इस सम्बंध में मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा रिट-सी संख्या 31059/2023 रामलला बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 21-11-2023 में निर्णय दिया है कि कारण बताओ नोटिस में उल्लिखित तथ्यों से अनधिक आधारों पर आदेश पारित नहीं किया जायेगा। प्रश्नगत प्रकरण में भी अपीलकर्ता को black listed किये जाने बावत कोई नोटिस नहीं दिया गया है। प्रश्नगत प्रकरण में पट्टाधार/अपीलकर्ता को जो नोटिस दिनांक 03-7-2024, 06-7-2024 (डाक रजिस्ट्री दिनांक 08-7-2024) एवं दिनांक 02-8-2024 को दिये गये हैं, उनके सम्बंध में अपीलकर्ता को स्पष्टीकरण प्रस्तुत किये जाने व धनराशि जमा किये जाने हेतु उ०प्र० उपखनिज(परिहार) नियमावली 2021 के प्रावधानों के अनुरूप युक्तियुक्त अवसर/समय प्रदान नहीं किया गया है, उस स्थिति में नियम-61 के अन्तर्गत खनन पट्टा निरस्त नहीं किया जा सकता है। पट्टा निरस्त नहीं होने की स्थिति में नियम-61(2) के अन्तर्गत पट्टाधारक को काली सूची में डाला जाना विधिसंगत नहीं है। अतः उ०प्र० उपखनिज(परिहार) नियमावली 2021 के उक्त प्रावधानों के आलोक में अवर न्यायालय के आदेश दिनांक 12-8-2024 में हस्तक्षेप किये जाने का औचित्य प्रतीत होता है तथा यह अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपील स्वीकार की जाती है। जिलाधिकारी, झांसी द्वारा पारित आदेश दिनांक 12-8-2024 निरस्त करते हुए प्रकरण जिलाधिकारी, झांसी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलकर्ता/पट्टाधारक को युक्तियुक्त अवसर प्रदान करते हुए उ०प्र० उपखनिज(परिहार) नियमावली 2021 के नियमों के आलोक में गुण-दोष पर आदेश पारित करना सुनिश्चित करें।



सत्य-प्रतिलिपि

सचिव/अधीक्षक
मण्डलायुक्त न्यायालय झांसी

(बिमल कुमार दुबे) 24/10/24
आयुक्त,
झांसी मण्डल, झांसी

कार्यालय 228 जिलाधिकारी, झाँसी।

संलग्नक-13

(खनिज अनुभाग)

पत्रांक:-963 / 30एम0एम0सी0 / 2024-25

दिनांक: 12/12 / 2024

आदेश

जनपद-झाँसी में नदी तल स्थित बालू/मौरम के रिक्त क्षेत्रों को उत्तर प्रदेश उप खनिज (परिहार) नियमावली-1963 (यथा संशोधित) के अध्याय-चार के नियम-23 के उप नियम (1) के प्राविधानों के अन्तर्गत रिक्त घोषित कर, शासनादेश संख्या-1875/86-2017-57 (सामान्य)/2017 टी0सी0-1 दिनांक: 14.08.2017 सहपठित शासनादेश संख्या-2168/86-2019-57 (सा0मा0)/2017 दिनांक:09.10.2019 में उल्लिखित शर्तों के अधीन इस कार्यालय के पत्र सं0-1517/30एम0एम0सी0/विज्ञापित-बालू/मौरम/2020-21 दिनांक:23.11.2023 के द्वारा विज्ञापित क्षेत्रों के लिये ई-निविदा सह ई-नीलामी के माध्यम से ई-निविदा एवं ई-नीलामी आमंत्रित की गयी, जिसमें जनपद-झाँसी के तहसील-मोंठ स्थित ग्राम-मनिकपुरा के आराजी संख्या-314 (खण्ड-01) में 4.750 हेक्टेयर क्षेत्र से प्रतिवर्ष 23,750.00 घनमीटर में ई-निविदा सह ई-नीलामी की नियमानुसार समापन के उपरान्त एम0एस0टी0सी0 एवं ई-निविदा समिति की आख्या के अनुसार श्री चन्द्रपाल सिंह पुत्र श्री भोपाल सिंह निवासी-कुष्णा नगर कॉलोनी, खेरा, गढ़ियागांव, तहसील व जनपद-झाँसी द्वारा सर्वोच्च बोली रू0 166.00 प्रति घनमीटर दी गयी। उक्त के क्रम में सर्वोच्च बोलीदाता श्री चन्द्रपाल सिंह पुत्र श्री भोपाल सिंह को इस कार्यालय के पत्र संख्या-1941/30एम0एम0सी0/2020-21 दिनांक: 19.01.2021 द्वारा सहमति पत्र (Letter of Intent) में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन किये जाने हेतु निर्गत किया गया।

पट्टाधारक श्री चन्द्रपाल सिंह पुत्र श्री भोपाल सिंह के पक्ष में स्वीकृत खनन पट्टा के सम्बन्ध में कतिपय शिकायतों के आधार पर दिनांक: 27.06.2024 को राजस्व विभाग एवं खनन विभाग के संयुक्त दल द्वारा जनपद-झाँसी के तहसील-मोंठ स्थित ग्राम-मनिकपुरा के आराजी संख्या-314 (खण्ड-01) में 4.750 हेक्टेयर क्षेत्र का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण आख्या के अनुसार पट्टाधारक द्वारा किया गया उक्त कृत्य यथा खनन पट्टा खेत्र में पी0टी0जेड0 कैमरा लगा हुआ नहीं पाया जाना स्वीकृत क्षेत्र से बाहर प्रतिबन्धित मशीन लिफ्टर के माध्यम से अवैध खनन कर 390.00 घनमीटर भण्डारित किये जाने का कृत्य उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-3,35,36(1) व 42ज(1) का स्पष्ट उल्लंघन है। जिसमें सक्शन मशीन लिफ्टर के माध्यम से क्षेत्र के बाहर अवैध खनन किये जाने के कारण नियम-60(4) (प्रति अवसर पाँच लाख रुपये की धनराशि) के अन्तर्गत कुल रू0 5,00,000.00 की धनराशि, पर्यावरण शर्तों के उल्लंघन के कारण नियम-60(2) के अन्तर्गत रू0 5,00,000.00 धनराशि पट्टा क्षेत्र में पी0टी0जेड0 कैमरा लगा हुआ नहीं पाये के कारण नियम-60(3) (प्रति अवसर पच्चीस हजार रुपये की धनराशि) के अन्तर्गत नियमानुसार रू0 25,000.00 की शास्ति शुल्क के रूप में एवं क्षेत्र के बाहर अवैध खनन कर भण्डारित 336.00 घनमीटर बालू/मौरम पर नियमानुसार शास्ति शुल्क की कुल धनराशि रू0 13,77,400.00 को अधिरोपित करते हुए इस कार्यालय के नोटिस संख्या-342/30एम0एम0सी0/2024-25 दिनांक: 03.07.2024 एवं कार्यालय के नोटिस संख्या-344/30एम0एम0सी0/2024-25 दिनांक: 06.07.2024 द्वारा निर्गत किया गया। उक्त नोटिस दिनांक: 03.07.2024 के क्रम में श्री चन्द्रपाल पुत्र श्री भोपाल सिंह द्वारा अधिरोपित धनराशि को जमा न करते हुए अपना स्पष्टीकरण दिनांक: 18.07.2024 को प्रस्तुत किया गया जिसमें उल्लेख किया गया है कि प्रार्थी द्वारा नोटिस में अंकित सभी आरोपों का जबाव दिया जा चुका है एवं नोटिस दिनांक: 06.07.2024 के क्रम में प्रस्तुत स्पष्टीकरण दिनांक: 20.07.2024 में सन्तोषजनक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया।

जिसके क्रम में जिलाधिकारी महोदय के आदेश संख्या-512/30एम0एम0सी0/2024-25 दिनांक: 12.08.2024 द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण को निरस्त करते हुए उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-61 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत श्री चन्द्रपाल सिंह के पक्ष में स्वीकृत बालू/मौरम के उक्त नीलामी खनन पट्टा को एतद् द्वारा निरस्त कर दिया गया।

उपरोक्त निरस्तीकरण आदेश दिनांक: 12.08.2024 के विरुद्ध श्री चन्द्रपाल सिंह पुत्र श्री भोपाल सिंह द्वारा मा0 न्यायालय आयुक्त, झाँसी मण्डल, झाँसी के समक्ष अपील संख्या-1076/2024 चन्द्रपाल सिंह बनाम जिलाधिकारी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार योजित की गयी थी जिसमें मा0 न्यायालय आयुक्त महोदय, झाँसी मण्डल, झाँसी द्वारा निर्णय दिनांक: 24.10.2024 को पारित किया गया जिसमें जिलाधिकारी झाँसी पारित आदेश दिनांक: 12.08.2024 निरस्त करते हुए प्रकरण जिलाधिकारी झाँसी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलकर्ता/पट्टाधारक को युक्तियुक्त अवसर प्रदान करते हुए उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियमों के आलोक में गुण-दोष पर आदेश पारित करना सुनिश्चित करें।

मा0 न्यायालय आयुक्त महोदय, झाँसी मण्डल, झाँसी द्वारा पारित आदेश दिनांक: 24.10.2024 के क्रम में इस कार्यालय के पत्र संख्या-805/30एम0एम0सी0/2024-25 दिनांक: 12.11.2024 द्वारा अन्तिम अवसर प्रदान करते हुए श्री चन्द्रपाल सिंह पुत्र श्री भोपाल सिंह को अन्तिम नोटिस निर्गत किया गया है, जिसके क्रम

229 (2)

में श्री चन्द्रपाल सिंह पुत्र श्री भोपाल सिंह द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण दिनांक: 14.11.2024 में मुख्य रूप से उल्लेख किया गया है कि एक पक्षीय जाँच आख्या दिनांक: 27.06.2024 गुप्त रूप से तैयार की गयी है जो आज तक अपीलार्थी को अप्राप्त है और यह दस्तावेज प्रकरण का महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिसके आधार पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा अन्तिम आदेश पारित किया गया है। उक्त दस्तावेज को अपीलार्थी को प्रदान न किए जाने के कारण यह अपीलार्थी पर प्रभावी नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त यहां यह भी उल्लेखनीय है कि कार्यालय के नोटिस संख्या-342(i)/30एम0एम0सी0/2024-25 दिनांक: 03.07.2024 द्वारा प्रेषित किया गया जिसमें जाँच आख्या दिनांक: 27.06.2024 को पूर्ण अंकित कर पट्टाधारक को अवगत कराया गया है। इसी क्रम में कार्यालय पत्र संख्या-829/30एम0एम0सी0/2024-25 दिनांक: 20.11.2024 द्वारा पत्र प्रेषित करते हुए श्री चन्द्रपाल सिंह पुत्र श्री भोपाल सिंह को जाँच आख्या दिनांक: 27.06.2024 की छायाप्रति प्रेषित करते हुए भलीभांति अवलोकन करने के उपरान्त मा0 न्यायालय आयुक्त, झॉंसी मण्डल, झॉंसी द्वारा पारित आदेश दिनांक: 24.10.2024 के क्रम में प्रश्नगत प्रकरण में अपना लिखित रूप से स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये, जिसके क्रम में श्री चन्द्रपाल सिंह पुत्र श्री भोपाल सिंह द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण दिनांक: 24.11.2024 में उल्लेख किया गया है कि मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा उपरोक्त आदेश में प्रतिपादित सिद्धान्तों के आलोक में प्रार्थी के प्रश्नगत प्रकरण में अपीलीय न्यायालय द्वारा गुण-दोष के आधार पर निर्णीत हो चुके प्रकरण में अब कोई नया साक्ष्य एवं नया वाद बिन्दु निर्धारित नहीं किया जा सकता है। अपीलीय न्यायालय द्वारा दिए गये निर्णय के आधार पर प्रकरण का निस्तारण किया जाना उचित होगा और इसी निर्णय के आधार पर श्रीमान जिलाधिकारी झॉंसी द्वारा प्रेषित नोटिस दिनांक: 20.11.2024 वापिस लेते हुए पूर्व में दिए गये प्रत्यावेदन दिनांक: 14.11.2024 के आधारों पर न्यायसंगत आदेश पारित किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

उपरोक्त अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रतिउत्तर में पट्टा विलेख की शर्तों मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेशों का उल्लंघन तथा उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-3,35,36(1),42(ज)(1) का भी बार-बार उल्लंघन पट्टाधारक द्वारा नहीं किये जाने के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया, जबकि अपीलार्थी प्रश्नगत पट्टा क्षेत्र में 04 बार निरीक्षण दिनांक: 05.01.2024, 22.04.2024, 01.05.2024 व 27.06.2024 में उल्लिखित तथ्यों से स्वतः स्पष्ट है कि पट्टाधारक द्वारा उक्त उल्लेखित नियमों व शर्तों का बार-बार उल्लंघन किया गया। उक्त समस्त तथ्यों के आलोक में पट्टाधारक द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन/प्रत्युत्तर दिनांक: 14.11.2024 एवं दिनांक: 24.11.2024 आधारहीन, साक्ष्यविहीन, तथ्यों के परे होने एवं सन्तोषजनक उत्तर न प्रस्तुत किये जाने तथा निष्पादित पट्टाविलेख की शर्तों व उपबन्धों का उल्लंघन मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेशों के उल्लंघन तथा उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-3,35,36(1),42 (ज)(1) का भी उल्लंघन किये जाने के दृष्टिगत प्रस्तुत प्रत्यावेदन/प्रत्युत्तर दिनांक: 14.11.2024 एवं दिनांक: 24.11.2024 को निरस्त किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत श्री चन्द्रपाल सिंह पुत्र श्री भोपाल सिंह द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन दिनांक: 14.11.2024 एवं दिनांक: 24.11.2024 को निरस्त करते हुए श्री चन्द्रपाल सिंह के पक्ष में स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र में पूर्व में पारित निस्तृतीकरण आदेश दिनांक: 12.08.2024 को यथावत रखा जाता है। उक्त क्षेत्र को नये सिरे से खनन परिहार पर नियंत्रित किये जाने की कार्यवाही की जाय।

जिलाधिकारी,
झॉंसी।



पत्रांक व तददिनांक:-

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
3. उप जिलाधिकारी, मॉंट, जनपद-झॉंसी।
4. शाखा प्रबन्धक, एम0एस0टी0सी0 लिमिटेड, द्वितीय तल, सेंटर कोर्ट बिल्डिंग-3/सी-5, पार्क रोड, हजरतगंज, लखनऊ।
5. श्री चन्द्रपाल सिंह पुत्र श्री भोपाल सिंह निवासी-कुष्णा नगर कॉलोनी, खेरा, गढ़ियागांव, तहसील व जनपद-झॉंसी।

जिलाधिकारी,
झॉंसी।



ANNEXURE-14
230

संलग्नक-14

उत्तर प्रदेश शासन
भूतत्व एवं खनिकर्म विभागA.D.M.(J)/
D.M.O. (7)
कृपया अनुपालन सुनिश्चित करें।

संख्या-365/ एस0एस0एम0/2025

लखनऊः दिनांकः 22 जनवरी, 2025

निगरानी संख्या-03(आर)/जी0एण्डएम0/(यू0पी0)/2025

श्री चन्द्रपाल सिंह पुत्र श्री भोपाल सिंह निवासी कृष्णा नगर कालोनी, खेरा गढ़ियागांव,
झांसी। निगरानीकर्ता।

बनाम

प्रतिपक्षीगण।

1. जिलाधिकारी, झांसी।

निर्णय

विषयगत निगरानी उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-80 के अन्तर्गत श्री चन्द्रपाल सिंह पुत्र श्री भोपाल सिंह निवासी कृष्णा नगर कालोनी, खेरा गढ़ियागांव, तहसील एवं जनपद-झांसी ने जिलाधिकारी, झांसी द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.12.2024 के विरुद्ध निगरानी प्रस्तुत की है।

संक्षेप में निगरानीकर्ता का कथन है कि जनपद-झांसी के तहसील-मोठ ग्राम-मनिकपुरा के आराजी संख्या-314 खण्ड-01 क्षेत्रफल 4.750 हे० से 23750 घन० मी० बालू/मोरम का 05 वर्षीय खनन पट्टा दिनांक 17.05.2023 से 16.05.2028 तक की अवधि के लिए ई-निविदा सह, ई-नीलानी स्वीकृत/निष्पादित था। प्रश्नगत खनन पट्टा क्षेत्र के सम्बन्ध में शिकायत प्राप्त होने पर दिनांक 27.06.2024 को राजस्व एवं खनन विभाग की संयुक्त दल द्वारा खनन पट्टा क्षेत्र की जाँच की गयी। जाँच आख्या के आधार पर जिलाधिकारी कार्यालय, झांसी द्वारा अवैध खनन व खनन पट्टा शर्तों के उल्लंघन हेतु नोटिस संख्या-342/30-एम0एम0सी0/2024-25 दिनांक 03.07.2024 व नोटिस संख्या-344/30-एम0एम0सी0/2024-25 दिनांक 06.07.2024 निर्गत कर कुल धनराशि रू० 13,77,400/- जमा करने हेतु निर्देशित किया गया। नोटिस दिनांक 03.07.2024 का स्पष्टीकरण निगरानीकर्ता द्वारा दिनांक 18.07.2024 को प्रस्तुत किया गया। उक्त स्पष्टीकरण के क्रम में, जिलाधिकारी, झांसी द्वारा आदेश संख्या-512/30-एम0एम0सी0/2024-25 दिनांक 12.08.2024 को निरस्त करते हुए उ० प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2021 के नियम-61 में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत प्रश्नगत खनन पट्टा निरस्त कर दिया गया तथा जमा प्रतिभूति की धनराशि रू० 9,85,625/- को नोटिस दिनांक 03.07.2024 में अधिरोपित धनराशि रू० 13,77,400/- से समायोजित करने के पश्चात रू० 3,91,775/- व बकाया डी०एम०एफ० धनराशि रू० 11,77,584/- व टी०सी०एस० धनराशि रू० 1,13,545/- को जमा करने हेतु निर्देशित किया गया है। जिलाधिकारी के आदेश दिनांक 12.08.2024 के विरुद्ध निगरानीकर्ता द्वारा मा० न्यायालय आयुक्त, झांसी मण्डल, झांसी के समक्ष अपील सं०-1076/2024 चन्द्रपाल सिंह बनाम जिलाधिकारी व उ० प्र० सरकार योजित की गयी थी। जिसे निस्तारित करते हुए मा० न्यायालय आयुक्त, झांसी मण्डल, झांसी द्वारा दिनांक 24.10.2024 को पारित आदेश द्वारा जिलाधिकारी, झांसी का आदेश दिनांक 12.08.2024 को निरस्त करते हुए जिलाधिकारी, झांसी को निगरानीकर्ता को युक्तियुक्त अवसर प्रदान करते हुए उ० प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2021 के नियमों के आलोक में गुण-दोष के आधार पर आदेश

विभाग संख्या

विवरण संख्या 342/25

क्रमांक संख्या 344/25

दिनांक 29-1-25

खान निरीक्षक/सर्वेक्षक
खनिज मोहरिर
ज्येष्ठ खान अधिकारी
26/1/2025

231

पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया गया। उक्त आदेश के क्रम में निगरानीकर्ता को दिनांक 12.12.2024 द्वारा नोटिस निर्गत कर अपना पक्ष रखने हेतु साक्ष्यों सहित नियत तिथि को उपस्थित होने के लिए कहा गया। जिलाधिकारी, झांसी ने अपने आदेश संख्या-963/30-एम0एम0सी0/2024-25 दिनांक 12.12.2024 द्वारा निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन दिनांक 14.11.2024 को निरस्त करते हुए खनन पट्टा निरस्तीकरण आदेश दिनांक 12.08.2024 को यथावत् रखा गया तथा क्षेत्र को नये सिरे से परिहार पर व्यवस्थापित किये जाने का आदेश पारित किया गया। अन्त में निगरानीकर्ता द्वारा जिलाधिकारी, झांसी का पारित आदेश दिनांक 12.12.2024 व जॉच आख्या दिनांक 27.06.2024 को निरस्त करने व खनन पट्टा संचालन हेतु ई0-एम0एम0-11 निर्गत करने हेतु जिलाधिकारी, झांसी को निर्देशित करने हेतु अनुरोध किया गया है।

जिलाधिकारी ने अपने पत्र संख्या-1096/30-एम0एम0सी0/2024-25 दिनांक 22.01.2025 द्वारा प्रस्तरवार आख्या उपलब्ध कराया। जिलाधिकारी की आख्या के अनुसार, जनपद-झांसी के तहसील-मोंठ स्थित ग्राम-मनिकपुरा के आराजी संख्या-314 खण्ड-01 रकबा-4.750 हे० पर बेतवा नदी तल स्थित बालू/मोरम का नीलामी पट्टा 05 वर्ष दिनांक 17.05.2023 से दिनांक 16.05.2028 तक की अवधि हेतु श्री चन्द्रपाल सिंह पुत्र श्री भोपाल सिंह, निवासी-कृष्णा नगर कॉलोनी, खेरा गढ़ियागांव, तहसील व जिला-झांसी के पक्ष में स्वीकृत था। प्रश्नगत खनन पट्टा क्षेत्र का कुल चार बार किये गये निरीक्षण दिनांक 05.01.2024, 22.04.2024, 01.05.2024 व 27.06.2024 के अनुसार निष्पादित पट्टाविलेख की शर्तों एवं उपबन्धों का उल्लंघन तथा उ०प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली 2021 के नियम-3, 35, 36(1), 42(ज) (1) का भी उल्लंघन किया गया है, जिसमें पट्टेधारक द्वारा निरीक्षण दिनांक 05.01.2024, 22.04.2024 एवं 01.05.2024 में पायी गयी अनिमितताओं के कारण उक्त नियमावली, 2021 के अन्तर्गत अधिरोपित शास्ति की धनराशि को वसूल भी किया गया। प्रश्नगत खनन पट्टा क्षेत्र का निरीक्षण दिनांक 27.6.2024 जी०पी०एस० कॉर्डिनेट्स सहित फोटोग्राफ्स अंकित कर आख्या प्रेषित की गयी। जो निम्नवत् है:- 1. प्रश्नगत खनन पट्टा क्षेत्र में सीमास्तम्भ अपने जी०पी०एस० बाऊंडरी कॉर्डिनेट पर लगा होना पाया गया। 2. प्रश्नगत खनन पट्टा क्षेत्र में पी०टी०जेड कैमरा लगा हुआ नहीं पाया गया। 3. प्रश्नगत खनन पट्टा क्षेत्र में एक प्रतिबन्धित मशीन (लिफ्टर) पाया गया, जो पर्यावरणीय शर्तों का उल्लंघन है। उक्त प्रतिबन्धित मशीन (लिफ्टर) को मौके पर क्षतिग्रस्त कर दिया गया। 4. प्रश्नगत खनन पट्टा क्षेत्र के बाहर पट्टाधारक द्वारा खनन कर बालू/मोरम भण्डारित किया जाना पाया गया जिसकी पैमाईस का विवरण निम्नवत् है:-

लम्बाई (मी० में)	चौड़ाई (मी० में)	ऊँचाई (मी० में)	कुल मात्रा (घन०मी० में)
70.00	04.00	1.20	336.00 घनमीटर

उपरोक्त प्रस्तुत निरीक्षण आख्या के अनुसार उक्त कृत्य यथा खनन पट्टा क्षेत्र में पी०टी०जेड० कैमरा लगा हुआ नहीं पाया जाना, स्वीकृत क्षेत्र से बाहर प्रतिबन्धित मशीन लिफ्टर के माध्यम से अवैध खनन कर 336.00 घनमीटर भण्डारित किये जाने का कृत्य उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-3, 35, 36(1) व 42 (1) का स्पष्ट उल्लंघन है। जिसमें सक्षम मशीन लिफ्टर के माध्यम से क्षेत्र के बाहर अवैध खनन किये जाने के कारण नियम-60 (4) (प्रति अवसर पाँच लाख रुपये की धनराशि) के अन्तर्गत कुल रू० 5,00,000/- की धनराशि, पर्यावरण शर्तों के उल्लंघन के कारण नियम-60(2) के अन्तर्गत 50,000.00 की धनराशि, पट्टा क्षेत्र में पी०टी०जेड० कैमरा लगा हुआ नहीं पाये जाने के कारण नियम-60 (3) (प्रति अवसर पच्चीस हजार रुपये की धनराशि) के अन्तर्गत नियमानुसार रू० 25,000.00 की शास्ति शुल्क के रूप में एवं क्षेत्र के बाहर अवैध खनन कर भण्डारित 336.00 घनमीटर बालू/मोरम पर रॉयल्टी के रूप में

50,400.00 तथा खनिमुख मूल्य के रूप में ₹0 50,400.00x5=2,52,000.00 की धनराशि व नियम-58 के अन्तर्गत ₹0 5,00,000.00 की शास्ति शुल्क अधिरोपित कर कुल धनराशि ₹0 13,77,400.00 अधिरोपित करते हुए पट्टे धारक द्वारा पट्टा क्षेत्र में बार-बार उ०प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-3, 35, 36(1), 38(2), 42ज(1) एवं पर्यावरण शर्तों तथा निष्पादित पट्टाविलेख में उल्लिखित शर्तों का उल्लंघन किये जाने के कारण स्पष्टीकरण स्वयं अथवा अधिवक्ता के माध्यम से प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये कि क्यों न उ०प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली 2021 के नियम-61 (1) के अन्तर्गत स्वीकृत खनन पट्टा के निरस्तीकरण की कार्यवाही कर दी जाये के सम्बन्ध में दिनांक 03.07.2024 को नोटिस निर्गत किया गया।

उक्त पट्टा निरस्तीकरण किये जाने के सम्बन्ध में निर्गत नोटिस दिनांक 03.07.2024 में जाँच आख्या दिनांक 27.06.2024 को पूर्ण से अंकित कर पट्टाधारक को प्रेषित किया गया था। जिसके सम्बन्ध में निगरानीकर्ता द्वारा अपना लिखित प्रत्युत्तर दिनांक: 18.07.2024 को दिया गया, जो आधारहीन, साक्ष्यविहीन तथ्यों के परे होने एवं सन्तोषजनक उत्तर न प्रस्तुत किये जाने तथा प्रश्नगत खनन पट्टा क्षेत्र का कुल चार बार किये गये निरीक्षण दिनांक 05.01.2024, 22.04.2024, 01.05.2024 व 27.06.2024 के अनुसार निष्पादित पट्टा विलेख की शर्तों एवं उपबन्धों का उल्लंघन तथा उ० प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2021 के नियम-3, 35, 36 (1) 42 (ज) (1) का भी उल्लंघन किया गया है, जिसमें पट्टेधारक द्वारा निरीक्षण दिनांक 05.01.2024, 22.04.2024 एवं 01.05.2024 में पायी गयी अनिमितताओं के कारण उक्त नियमावली, 2021 के अन्तर्गत अधिरोपित शास्ति की धनराशि को वसूल भी किया गया। जिससे स्वतः स्पष्ट है कि निगरानीकर्ता द्वारा पट्टाविलेख की शर्तों एवं उपबन्धों का उल्लंघन तथा उक्त नियमावली, 2021 के नियम-3, 35, 36(1), 42 (ज) (1) का भी उल्लंघन बार-बार किया जा रहा है, जो निरीक्षण आख्या दिनांक 27.06.2024 फोटोग्राफ (साक्ष्य) सहित प्रस्तुत तथ्यों से भी स्पष्ट है। उक्त के दृष्टिगत प्रस्तुत स्पष्टीकरण आधारहीन, साक्ष्यविहीन, तथ्यों के परे होने एवं सन्तोषजनक उत्तर न प्रस्तुत किये जाने के कारण प्रस्तुत प्रत्युत्तर को निरस्त कर पट्टा निरस्तीकरण आदेश दिनांक 12.08.2024 को पारित किया गया। जो उ०प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2021 के अनुरूप है। इसके अतिरिक्त निगरानीकर्ता श्री चन्द्रपाल सिंह पुत्र श्री भोपाल सिंह द्वारा मा० न्यायालय आयुक्त, झाँसी मण्डल, झाँसी के समक्ष जिलाधिकारी, झाँसी द्वारा पारित पट्टा निरस्तीकरण आदेश दिनांक 12.08.2024 के विरुद्ध अपील संख्या-1076/2024 चन्द्रपाल सिंह बनाम जिलाधिकारी योजित की गयी, जिसमें मा० न्यायालय आयुक्त, महोदय झाँसी मण्डल, झाँसी द्वारा निर्णय दिनांक 24.10.2024 को पारित कर जिलाधिकारी, झाँसी द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.08.2024 निरस्त करते हुए जिलाधिकारी, झाँसी को प्रकरण प्रतिप्रेषित करते अपीलकर्ता/पट्टाधारक को युक्तियुक्त अवसर प्रदान करते हुए उ० प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियमों के आलोक में गुण-दोष पर आदेश पारित के निर्देश दिये गये हैं। उक्त पारित आदेश के अनुपालन में कार्यालय के पत्र संख्या-805/30 एम०एम०सी०/2024-25 दिनांक 12.11.2024 द्वारा निगरानीकर्ता को पुनः अवसर प्रदान करते हुए नोटिस निर्गत किया गया है, जिसके क्रम में निगरानीकर्ता द्वारा अपना स्पष्टीकरण दिनांक 14.11.2024 को प्रस्तुत कर मुख्य रूप से उल्लेख किया गया है कि एक पक्षीय जाँच आख्या दिनांक 27.06.2024 को अपीलार्थी को अप्राप्त है। जबकि पट्टा निरस्तीकरण किये जाने के सम्बन्ध में निर्गत नोटिस दिनांक 03.07.2024 में जाँच आख्या दिनांक 27.06.2024 को पूर्ण से अंकित कर पट्टाधारक को प्रेषित किया गया था। जिसे पुनः कार्यालय पत्र संख्या-829/30 एम०एम०सी०/2024-25 दिनांक 20.11.2024 के माध्यम से जाँच आख्या दिनांक 27.06.2024 की छायाप्रति संलग्न कर जाँच आख्या से भलीभांति अवलोकन करने के उपरान्त प्रकरण में अपना लिखित रूप से स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये, जिसमें अपीलार्थी द्वारा अपना लिखित स्पष्टीकरण दिनांक 24.11.2024 प्रस्तुत किया गया

जो आधारहीन, साक्ष्यविहीन, तथ्यों के परे होने एवं सन्तोषजनक उत्तर न प्रस्तुत किये जाने तथा पट्टा विलेख की शर्तों व उपबन्धों का उल्लंघन मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेशों के उल्लंघन उ० प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-3, 35, 36 (1) 42 (ज) (1) का भी उल्लंघन जाने के दृष्टिगत प्रस्तुत प्रत्यावेदन/प्रत्युत्तर दिनांक 14.11.2024 एवं दिनांक 24.11.2024 को निरस्त आदेश दिनांक 12.12.2024 पारित किया गया। जो अपीलार्थी को पर्याप्त सुनवाई का अवसर प्रदान किये जाने के उपरान्त नियमानुसार पारित किया गया है। जिसके उपरान्त प्रश्नगत खनन क्षेत्र रिक्त हो जाने के कारण शासनादेश संख्या-781/86-2020-14 (सा०)/2020 भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ० प्र० शासन लखनऊ दिनांक 23.05.2020 में दिये गये निर्देशों के अधीन कार्यालय पत्र संख्या-1043/30 एम०एम०सी०/ई-निविदा/बालू/मोरम/2024-25 दिनांक 09.01.2025 के माध्यम से 06 माह की अल्प अवधि हेतु खनन परिहार पर व्यवस्थापन किये जाने के सम्बन्ध में विज्ञापित किया गया है, जिसमें दिनांक 21.01.2025 से दिनांक 27.01.2025 तक निविदा आमंत्रित कर दिनांक 28.01.2025 को गठित ई-निविदा समिति के समक्ष खोला जाना प्रस्तावित है। अतः निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी के माध्यम से लगाये गये आरोप आधारहीन, बलहीन, साक्ष्यविहीन एवं भ्रामक तथ्यों पर आधारित है, जिसके दृष्टिगत योजित निगरानी को निरस्त किये जाने योग्य है।

दिनांक 24.01.2025 को निगरानी में सुनवाई सम्पन्न हुई। सुनवाई में शासन का पक्ष रखने हेतु श्री हवलदार यादव, सहायक रसायनज्ञ, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उपस्थित रहे। जिलाधिकारी, झांसी की आख्या दिनांक 22.01.2025 की प्रति निगरानी प्राधिकारी को प्राप्त हुई, जिसकी प्रति सुनवाई के पूर्व में निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को उपलब्ध करायी जा चुकी है। निगरानीकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों को सुना गया तथा अभिलेखों का परिशीलन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि जिलाधिकारी, झांसी द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.08.2024 के विरुद्ध निगरानीकर्ता ने मण्डलायुक्त, झांसी मण्डल, झांसी के समक्ष अपील योजित की। मण्डलायुक्त, झांसी मण्डल, झांसी ने दिनांक 24.10.2024 को आदेश पारित कर अपील स्वीकार करते हुए, जिलाधिकारी, झांसी द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.08.2024 को निरस्त कर दिया तथा जिलाधिकारी, झांसी को निर्देशित किया कि निगरानीकर्ता को युक्तियुक्त अवसर प्रदान करते हुए उ० प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2021 के नियमों के आलोक में गुण-दोष के आधार पर पुनः आदेश पारित करें। जिलाधिकारी, झांसी ने दिनांक 12.11.2024 को नोटिस जारी कर निगरानीकर्ता को निर्देशित किया कि वह कार्यालय में स्वयं अथवा अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर लिखित रूप से अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें। निगरानीकर्ता के अनुरोध पर जिलाधिकारी, झांसी ने जॉच आख्या दिनांक 27.06.2024 की प्रति निगरानीकर्ता को दिनांक 20.11.2024 को उपलब्ध करा दी। निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण दिनांक 14.11.2024 एवं 24.11.2024 को अस्वीकार करते हुए दिनांक 12.12.2024 को जिलाधिकारी, झांसी ने आदेश पारित कर अपने पूर्व के आदेश दिनांक 12.08.2024 को यथावत् रखा। जिलाधिकारी, झांसी द्वारा प्रस्तुत आख्या दिनांक 22.01.2025 के प्रस्तर संख्या-16 में यह स्वीकार किया गया है, कि जिला खनिज फाउण्डेशन न्यास की गणना में त्रुटि हुई है, जिसके सम्बन्ध में परीक्षण कर आवश्यक सुधार की कार्यवाही की जा रही है, अतः जिलाधिकारी, झांसी द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.12.2024 में संशोधन की आवश्यकता है, निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र दिनांक 25.01.2025 के माध्यम से यह अवगत कराया है कि जिलाधिकारी, झांसी द्वारा अधिरोपित रू० 13,77,400/- धनराशि को वह 15 दिवस के अन्दर जमा करने को तैयार है, शपथ पत्र के माध्यम से निगरानीकर्ता ने यह भी अनुरोध किया है, कि उसे खनन पट्टा संचालन की अनुमति प्रदान की जाए।

234

जिलाधिकारी की आख्या के अनुसार प्रश्नगत पट्टा क्षेत्र के व्यवस्थापन हेतु विज्ञप्ति दिनांक 09.01.2025 को जारी की गयी है जिसमें दिनांक 21.01.2025 से दिनांक 27.01.2025 तक निविदा आमंत्रित कर दिनांक 28.01.2025 को गठित ई-निविदा समित के समक्ष खोला जाना प्रस्तावित है इस सम्बन्ध में स्पष्ट करना है कि विज्ञप्ति जारी होने के पश्चात लेटर ऑफ इन्टेंट कराना, खनन योजना का अनुमोदन कराना, पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र प्राप्त कर खनन संक्रिया शुरू करने में लगभग 01 वर्ष का समय लगने की सम्भावना है, तबतक क्षेत्र रिक्त रहेगा। उपरोक्त के दृष्टिगत राजस्व हित में एवं जिलाधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.12.2024 में त्रुटि के दृष्टिगत जिलाधिकारी, झांसी द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.12.2024 निरस्त किया जाता है, तथा निगरानीकर्ता को निर्देशित किया जाता है कि जिलाधिकारी, झांसी द्वारा अधिरोपित धनराशि 10 कार्य दिवस में जमा कराना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी, झांसी को यह भी निर्देशित किया जाता है कि डी0एम0एफ0 (जिला खनिज फाउण्डेशन न्यास) के मद में देय धनराशि को सुधार कर पुनः त्रुटिरहित गणना कराये तथा निगरानीकर्ता पर अन्य देय धनराशि जमा कराकर पट्टा संचालन शुरू कराना सुनिश्चित करें। यदि निगरानीकर्ता अधिरोपित धनराशि/शास्ति समयान्तर्गत जमा नहीं करता है तो जिलाधिकारी, झांसी यथोचित निर्णय लेने हेतु स्वतंत्र होंगे।

तदनुसार विषयगत निगरानी निस्तारित की जाती है। सभी संबंधित को सूचित किया जाय।
वाद आवश्यक कार्यवाही हेतु पत्रावली दाखिल दफतर हो।

(अरूण कुमार)
विशेष सचिव,

पत्र संख्या-365 (1)/एस0एस0एम0/2025 तददिनांक ।
प्रतिलिपि:-

- 1- निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
- 2- जिलाधिकारी, झांसी को निगरानी में दिये गये निर्देश पर अग्रेतर कार्यवाही हेतु।
- 3- श्री चन्द्रपाल सिंह पुत्र श्री भोपाल सिंह निवासी कृष्णा नगर कालोनी, खेरा गढ़ियागांव, तहसील एवं जनपद-झांसी।

(अरूण कुमार)
विशेष सचिव

ANNEXURE-15

कार्यालय जिलाधिकारी, झाँसी।
(खनिज अनुभाग)

संलग्नक-15

पत्रांक: 1133 / 30एम0एम0सी0 / 2024-25

दिनांक: 31/01/2025

आदेश

श्री चन्द्रपाल सिंह
पुत्र श्री भोपाल सिंह
निवासी- कृष्णा नगर कॉलोनी, खेरा गढियागांव,
तहसील व जनपद-झाँसी।

जनपद-झाँसी के तहसील-मोंठ स्थित ग्राम-मनिकपुरा के आराजी संख्या-314 (खण्ड संख्या-1) में रकवा 4.750 हेक्टेयर क्षेत्र पर बालू/मोरम का खनन पट्टा दिनांक: 17.05.2023 से दिनांक: 16.05.2028 तक 05 वर्ष की अवधि के लिये श्री चन्द्रपाल सिंह पुत्र श्री भोपाल सिंह निवासी-कृष्णा नगर कॉलोनी, खेरा गढियागांव तहसील व जनपद-झाँसी के पक्ष में स्वीकृत किया गया था। उपरोक्त खनन पट्टा को जिलाधिकारी महोदय के आदेश संख्या-512/30एम0एम0सी0/2024-25 दिनांक: 12.08.2024 द्वारा निरस्त कर उक्त क्षेत्र को रिक्त घोषित किया गया।

प्रश्नगत प्रकरण में आप द्वारा उत्तर प्रदेश शासन भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग में निगरानी संख्या-03(आर)/जी0एण्डएम0/(यू0पी0)/2025 श्री चन्द्रपाल सिंह पुत्र श्री भोपालसिंह निवासी-कृष्णा नगर कालोनी, खेरा गढियागांव, झाँसी बनाम जिलाधिकारी झाँसी योजित की गयी, जिसमें निगरानी संख्या-03(आर)/जी0एण्डएम0/(यू0पी0)/2025 में भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा पारित आदेश संख्या-365/एस0एस0एम0/2025 दिनांक: 27.01.2025 को आदेश पारित किया गया जो निम्नवत् है :-

"विज्ञप्ति दिनांक: 09.01.2025 को जारी की गयी है जिसमें दिनांक: 21.01.2025 से दिनांक: 27.01.2025 तक निविदा आमंत्रित कर दिनांक: 28.01.2025 को गठित ई-निविदा समिति के सक्षम खोला जाना प्रस्तावित है इस सम्बन्ध स्पष्ट करना है कि विज्ञप्ति जारी होने के पश्चात लेटर ऑफ इन्टेंट कराना, खनन योजना का अनुमोदन कराना, पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र प्राप्त कर खनन संक्रिया शुरू करने में लगभग 01 वर्ष का समय लगने की सम्भावना है, तब तक क्षेत्र रिक्त रहेगा। उपरोक्त दृष्टिगत राजस्व हित में एवं जिलाधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक: 12.12.2024 में त्रुटि के दृष्टिगत जिलाधिकारी, झाँसी द्वारा पारित आदेश दिनांक: 12.12.2024 निरस्त किया जाता है, तथा निगरानीकर्ता को निर्देशित किया जाता है कि जिलाधिकारी, झाँसी द्वारा अधिरोपित धनराशि 10 कार्य दिवस में जमा कराना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी, झाँसी को यह भी निर्देशित किया जाता है कि डी0एम0एफ0 (जिला खनिज फाण्डेशन न्यास) के मद में देय धनराशि को सुधार कर पुनः त्रुटिरहित गणना करायें तथा निगरानीकर्ता पर अन्य देय धनराशि जमा कराकर पट्टा संचालन शुरू कराना सुनिश्चित करें। यदि निगरानीकर्ता अधिरोपित धनराशि/शास्ति समयान्तर्गत जमा नहीं करता है तो जिलाधिकारी, झाँसी यथाचित निर्णय लेने हेतु स्वतंत्र होंगे।"

निगरानी संख्या-03(आर)/जी0एण्डएम0/(यू0पी0)/2025 में भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा पारित आदेश संख्या-365/एस0एस0एम0/2025 दिनांक: 27.01.2025 के अनुपालन में निम्न अधिरोपित धनराशि/शास्ति की धनराशि निम्नवत् है :-

क्र० सं०	पट्टा वर्ष	मद	देय तिथि	देय किश्त की धनराशि	नोटिस दिनांक: 03.07.2024 में अधिरोपित बकाया धनराशि (रु०में)	दिनांक: 01.12.2023 से बकाया डी0एम0एफ0 की धनराशि 15 प्रतिशत ब्याज सहित	दिनांक: 01.05.2023 से टी0सी0एस0 के मद में बकाया	सम्पूर्ण धनराशि (रु०में) (5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2024-25 द्वितीय पट्टा वर्ष	चतुर्थ किश्त(10%)	01.11.2024	4,33,675.00	13,77,400.00	4,17,605.00	1,13,545.00	36,43,250.00
		पंचम किश्त(10%)	01.12.2024	4,33,675.00				
		षष्ठम किश्त(10%)	01.01.2025	4,33,675.00				
		सप्तम किश्त(10%)	01.02.2025	4,33,675.00				
योग				17,34,700.00				

/s/

अतः उत्तर प्रदेश शासन द्वारा पारित आदेश दिनांक: 27.01.2025 के अनुपालन में आपको निर्देशित किया जाता है कि पत्र प्राप्ति के 10 कार्य दिवस के अन्दर उपरोक्त देय किश्त की धनराशि एवं अधिरोपित धनराशि/शास्ति रू० 31,12,100.00 (इकतीस लाख बारह हजार एक सौ रूपया) को खनिज के निर्धारित शीर्षक "0853,अलौह खनन तथा धातुकर्म उधोग"में एवं जिला खनिज फाउण्डेशन न्यास की देय कुल धनराशि रू० 4,17,605.00 (चार लाख सत्रह हजार छह सौ पाँच रूपया) पंजाब नेशनल बैंक, ग्वालियर रोड, झाँसी में जिला खनिज फाउण्डेशन न्यास के बचत खाता संख्या-4734000100053355 में तथा टी0सी0एस0 (आयकर) की देय धनराशि रू० 1,13,545.00 (एक लाख तेरह हजार पाँच सौ पैतालीस रूपया) TAN नं०-AGRD11071E में समयान्तर्गत जमा करें, अन्यथा की स्थिति में उपरोक्त धनराशि जमा नहीं की जाती है तो प्रश्नगत प्रकरण में यथाचित निर्णय लिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

जिलाधिकारी,
झाँसी।

पत्रांक व तददिनांक:-

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
2. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ।
3. उप जिलाधिकारी, मॉट, जनपद-झाँसी।
4. शाखा प्रबन्धक, एम०एस०टी०सी० लिमिटेड, द्वितीय तल, सेंटर कोर्ट बिल्डिंग-3/सी-5, पार्क रोड, हजरतगंज, लखनऊ।
5. श्री चन्द्रपाल सिंह पुत्र श्री भोपाल सिंह निवासी-कुष्णा नगर कॉलोनी, खेरा, गढ़ियागांव, तहसील व जनपद-झाँसी।

जिलाधिकारी,
झाँसी।

ANNEXURE-16

कार्यालय जिलाधिकारी, झाँसी।

(खनिज अनुभाग)

पत्रांक: 2071/30एम0एम0सी0/2024-25

दिनांक 11/03/2025

नोटिस

चन्द्रपाल सिंह पुत्र श्री भोपाल सिंह
निवासी-कृष्णा नगर कॉलोनी,
खेरा गढियागांव, तहसील व जनपद-झाँसी।

आपके पक्ष में स्वीकृत खनन पट्टा के सम्बन्ध जनपद-झाँसी के तहसील-मोंट स्थित ग्राम-मनिकपुरा के आराजी संख्या-314 (खण्ड-1) रकवा-4.750 हे० पर संचालित उपखनिज बालू/मोरम के खनन पट्टे का आकस्मिक निरीक्षण राजस्व विभाग एवं खनिज विभाग के संयुक्त दल द्वारा दिनांक: 03/03/2025 को किया गया। निरीक्षण की बिन्दुवार आख्या निम्नवत् है:-

1. प्रश्नगत खनन पट्टा क्षेत्र में सीमास्तम्भ अपने निर्धारित निर्देशांक पर लगा हुआ नहीं पाया गया।
2. प्रश्नगत खनन पट्टा क्षेत्र में पी०टी०जेड० कैमरा लगा हुआ नहीं पाया गया।
3. प्रश्नगत खनन पट्टा क्षेत्र की जाँच जी०पी०एस० युक्त के०एम०एल० फाईल से की गयी जिसमें खनन पट्टेधारक द्वारा अपने स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र में उपखनिज बालू/मोरम का खनन किया जाना पाया गया।

उपरोक्तानुसार प्रस्तुत निरीक्षण आख्या के अनुसार आप द्वारा किया गया उक्त कृत्य अपने क्षेत्र में सीमास्तम्भ अपने निर्धारित निर्देशांक पर लगा हुआ नहीं पाया जाना एवं खनन पट्टा क्षेत्र में पी०टी०जेड० कैमरा लगा हुआ नहीं पाये जाने का कृत्य उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-36(1) व 36(2) का स्पष्ट उल्लंघन है, जिसमें नियम-60(3) (प्रति अवसर पच्चीस हजार रुपये की धनराशि) के अन्तर्गत नियमानुसार रू० 25,000.00 की शास्ति शुल्क के रूप अधिरोपित कर कुल धनराशि रू० 50,000.00 की शास्ति जिलाधिकारी महोदय के आदेश दिनांक: 06.03.2025 के माध्यम से अधिरोपित की गयी।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि नोटिस प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर उपरोक्तानुसार निरीक्षण आख्या दिनांक: 03.03.2025 में उल्लिखित अनियमितताओं के सम्बन्ध में निर्धारित प्राविधानों के अनुसार शास्ति की कुल धनराशि रू० 50,000.00 खनिज के निर्धारित लेखाशीर्षक "अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग 0853" में जमा कर चालान की एक प्रति कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें अन्यथा की स्थिति में शास्ति की अधिरोपित धनराशि की वसूली भू-राजस्व की भांति वसूल की जायेगी जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

पत्रांक व तद् दिनांक:

प्रतिलिपि:-

1. निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशाल, उ०प्र० लखनऊ सादर सूचनार्थ प्रेषित।

अपर जिलाधिकारी(न्यायिक),
झाँसी।

अपर जिलाधिकारी(न्यायिक),
झाँसी।

ANNEXURE-17

प्रेषक,

अपर जिलाधिकारी (न्यायिक),
झाँसी।

सेवा में,

सदस्य सचिव,
राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण,
उ०प्र०, लखनऊ।

पत्रांक: 155 / 30एम०एम०सी० / 2025-26

दिनांक: 31 / 05 / 2025

विषय :- जनपद-झाँसी के तहसील-मोंठ स्थित ग्राम-मनिकपुरा के आराजी संख्या-314 में स्वीकृत खनन पट्टा में निर्गत पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र की वर्तमान स्थिति के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक श्री सोवरन सिंह, निवासी-तरगुवान, ललितपुर के शिकायती पत्र दिनांक: 08.05.2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें श्री सोवरन सिंह द्वारा जनपद-झाँसी के तहसील-मोंठ स्थित ग्राम-मनिकपुरा के आराजी संख्या-314 में स्वीकृत खनन पट्टा के सम्बन्ध शिकायत करते हुए अवगत कराया गया है कि UP SEIAA द्वारा उपरोक्त खनन पट्टे की EC दिनांक: 02.04.2025 में 884th मीटिंग में निरस्त किये जाने का उल्लेख करते हुए उक्त खनन पट्टा में खनन कार्य बन्द कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

उक्त शिकायती पत्र के साथ संलग्न SEIAA द्वारा जारी Minutes of the 884th Meeting of the State Level Environmental Impact Assessment Authority, UP (SEIAA) held on 02-04-2025 में उल्लेख किया गया है कि "Since District magistrate, Jhansi has cancelled the lease deed of the mine vide order no. 512/30MMC/2024-25 dated 12.08.2024. Hence, EC is also null and void in view of the cancelled lease deed and is cancelled effective 12/08/2024"

उपरोक्त बैठक संख्या-884 में निर्गत Minutes of the Meeting (कार्यवृत्त) में प्रश्नगत खनन पट्टा के सम्बन्ध में कार्यवृत्त में उल्लेखित तथ्यों के अनुसार प्रश्नगत खनन पट्टा में निर्गत पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र दिनांक: 28.04.2023 का निरस्तीकरण आदेश (EC cancellation order) आज दिनांक तक इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत प्रश्नगत खनन पट्टे में निर्गत पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र दिनांक: 28.04.2023 वर्तमान में विधिमान्य है अथवा नहीं के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करने का कष्ट करें, यदि पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र दिनांक: 28.04.2023 वर्तमान में विधिमान्य नहीं है तो प्रश्नगत पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र का निरीस्तीकरण आदेश इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे प्रकरण में नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही अमल में लायी जा सकें।

31/05/25
अपर जिलाधिकारी (न्यायिक),

झाँसी।

पत्रांक व तददिनांक:

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ।
- 2- निदेशक, पर्यावरण निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ।
- 3- सदस्य सचिव, एस०ई०एम०सी०, लखनऊ।
- 4- जिलाधिकारी महोदय, झाँसी।
- 5- क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, झाँसी।

अपर जिलाधिकारी (न्यायिक),

झाँसी।